शैक्षणिक-नियम-परिचायिका

2022 – 2023

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र,

नई दिल्ली-११००१६

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
	सामान्य परिचय	
I.	विश्वविद्यालय : संक्षिप्त-परिचय	4-7
II.	कुलपति का अभिमत	8-9
III.	कुलसचिव का अभिमत	10
	वेद-वेदाङ्गपीठम्	11-16
1	वेद-विभाग	
2	पौरोहित्य-विभाग	
3	व्याकरण-विभाग	
4	धर्मशास्त्र-विभाग	
5	ज्योतिष-विभाग	
6	वास्तुशास्त्र-विभाग	
	दर्शनशास्त्रपीठम्	17-23
7	न्याय-वैशेषिक-विभाग	
8	सांख्ययोग-विभाग	
9	जैनदर्शन-विभाग	
10	सर्वदर्शन-विभाग	
11	मीमांसा-विभाग	
12	विशिष्टाद्वैतवेदान्त-विभाग	
13	अद्वैतवेदान्त-विभाग	
14	योग-विज्ञान विभाग	
	साहित्य एवं संस्कृतिपीठम्	24-28
15	साहित्य-विभाग	
16	पुराणेतिहास-विभाग	
17	प्राकृतभाषा-विभाग	
	शिक्षाशास्त्रपीठम्	29-30
18	शिक्षाशास्त्र-विभाग	
	आधुनिकविषयपीठम्	31-32
19	शोध विभाग	
20	मानविकी विभाग (हिन्दी,अंग्रजी,समाजशास्त्र,राजनीतिशास्त्र)	
21	आधुनिकज्ञान विभाग (संगणकप्रयोग:,पर्यावरण अध्ययन, मूल्यशिक्षा एवं मानवाधिकार)	
22	छात्रकल्याण-पीठम्	33
23	क्रीडा	33
24	राष्ट्रीय सेवा-योजना एवं एन.सी.सी.	34-35

25	कुलानुशासक, कुलानुशासक-मण्डल एवं अनुशासन-समिति	35
26	विभिन्न-कक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं प्रवेश-नियम	36-64
27	रैगिंग-रोकथाम-समिति एवं रैगिंग-निषेध-अधिनियम	65-67
28	अनुशासन एवं सुरक्षा-व्यवस्था	67-68
29	उपस्थिति-नियम	69-70
30	परिचय-पत्र	71
31	आरक्षण का प्रावधान	72
32	आंतरिक-गुणवत्ता-आश्वासन-प्रकोष्ठ	72-73
33	सतर्कता-अधिकारी	73
34	शिकायत-समिति	73
35	पाण्डुलिपि-संग्रहालय	73
36	वराहमिहिर-वेधशाला	73
37	कर्मकाण्ड-यज्ञशाला एवं देवसदनम्	73-74
38	अनुसूचितजाति-जनजाति प्रकोष्ठ	74
39	संङ्गणक-केन्द्र	74
40	शुल्क-वापसी एवं सुरक्षित-धनराशि-सम्बन्धी-नियम	75
41	छात्रकल्याण-परिषद्	75-77
42	छात्रवृत्ति नियम	77-80
43	सह-शैक्षणिक-प्रवृत्तियाँ	81
44	पुस्तकालय	82-83
45	पुरस्कार	84-85
46	छात्रावास	85-86
47	अन्य विवरण	87-88
48	शुल्क-तालिका	89-91

विश्वविद्यालयः संक्षिप्त परिचय

'अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन' के कलकत्ता-अधिवेशन में लिये गये निर्णय के अनुपालन में 8 अक्तूबर, 1962 को विजयदशमी के दिन दिल्ली में 'संस्कृत विश्वविद्यालय' की स्थापना की गई । डॉ. मण्डन मिश्र को विश्वविद्यालय का 'विशेष-कार्याधिकारी' एवं 'निदेशक' नियुक्त किया गया । सम्मेलन में लिये गए निर्णय के अनुसार, 'अखिल भारतीय संस्कृत विद्यापीठ' नाम से एक पृथक् संस्था स्थापित की गई । इसके संस्थापक-अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री थे । विश्वविद्यालय के सर्वाङ्गीण-विकास में तत्कालीन प्रधानमंत्री की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का महत्त्वपूर्ण-योगदान है । प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री न संस्कृत विश्वविद्यालय को अन्तर्राष्ट्रिय-स्तर की संस्था के रूप में विकसित करने की कामना की थी ।

शास्त्री जी के आकस्मिक-निधन के पश्चात् प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विश्वविद्यालय की अध्यक्षता स्वीकार की । उन्होंने घोषणा की कि 2 अक्तूबर, 1966 से विद्यापीठ को 'श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ' के नाम से जाना जाएगा । भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 1967 को विश्वविद्यालय का अधिग्रहण किया गया । श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ 21 दिसम्बर, 1970 को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली (एक पंजीकृत स्वायत्त संस्था, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) का अंग बन गया ।

इस विश्वविद्यालय को शास्त्रीय-परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने, शास्त्रों के विश्लेषण, आधुनिक-परिप्रेक्ष्य मं शास्त्रों की उपादेयता, संस्कृत-शास्त्रों के पठन-पाठन एवं संरक्षण, आधुनिक एवं शास्त्रीय-परम्परा में संस्कृत-शिक्षक-शिक्षण तथा उनके गहन-प्रशिक्षण के लिये संसाधन उपलब्ध कराने, अनुसन्धान एवं शोध, प्रकाशन आदि उद्देश्यों एवं कार्यों के लिये स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय के सर्वतोमुखी-विकास से प्रभावित होकर मार्च, 1983 में भारत सरकार ने इसको 'मानित-विश्वविद्यालय' का स्तर देने का प्रस्ताव रखा। अन्ततः आवश्यक-परीक्षण एवं मूल्याङ्कन के पश्चात् भारत सरकार ने 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की संस्तुति को दृष्टि में रखते हुये नवम्बर, 1987 में विद्यापीठ को 'मानित-विश्वविद्यालय' का स्तर प्रदान किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान' से पृथक् एक संस्था 'श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ' के नाम से तत्कालीन मानव-संसाधन-विकास-मन्त्री श्री पी.वी. नरसिंह राव की अध्यक्षता में 20 जनवरी, 1987 को पञ्जीकृत की गयी । डॉ. मण्डन मिश्र 1989 में विश्वविद्यालय के प्रथम-कुलपति नियुक्त हुए। विश्वविद्यालय ने 1 नवम्बर, 1991 से मानित-विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया। यह संस्था दक्षिणी-दिल्ली के 'कुतब-सांस्थानिक-क्षेत्र' में अवस्थित है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना संख्या 4-4/2018Skt-II dated 17-4-2020 के अनुसार श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, मानित विश्वविद्यालय को श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में दिनांक 30.4.2020 से कार्य प्रारम्भ करने हेतु सूचना जारी की। उसके अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1(149)LBSV/Admn/2019-20/20 दिनांक 30.4.2020 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उक्त तिथि से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

विश्वविद्यालय में पाँच पीठम् हैं- वेद-वेदाङ्गपीठम्, दर्शनशास्त्रपीठम्, साहित्य एवं संस्कृतिपीठम्, आधुनिक-विषयपीठम् तथा शिक्षाशास्त्रपीठम्। प्रारम्भ के चार पीठम् में विभिन्न शास्त्रीय-विषयों में शास्त्री उपाधि-हेतु एवं स्नातकोत्तर-उपाधि-हेतु (आचार्य-उपाधि हेतु) द्विवर्षीय-पाठ्यक्रम के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम चरण में शास्त्री प्रथम वर्ष (प्रथम समेस्टर एवं द्वितीय समेस्टर) कक्षा से नीवन पाठ्यक्रम शैक्षण्कि सत्र 2021-22 से लागू किया जायेगा । विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णयानुसार राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर की उपाधि चार वर्ष की अवधि की होगी। इस अवधि के भीतर कई विकास विकल्प के साथ पसंदीदा विकल्प होगें।

उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रम विकल्पाधारित-क्रेडिट-प्रणाली के अन्तर्गत संचालित किये जाते हैं। 'राष्ट्रोय-अध्यापक-शिक्षा-परिषद्' (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 के प्रावधानों को लागू करने के साथ ही सत्र 2015-16 से 'शिक्षाशास्त्रपीठम्' में 'शिक्षा-शास्त्री'- उपाधि हेतु द्विवर्षीय 'अध्यापक-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम' तथा शिक्षाशास्त्र में 'उच्च-स्तरीय' अध्ययन हेतु 'शिक्षाचार्य'- उपाधि-हेतु द्विवर्षीय-पाठ्यक्रम का प्रवर्तन किया गया है। उपर्युक्त पॉचों पीठों में संस्कृत की विभिन्न शास्त्रीय-शाखाओं एवं शिक्षाशास्त्र में उच्चस्तरीय विशेष-अध्ययन के क्षेत्र में शोधकार्य करने हेतु विद्यावारिधि एवं विद्यावाचस्पति-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है।

विश्वविद्यालय में वैदिक-शास्त्रों की विभिन्न-विद्याओं में शोध, पाण्डुलिपियों के संरक्षण आदि के लिए शोध विभाग के अन्तर्गत किया जा रहा है । विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि के पाठ्यक्रमों के लिए शोध-विभाग कार्यरत है। शोध-ग्रंथों और विभिन्न शाध-पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन एवं विक्रय के लिये 'प्रकाशन' अनुभाग है। विश्वविद्यालय द्वारा न केवल प्राचीन पाण्डुलिपियों का अन्वेषण किया जाता है, अपितु वैदिक-साहित्य के विद्वानों की उत्कृष्ट-रचनाओं का प्रकाशन भी किया जाता है। प्रकाशन-अनुभाग द्वारा विश्वविद्यालय की शोध-पत्रिकाओं 'शोध-प्रभा', 'भैषज्य-ज्योतिष-मंजूषा', 'वास्तुशास्त्र-विमर्श' एवं 'सुमंगली' आदि का प्रकाशन किया जाता है। 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' विनियम, 2016 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के शोध-छात्रों के लिए शोध-सम्बन्धी सत्रीय पाठ्यक्रम का संचालन शोध-विभाग द्वारा किया जाता है।

विश्वविद्यालय में शास्त्रीय-पाठ्यक्रमों के साथ-साथ व्यावसायिक-संस्कृत, व्यावसायिक योग, ज्योतिष, संस्कृत पत्रकारिता एवं संगणक-प्रयोग-सम्बन्धी पाठ्यक्रम और विभिन्न प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रमों को नियमितरूप से अध्ययन-अध्यापन में सम्मिलित किया गया है। शास्त्रीय-परम्परा में कौशल-विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत स्ववित्तपोषित-ज्योतिष, भैषज्य-ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, योग, धर्मशास्त्र, जैन विद्या, पाण्डुलिपि शास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र और पौरोहित्य आदि विधाओं में षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम, एकवर्षीय डिप्लोमा-पाठ्यक्रम एवं द्विवर्षीय एडवांस-डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 से विश्वविद्यालय में शास्त्री कक्षा में पंजीकृत छात्रों के अंग्रेजी भाषा में संचार कौशल-व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम भी संचालित किया जायेगा । संस्कृत-शिक्षण और सम्भाषण के साथ-साथ उन्नत कौशल-विकास-हेतु संगणक-क्षेत्र में भी उच्चस्तरीय प्रशिक्षण-कायक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा एकवर्षीय पी.जी. योग डिप्लोमा पाठ्यक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन किया जाता है और प्रतिवर्ष एक सप्ताह का योग-शिविर का भी आयोजन किया जाता है। सामान्यजन के हितों को ध्यान में रखते हुये प्रमाणपत्रीय एवं डिप्लोमा क अधिकांश पाठ्यक्रम शनिवार और रविवार को संचालित किये जाते हैं।

विश्वविद्यालय अपने निर्धारित शैक्षणिक-उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुये दीक्षान्त-समारोह का आयोजन करता है। इस दिशा में विशेष-दीक्षान्त-समारोह 03 दिसम्बर, 1993 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली मं आयोजित किया गया। इस समारोह में भारत के तत्कालीन-राष्ट्रपति डॉ. शङ्करदयाल शर्मा को विश्वविद्यालय की मानद-उपाधि 'वाचस्पति' प्रदान की गयी थी। विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षान्त-समारोह 15 फरवरी, 1994 को विश्वविद्यालय -परिसर में सम्पन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रपति डॉ. शङ्करदयाल शर्मा ने प्रथम दीक्षान्त-भाषण दिया।

विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षान्त-समारोह 11 जनवरी, 1996, तृतीय दीक्षान्त-समारोह 11 जनवरी, 1999, चतुर्थ दीक्षान्त-समारोह 11 फरवरी, 2000, पञ्चम दीक्षान्त-समारोह 28 फरवरी, 2001, षष्ठ दीक्षान्त-समारोह 17 फरवरी, 2002, सप्तम दीक्षान्त-समाराह 11 नवम्बर, 2003, अष्टम दीक्षान्त-समारोह 12 नवम्बर, 2005, नवम दीक्षान्त-समाराह 10 नवम्बर, 2006, दशम दीक्षान्त-समारोह 28 नवम्बर, 2007, एकादश दीक्षान्त-समारोह 06 दिसम्बर, 2008, द्वादश दीक्षान्त-समारोह 7 नवम्बर, 2009, त्रयोदश दीक्षान्त-समारोह दिनांक 26 नवम्बर, 2010, चतुर्दश दीक्षान्त-समारोह 7 जनवरी, 2013, पञ्चदश दीक्षान्त-समारोह 27 नवम्बर, 2015, षोडश दीक्षान्त-समारोह 09 जनवरी, 2017 तथा दिनांक 21.04.2018 को विश्वविद्यालय का सत्रहवां दीक्षान्त-समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा भाषण दिया गया।

विश्वविद्यालय के नवीन प्राशासकीय भवन 'स्वर्ण जयन्ती सदनम्' का उद्घाटन डा. एम.एम. पल्लम राजू, तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.01.2013 किया गया। 'वेद और पौराहित्य-विभाग' के लिये एक नया भवन बनाया गया और पौरोहित्य के लिये यज्ञशाला का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन 07.01.2013 को सम्पन्न हुआ । विश्वविद्यालय में ज्योतिषीय-काल-गणना के लिये एक सुसज्जित-वेधशाला है। 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित यह मानित विश्वविद्यालय, आयोग के विनियमां एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत संचालित किया जाता है। राष्ट्रोय अध्यापक-शिक्षा-परिषद् विनियम, 2014, विकल्पाधारित-क्रेडिट-प्रणाली, संशोधित क्रेडिट-आधारित सत्रीय-परीक्षा प्रणाली, कौशल-विकास कार्यक्रम आदि में निहित-प्रावधानों का पूर्ण-क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2015 में 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्', बंगलौर द्वारा विश्वविद्यालय के बहुआयामी-उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हुए अगले 5 वर्षों के लिए विश्वविद्यालय को 'ए' ग्रेड प्रदान किया गया है। 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' को पुनरीक्षण-समिति द्वारा भी वर्ष 2016 में विश्वविद्यालय का पुनरीक्षण करने के उपरान्त इसकी प्रगति के प्रति संतोष व्यक्त किया है। 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के पत्र संख्या 19-1/2016 (सी.पी.पी.-1/डी.यू.) दिनांक 12/6/2017 के अनुसार आयोग की स्वीकृति के उपरान्त 'श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृत विश्वविद्यालय (मानित विश्वविद्यालय)' को आयोग की 12-बी सूची में सम्मलित किया गया।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, शास्त्रीय पारम्परिक विषयों के अध्ययन-अध्यापन एवं गहन अनुसन्धान के द्वारा भारतीय वैज्ञानिक-परम्परा का संरक्षण करते हुये आधुनिक वैज्ञानिक शैक्षणिक परम्पराओं से समन्वय स्थापित करने का सार्थक प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ बौद्धदर्शन, प्राकृतिक-चिकित्सा, वैदिक-गणित आदि विषयों में अध्ययन-अध्यापन और आधुनिक-विषयों के साथ अन्त:वैषयिक अध्ययन की दिशा में भी योजना बनायी जा रही है। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षानोति 2020 के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की कार्य योजना से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय में 'महिला-छात्रावास-निर्माण' और 'अन्तर्राष्ट्रिय-स्तर के संस्कृत-ग्रंथालय' को स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। नवीन भवनों के निमार्ण हेतु डी.पी.आर. बनाने के लिए सी.पी.डब्लू. डी. को रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है । साथ ही साथ विश्वविद्यालय संस्कृत-स्नातकों को रोजगारपरक-शिक्षण प्रदान करते हुये कुशल-शिक्षकों के निर्माण में 'शिक्षाशास्त्र-विभाग' के माध्यम से सतत-प्रयत्नशील है। फलस्वरूप इस विश्वविद्यालय के छात्र एवं शोधार्थी देश एवं विदेशों की प्रतिष्ठित उच्च-शैक्षणिक एवं शोध-संस्थाओं में भी अभूतपूर्व-योगदान दने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित भारतीय ज्ञान परम्परा के मूल सिद्धान्तों से छात्रों को अवगत कराने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णयानुसार प्रथम चरण मं शास्त्री (बी.ए.) एवं बी.ए. योग ३/४ वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु नवीन पाठ्यक्रम निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

कुलपति का अभिमत

राष्ट्र के मनीषी-राजनेताओं एवं शिक्षा-शास्त्रियों के परामर्श के अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली में 'अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत-विद्या केन्द्र' के अभाव की पूर्ति-हेतु सन् 1985 में भारत के तात्कालिक 'मानव संसाधन विकास-मंत्री' श्री पी.वी. नरसिंह राव की अध्यक्षता में श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ नामक एक स्वायत्तशासी-संस्था का गठन एवं पञ्जीयन किया गया। इस संस्था को 16 नवम्बर, 1987 को भारत सरकार द्वारा 'मानित विश्वविद्यालय' का स्तर प्रदान करने की अधिसूचना प्रसारित की गई। 'मानित विश्वविद्यालय' के रूप में इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामस्वामी वेंकटरामन् के करकमलों द्वारा 23 फरवरी, 1991 को सम्पन्न हुआ।

भारत की राजधानी नई दिल्ली में श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना तथा 'मानित-विश्वविद्यालय' के रूप में इसके विकास की उज्ज्वल-पृष्ठभूमि है। स्वतन्त्रता के अनन्तर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने भारत की राजधानी दिल्ली में संस्कृत-विद्या के अध्ययन के लिए एक आदर्श संस्था की स्थापना पर बल दिया था। इस विचार को मूर्त-रूप प्रदान करने में भारत के पूर्व प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री के आशीर्वाद एवं सक्रिय-मार्गनिर्देशन मुख्य-प्रेरक बने। भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र बाबू आदि की प्रेरणा पर 'अखिल भारतीय संस्कृत-विश्वविद्यालय' नामक शिक्षण-संस्था का शुभारम्भ सन् 1962 में विजय-दशमी के पुण्य-दिवस पर किया गया। उसके प्रथम-निदेशक के रूप में डॉ. मण्डन मिश्र की नियुक्ति की गयी। सम्मेलन एवं विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने संस्कृत-विद्या के प्रसार की दिशा में महनीय योगदान किया एवं उनके नेतृत्व में इस संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत विद्या-केन्द्र बनाने का उपक्रम किया गया। शास्त्री जी के निधन के अनन्तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने इसके सभापति-पद को सुशोभित किया तथा 2 अक्टूबर, 1966 को उन्होंने स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में सञ्चालित इस संस्कृत विश्वविद्यालय को श्री शास्त्री जी के स्मारक के रूप में विकसित करने हेतु इस संस्था के साथ स्वर्गीय शास्त्री जी का नाम जोड़ते हुए 'भारत सरकार' द्वारा इस संस्था के अधिग्रहण की घोषणा की गई। 'श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृत विश्वविद्यालय ' का चार वर्ष तक सञ्चालन 'भारत सरकार' द्वारा किया गया तथा सन् 1971 में 'भारत सरकार' द्वारा 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान' की स्थापना के अनन्तर इस विश्वविद्यालय का नामकरण 'श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ' करते हुए 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान' के अन्तर्गत इसका प्रबन्धन सौंप दिया गया।

'भारत सरकार' ने श्रद्धेय श्री लालबहादुर शास्त्री जी की कल्पनाओं की पूर्ति-हेतु यह आवश्यक माना कि राजधानी में मानित-विश्वविद्यालय के रूप में एक संस्कृत-संस्था का सञ्चालन किया जाय। अतः 'श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली' संस्था का केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री की अध्यक्षता में गठन कर पञ्जीयन कराया गया। 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा इस संस्था को मानित-विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान करते हुए श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी को प्रथम-कुलाधिपति एवं डॉ. मण्डन मिश्र को प्रथम-कुलपति नियुक्त किया गया तथा 'राष्ट्रीयसंस्कृत संस्थान' के अन्तर्गत सञ्चालित श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ में कार्यरत-शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय को सौंपी गई। सत्र 1990-91 से इस मानित-विश्वविद्यालय के अधीन परीक्षाकार्य प्रारम्भ हुआ।

विश्वविद्यालय में वेद-वेदांगपीठम्, दर्शनशास्त्रपीठम्, साहित्य-संस्कृतिपीठम् एवं आधुनिक-विषयपीठम् शिक्षाशास्त्रपीठम् नामक पाँचपीठों का गठन किया गया है, जिनके अन्तर्गत शास्त्री विषयों के साथ-साथ आधुनिक विषयों का अध्ययन-अध्यापन कुशलता पूर्वक करवाया जाता है । उच्चस्तरीय-शोध के प्रकाशन के साथ-साथ विश्वविद्यालय स्तर पर त्रैमासिकी-शोधपत्रिका 'शोधप्रभा' का प्रकाशन किया जाता है। ज्योतिष-विभाग द्वारा 'पंचांग' और 'भैषज्य-ज्योतिषमंजूषा' नामक शोधपत्रिका का नियमित प्रकाशन होता है।

वास्तुशास्त्र-विभाग द्वारा उच्चस्तरीय-शोधपत्रिका 'वास्तुशास्त्र विमर्श' का प्रकाशन होता है। शिक्षाशास्त्र-संकाय द्वारा 'शिक्षा-ज्योति' और 'महिला अध्ययन केन्द्र' द्वारा 'सुमंगली' का प्रकाशन किया जाता है। सम्प्रति विद्वान् अध्यापकों द्वारा भी नियमितरूप से शोध-पत्रिकायें और पुस्तकें प्रकाशित की जा रही है। प्रकाशन-विभाग शोधर्थियों के शोध-प्रविधि-प्रशिक्षण के अतिरिक्त देश के मूर्धन्य-विद्वानों की उत्कृष्ट-रचनाओं का भी सम्पादन एवं प्रकाशन करता है।

विश्वविद्यालय के पारम्परिक-विषयों के अध्येता-छात्रों में सामाजिक एवं प्रासंगिक अधुनातन-विषयों में जागरुकता उत्पन्न करने की दृष्टि से छात्र एवं छात्राओं को एन.सी.सी. का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 'राष्ट्रीय-सेवा-योजना' के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक एवं पर्यावरण-संरक्षण के कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। खेल-कूद, सांस्कृतिक-आयोजनों आदि के द्वारा छात्रों एवं छात्राओं में अनुशासन एवं नेतृत्व के प्रशिक्षण के साथ-साथ सामाजिक समरसता का भी बोध कराया जाता है। विगत वर्षों में 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा निर्गत क्रेडिट-प्रणाली, अंग्रेजी, हिन्दी, पर्यावरण आदि को अनिवार्य-विषय के रूप में सम्मिलित करने से सम्बन्धित-निर्देशों का अनुपालन करते हुये पाठ्यक्रमों का परिशोधन किया गया और सत्रीय-प्रणाली के साथ-साथ आयोग के अन्य विनियमों को यथावत् क्रियान्वित किया जा रहा है । शास्त्री-स्तर पर सभी विषयों के पाठयक्रमों के साथ-साथ आचार्य के पाठ्यक्रमों को अद्यतन किया जा चुका है। विकल्पाधारित-क्रेडिट-प्रणाली के अनुसार परिशोधित-पाठ्यक्रमों के आधार पर सभी सत्रों में पठन-पाठन सञ्चालित किया जा रहा है। विगत वर्षों से अवरुद्ध अन्य-कार्यों को भी गति प्रदान की जा रही है तथा सभी विभागों में अधिकांश रिक्त-पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। वर्ष 2015 में विश्वविद्यालय को 'नैक' (NAAC) द्वारा प्रत्यायन और मूल्यांकन के उपरान्त 'ए' ग्रेड प्रदान किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में 'नैक' द्वारा दिये गये सुझावों पर भी आवश्यक-कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है । 'कौशल-विकास-कार्यक्रम' के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर उपलब्ध-संसाधनों के अन्तर्गत योग, संस्कृत-पत्रकारिता और स्वरोजगारपरक संगणक-प्रयोग-प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम भी मूर्तरूप प्राप्त कर चुके हैं। योग का नियमित-प्रशिक्षण-कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। सरकारी-कर्मचारियों और रोजगाररत-लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये स्व-वित्तपोषित-पाठ्यक्रमों का संचालन प्रतिसप्ताह शनिवार एवं रविवार को किया जा रहा है। इस परिवर्तन से अधिक से अधिक लोग ज्ञानार्जन की ओर प्रेरित हो रहे हैं और उन्हें नवीन रोजगारपरक-कौशल-अभिवृद्धि का अवसर प्राप्त हो रहा है । विभिन्न प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत के अध्येताओं को प्रशिक्षित करने का हमारा समवेत प्रयास संस्कृत एवं भारतीय-संस्कृति की प्रतिष्ठा में सफल सिद्ध होगा यह हमारा दृढ़-अभिमत है।

शैक्षणिक सत्र 2021-22 से विश्वविद्यालय द्वारा एम.ए. हिन्दी-साहित्य एवं एम.ए. हिन्दू अध्ययन नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षानोति 2020 के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की कार्य योजना से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रो. मुरलीमनोहर पाठक
कुलपति

कुलसचिव का अभिमत

श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय , स्थापना-काल से ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति-हेतु प्रवर्तित-कार्यक्रमों के कारण प्राच्य एवं आधुनिक-शिक्षाविदों में अत्यन्त विख्यात है। इस विश्वविद्यालय के द्वारा संस्कृतज्ञों को प्रशिक्षित कर विभिन्न-पदों पर देश की सेवा में समर्पित किया गया है, जिसमें संस्कृत-शिक्षकों के रूप में कार्य कर रहे संस्कृत-प्रचारकों की संख्या सबसे अधिक है।

विश्वविद्यालय, संस्कृतभाषा को व्यवहार-भाषा के रूप में स्वीकार करता है और अपनी समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ संस्कृत-भाषा के माध्यम से सम्पन्न करता है। यहाँ की यज्ञशाला विविधप्रकार के यज्ञों, अनुष्ठानों एवं उनके प्रशिक्षण-कार्यक्रमों से सतत प्रदीप्त रहती है। 'वराहमिहिर-वेधशाला' न केवल यहाँ के पञ्चांग निर्माण की अपितु विविध-ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्रीय-पाठ्यक्रमों की प्रयोगशाला है। सभी विभागों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से न केवल दिल्ली-निवासी, अपितु देश के विभिन्न प्रान्तों से आने वाले जिज्ञासु लाभान्वित हो रहे हैं।

विश्वविद्यालय में शास्त्री-पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यावसायिक संस्कृत, व्यावसायिक हिन्दी एवं संगणक प्रयोग-सम्बन्धी पाठ्यक्रम और विभिन्न प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम को नियमितरूप से अध्ययन-अध्यापन में सम्मिलित किया गया है। स्ववित्तपोषित ज्योतिष, भैषज्य-ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, योग, धर्मशास्त्र और पौरोहित्य, संस्कृत-पत्रकारिता, पाण्डुलिपिशास्त्र एवं अभिलेखशास्त्र आदि विधाओं में षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम, डिप्लोमा-पाठ्यक्रम एवं एडवांस डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। संस्कृत-शिक्षण और सम्भाषण के साथ-साथ उन्नत कौशल-विकास हेतु संस्कृत-पत्रकारिता का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण-कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

समस्त भारतीय वैदिक-विधाओं के समुचित-संरक्षण एवं पल्लवन-हेतु आवश्यक-संसाधनों को अध्यापकों, अनुसन्धाताओं एवं छात्रों को विशेषरूप से सुलभ कराना हमारा परम-लक्ष्य है। एक सुन्दर-परिसर एवं आगन्तुक-विद्वज्जनों के आतिथ्य की दृष्टि से 'अतिथिदेवो भव' की आप्त-परम्परा के परिपालन के क्रम में 'विश्रान्ति-निलय' की व्यवस्था विश्वविद्यालय -परिसर में शैक्षणिक-वातावरण के निर्माण में अनुपम-भूमिका का निर्वहन करती है। परिणाम-स्वरूप अन्य-संस्थानों ने भी अपने विविध-कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय को यथावसर केन्द्र बनाया है, जिससे संस्कृत एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार का हमारा कार्य और सहजता से आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय के भवनों की देख–रेख, नवनिर्माण एवं अन्य आधारभूत-सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अलग अनुभाग कार्यरत है। 'महिला-अध्ययन-केन्द्र' एवं 'संगणक-केन्द्र' इस विश्वविद्यालय के बहुआयामी- विकास को इंगित करते हैं। ज्ञान-अवगाहन की विशिष्ट-परम्परा को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए नियमितरूप से व्याख्यानमालाओं, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न-विषयों में शोध-परियोजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिनसे ज्ञान-निर्माण की प्रक्रिया को सम्बल प्राप्त हो। 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की 'पुनरीक्षण-समिति' और 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्' के सुझावों पर भी निरन्तर कार्यवाही की जा रही है, जिससे विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में सक्रिय रहा। हमारा विश्वास है कि इस प्रकार के सार्थक प्रयास पारस्परिक-सहयोग से निरन्तर होते रहेंगे तथा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा का देश-विदेश में पर्याप्त-विस्तार होगा।

डॉ. अलका राय
कुलसचिव (प्रभारी)

वेदवेदांगपीठम्

विश्वविद्यालय का बृहत्तम 'वेदवेदाङ्गपीठम्' अपने नामानुरूप ''ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च'' इस आगमादेश के आलोक में मानवमात्र के चतुर्विध-पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए अपेक्षित व्याकरणादि षड्-अङ्गों सहित मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद का उच्चस्तरीय एवं प्रामाणिक-प्रबोध के साथ तत्सम्बन्धी-विद्याशाखाओं के अनुसन्धान का सौविध्य उपलब्ध कराता है। वेदवेदांगपीठम् के अन्तर्गत वेद विभाग, पौरोहित्य-विभाग, व्याकरण-विभाग, ज्योतिष-विभाग, वास्तुशास्त्र-विभाग एवं धर्मशास्त्र-विभाग- ये छः विभाग हैं तथा इनमें 8 विषयों का अध्ययन कराया जाता है। वेद-विभाग में 'शुक्लयजुर्वेद' का सांगोपांग स्वाध्याय, पौरोहित्य विभाग में वैदिक श्रौत, स्मार्त-कर्मों के साथ नित्य-नैमित्तिक सकल धार्मिक क्रिया-कलापों का अध्यापन एवं शोध इस विभाग क अन्तर्गत कराया जाता है। व्याकरण-विभाग में संस्कृतभाषा के निर्दुष्ट-परिज्ञान के लिये पाणिनीय-व्याकरण की नव्य तथा प्राचीन-दोनों शाखाओं के विविध मानक ग्रंथों का अध्ययन एवम् अनुसन्धान कराया जाता है। ज्योतिष-विभाग में फलित ज्योतिष में मनुष्य के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की विशद जानकारी होराशास्त्र के मानक ग्रन्थों का अध्ययन एवं शोध तथा सिद्धान्त ज्योतिष में आर्यभट, भास्कराचार्य, भट्टकमलाकर, गणेश दैवज्ञ, वेंकटेश केतकर आदि आचार्यों के मानक ग्रन्थों का अध्यापन एवं शोध किया जाता है। वास्तुशास्त्र-विभाग में वास्तुशास्त्र का प्रामाणिक, विशद अध्ययन तथा शोध कराया जाता है। धर्माधर्म का निर्णय पूर्णतः वेदाश्रित होने से सभी संस्कारों, धार्मिक कृत्यों, सम्बन्ध-मूलक अधिकार आदि विषयों का निर्णायक धर्मशास्त्र-विभाग भी इसी वेदवेदांगपीठम् के अन्तर्गत है, जिसमें विविध-स्मृतियों के विशिष्ट-विश्लेषणों द्वारा धार्मिक आचारों के सभो पक्षों का शास्त्रीय निर्णयात्मक-प्रबोध प्रदान किया जाता है। समाज के साथ साक्षात्सम्बद्ध होने के कारण वेदवेदांगपीठम् के अन्तर्गत पारोहित्य-विभाग द्वारा प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम ज्योतिष-विभाग द्वारा ज्योतिष में षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय, ज्योतिष एवं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एकवर्षीय डिप्लोमा एवं ज्योतिष में द्विवर्षीय एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम का वास्तशास्त्र द्वारा वास्तु षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय, एकवर्षीय डिप्लोमा, द्विवर्षीय एडवांस डिप्लोमा एवं द्विवर्षीय पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। तथा ज्योतिष-विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष पञ्चाङ्ग-निर्माण भी सम्पादित होता है। उपर्युक्त सभी विभागों में माननीय आचार्यों द्वारा शास्त्रो, आचार्य एवं विशिष्टाचार्य-कक्षाओं के प्राध्यापन के साथ गवेषणा की सूक्ष्म-दृष्टि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त पारम्परिक अध्ययन के साथ तुलनात्मक शास्त्रीय-सम्बोध के लिए अनेकविध शैक्षिक-प्रकल्पों का विशिष्ट-आयोजन किया जाता है।

वेदवेदांगपीठम् में छात्रों के विशेष-ज्ञानवर्धन के लिए समय-समय पर विशिष्ट-व्याख्यानमालाओं का आयोजन किया जाता है। कतिपय-विभागों में यू.जी.सी. की शोध-परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसप्रकार वेदवेदांगपोठम् अपने संकल्पानुरूप लक्ष्य को सामने रखकर सर्वांगीणरूप से अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक चरितार्थ कर रहा है।

प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा
वेदवेदांग-पीठम्प्रमुख

वेद-वेदांग पीठम् एवं विभाग : पीठम् प्रमुख-प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा

वेद-विभाग

वेद

1. प्रो. रामानुज उपाध्याय	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
2. प्रो. गोपाल प्रसाद शर्मा	प्रोफेसर
3. डॉ. देवेन्द्र प्रसाद मिश्र	सह प्रोफेसर
4. डॉ. सुन्दर नारायण झा	सह प्रोफेसर
5. डॉ. हनुमान मिश्र	सह प्रोफेसर

पौरोहित्य-विभाग

पौरोहित्य

1. प्रो. रामराज उपाध्याय	प्रोफेसर
2. प्रो. वृन्दावन दाश	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

व्याकरण-विभाग

व्याकरण

1. प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा	प्रोफेसर एवं पीठम्प्रमुख
2. प्रो. सुजाता त्रिपाठी	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
3. प्रो. राम सलाही द्विवेदी	प्रोफेसर
4. डॉ. दयाल सिंह	सह प्रोफेसर
5. डॉ. नरेश कुमार वैरवा	सहायक प्रोफेसर
6. श्री धर्मपाल प्रजापत	सहायक प्रोफेसर

धर्मशास्त्र-विभाग

धर्मशास्त्र

1. प्रो. यशवीर सिंह	प्रोफेसर (लियन पर)
2. प्रो. सुधांशु भूषण पण्डा	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
3. डॉ. हिमांशु शेखर त्रिपाठी	सहायक प्रोफेसर
4. डॉ. मीनाक्षी मिश्रा	सहायक प्रोफेसर

ज्योतिष-विभाग

ज्योतिष (फलित एवं सिद्धान्त)

1. प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	प्रोफेसर
2. प्रो. बिहारी लाल शर्मा	प्रोफेसर (कुलानुशासक एवं निदेशक आई.क्यू.ए.सी)
3. प्रो. विनोद कुमार शर्मा	प्रोफेसर
4. प्रों. नीलम ठगेला	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
5. प्रो. दिवाकर दत्त शर्मा	प्रोफेसर
6. प्रो. परमानन्द भारद्वाज	प्रोफेसर
7. डॉ. फणीन्द्र कुमार चौधरी	सह प्रोफेसर

8. डॉ. सुशील कुमार	सह प्रोफेसर
9. डॉ. रश्मि चतुर्वेदी	सह प्रोफेसर

वास्तुशास्त्र-विभाग

1. प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी	प्रोफेसर (प्रतिनियुक्त)
2. डॉ. अशोक थपलियाल	सह प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
3. डॉ. देशबन्धु	सहायक प्रोफेसर
4. डॉ. प्रवेश व्यास	सहायक प्रोफेसर
5. डॉ. योगेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक प्रोफेसर
6. डॉ. दीपक वाशिष्ठ	सहायक प्रोफेसर

वेद-विभाग

वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं तथा ''वेदोऽखिलो धर्ममूलम्'' -इस मनुस्मृति के वचनानुसार 'वेद' समस्त धर्मों के मूल हैं। 'वेद' शब्द पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 'विद्' ज्ञाने धातु से बना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विश्व के समस्त ज्ञान के भण्डार 'वेद' हैं। 'वेद' के विषय में भगवान् मनु ने कहा है कि ''सर्वज्ञानमयो हि स:'' (मनुस्मृति-2/7) ज्ञान का विज्ञान के साथ अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इस विषय मे 'अमरकोष' में कहा गया है कि ''मोक्षधीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञान शिल्पशास्त्रयो:''। (धीवर्ग)

वेदों में यागानष्ठान का वर्णन है, वह यागानुष्ठान शिल्पात्मक है और शिल्प को ही विज्ञान कहा जाता है, जो मानव शिल्प के रहस्यों को जानता है, वह शिल्पी (वैज्ञानिक) कहलाता है।

इस प्रकार विश्व के समस्त ज्ञान एवं विज्ञान का मूल स्रोत वेद सनातन-धर्मावलम्बी लोगों के साथ-साथ समस्त प्राणियों के सार्वजनिक, सार्वकालिक तथा सार्वत्रिक विकास एवं समृद्धि के लिए मार्गदर्शक हैं। विश्व की संरचना, सम्पोषण एवं विलयन के समस्त नियमों का उपदेश वेद में ऋषि-महर्षियों द्वारा किया गया है। वैदिक-साहित्य मानव को उत्कृष्टता की ओर ले जाते हुए उसमें देवत्व की स्थापना करता है। प्रकृति एवं मानव-समाज के मध्य सामञ्जस्यपूर्ण-व्यवहार को अक्षुण्ण बनाने के लिए वेदाध्ययन परमावश्यक है। वेदों का अध्येता ही राज्याधिकारी, दण्डाधिकारी, सेनापति और चक्रवर्ती सम्राट् बन सकता है, यह मनु-महाराज का उद्घोष है-

सेनापत्यञ्च राज्यञ्च दण्डनेतृत्वमेव च।
सर्वलोकाधिपत्यञ्च सर्वं वेदविदर्हति॥

उक्त वचन से राष्ट्र की अखण्डता एवं अक्षुण्णता भी वेद द्वारा ही प्रतिष्ठित हो सकती है।

वेद-विभाग में 'शुक्लयजुर्वेद' का अध्यापन होता ह। पाठ्यक्रम में निर्धारित श्रौतयाग-सम्बन्धी प्रकरणों को समझाने के लिए विभाग में यज्ञपात्रों का संकलन उपलब्ध है, जिसके माध्यम से छात्रों को कर्मकाण्ड और विविध प्रकार के यज्ञों के सम्पादन का प्रायोगिक-ज्ञान भी दिया जाता है।

प्रो. रामानुज उपाध्याय
विभागाध्यक्ष, वेद विभाग

पौरोहित्य-विभाग

पारोहित्य का वास्तविकः अर्थ है 'पुरः अग्रे यजमानस्य हितं कल्याणं करोति स पुरोहितः, तस्य भावः पौरोहित्यम्' प्राचीनकाल से ही मनुष्यों के लिए समस्त मनोरथों की पूर्ति का साधन श्रौतयाग एवं स्मार्त्तयाग माना गया है। श्रौतयागों का आधार संहिताओं के मन्त्र हैं, किन्तु केवल मन्त्रों की जानकारी मात्र से ही कोई याग सम्पन्न नहीं कर सकता, इसके लिए अनुष्ठान की पद्धतियों का भी पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। उन अनुष्ठान-पद्धतियों का भी पूर्ण-ज्ञान एवं अनुष्ठान की प्रक्रियाओं के सूक्ष्मतम-परिचय के साथ पारम्परिक विधियों का अध्ययन-अध्यापन पौरोहित्य विभाग में कराया जाता है। कर्मकाण्ड सम्बन्धी शास्त्रीय विद्या के अध्ययन तथा अनुष्ठान से समस्त जनों का कल्याण होता है। संसार के सभी जिज्ञासुओं के लिए जो ईश्वराराधना, साधना, सस्वर-रुद्राष्टाध्यायी, कुण्ड-मण्डप-निर्माण, व्रत, संस्कार, प्रतिष्ठा, शान्ति, मुहूर्त्त, रुद्रयाग, विष्णुयाग, दुर्गायाग एवं विभिन्न देवी-देवताओं क यज्ञ-विधान तथा शिलान्यास, गृहप्रवेश, वास्तुशान्ति आदि विविध यज्ञ-अनुष्ठानादि की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह विषय अत्यन्त उपयोगी है। पौरोहित्य से आस्तिक-जन समस्त मनोभिलषित-कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यह विभाग परम्परागत सांस्कृतिक-मूल्यों स युक्त सामाजिक-गतिविधियों तथा रीति-रिवाजों के संरक्षण एवं संवर्धन में छात्रों को योग्य बनाता है। साथ ही साथ आचार, व्यवहार व शिष्टाचार के सनातन-तथ्यों से परिचित कराता है। पौरोहित्य-विषयक अध्ययन के द्वारा वेद मन्त्रों, मुहूर्त्त एवं धर्मशास्त्रीय व्रत-महोत्सवादि का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

प्रो. वृन्दावन दाश

विभागाध्यक्ष, पौरोहित्य विभाग

व्याकरण-विभाग

संस्कृत वाङ्मय के सम्यक्-ज्ञान एवं अध्ययन के लिए व्याकरण-शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। संस्कृत-व्याकरण की संवृद्धि एवं पुष्टता भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अतुलनीय है । विश्व की समस्त भाषाओं मं संस्कृत सबसे परिपूर्ण एवं उन्नत-भाषा स्वीकार की जाती है, जिसका मूल-कारण इसका व्याकरण-सम्बन्धी-पक्ष है। अपनी इस विशेषता के कारण ही यह वेद का सर्वप्रमुख-अङ्ग माना जाता ह । इसके मूलतः पाँच प्रयोजन हैं- रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असन्देह। व्याकरण-शास्त्र का बृहद्-इतिहास है, किन्तु महामुनि पाणिनि और उनके द्वारा प्रणीत 'अष्टाध्यायी' ही इसका केन्द्र- बिन्दु है। पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी' में 4000 सूत्रों की रचना कर भाषा के नियमों को व्यवस्थित किया, जिसमें वाक्यों में पदों का संकलन, पदों का प्रकृति-पत्यय विभाग एवं पदों की रचना आदि प्रमुख तत्त्व हैं । इन नियमों की पूर्त्ति के लिये धातुपाठ, गणपाठ तथा उणादिसूत्र भी पाणिनि ने बनाये। स्त्रों में उक्त, अनुक्त एवं द्विरुक्त-विषयों का विचार कर कात्यायन ने वार्त्तिक की रचना की। बाद में महामुनि पतञ्जलि ने महाभाष्य को रचना कर संस्कृत-व्याकरण को पूर्णता प्रदान की । इन्हीं तीनों आचार्यों को 'त्रिमुनि' के नाम से जाना जाता है । प्राचीन-व्याकरण में इनके द्वारा रचित शास्त्रों का अनिवार्यतः अध्ययन किया जाता है ।

प्राचीनव्याकरण एवं नव्य-व्याकरण दो स्वतन्त्र-विषय हैं । नव्य-व्याकरण के अन्तर्गत प्रक्रिया क्रम के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें भट्टोजि दीक्षित, नागेशभट्ट आदि आचार्यों के ग्रन्थों का अध्ययन मुख्य है।

प्रो. सुजाता त्रिपाठी

विभागाध्यक्ष, व्याकरण विभाग

धर्मशास्त्र-विभाग

ऋषियों द्वारा धार्मिक आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त, भक्ति, इष्टापूर्त्त, नैतिकमूल्यबोध, सामाजिक तथा वयक्तिक कर्त्तव्याकर्त्तव्य की व्यवस्था-हेतु धर्मशास्त्र का प्रणयन किया गया है । वेदविहित कर्मों के आनुपूर्व्य से कल्पनाशास्त्र रूपक-कल्प का यह अङ्गभूत है । इस शास्त्र में मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर, पारस्कर, गौतम, नारद, बृहस्पति, बौधायन, जीमूतवाहन, विज्ञानेश्वर, माधवाचार्य, कौटिल्य-प्रभृति सूत्र, स्मृति, भाष्य एवं तात्कालिक निबन्धात्मक प्राचीन-ग्रन्थों के अध्ययन के साथ ज्वलन्त युगोपयोगी एवं आधुनिकता के साथ सामञ्जस्य रखने वाले विषयों जैसे स्त्री-अधिकार, हिन्दूविधि, संस्कार, नैतिकशिक्षा, पर्यावरण, मानवाधिकार, राजधर्म, दण्ड, अपराध प्रभृति विषयों पर अध्ययन-अध्यापन किया जाता है, जिससे सामाजिक विधि-व्यवस्थाओं के उन्नत दर्शनों का अध्ययन और मानवीय मूल्यों के प्रणयन के साथ-साथ आत्मिक विकास होता है ।

धर्मशास्त्र विभाग द्वारा शास्त्री, आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि स्तर के पाठ्यक्रमों का शिक्षण प्रदान किया जाता है। यह विभाग जनसामान्य को सामाजिक विधिविधान तथा समाज में प्रचलित व पारंपरिक समस्त विधानों एवं व्यवस्थाओं का ज्ञान करवाने के साथ-साथ नीति , राजनीति, अर्थशास्त्र एवं कालविषयों का विचार, पर्व एवम् उत्सवों का सही व्यवस्थापन करता है। चारित्रिक एवं नैतिकविकास करने में इस विभाग का योगदान अतुलनीय है।

प्रो.सुधांशुभूषण पण्डा
विभागाध्यक्ष,धर्मशास्त्र विभाग

ज्योतिष-विभाग

ज्योतिषशास्त्र 'ज्योतिर्विज्ञान' नाम से प्रसिद्ध है, इससे न केवल इसकी वैज्ञानिकता ही प्रकट होती है, बल्कि ग्रह-नक्षत्रों की गति, स्थिति, युति, अमावास्या, पूर्णिमा, ग्रहणादि गणितीय-पदार्थों के वेध के द्वारा दृक्सिद्धि के कारण यह शास्त्र 'विज्ञान' की श्रेणी में प्रत्यक्षत्व की सिद्धि पाप्त करता है। यह शास्त्र सिद्धान्त, संहिता और होरा के रूप में मुख्य तीन स्कन्धों में विभक्त है।

ज्योतिष-विभाग द्वारा सिद्धान्त ज्योतिष और फलित ज्योतिष विषयों में शास्त्री, आचार्य एवं विद्यावारिधि स्तर के निर्धारित पाठ्यक्रमों का अध्यापन किया जाता है। ज्योतिष विभाग जन-सामान्य को ज्योतिष-शास्त्र के परम्परागत ज्ञान से परिचित कराने के लिए एक-एक वर्ष की समयावधि के प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम 'ज्योतिष-प्राज्ञ' एवं 'ज्योतिष-भूषण' सञ्चालित करता है। इसके साथ-साथ 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की स्वीकृति एवं उसके द्वारा प्रदत्त विशेष सहायता योजना (SAP-DRS-I,IIएवंIIIज्यो.) के अन्तर्गत 'मेडिकल-एस्ट्रोलॉजी' में एक वर्ष का प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम सञ्चालित करता है। इस योजना के अन्तर्गत बाह्य-विद्वानों के विशिष्ट-व्याख्यान भी कराये जाते हैं। ज्योतिष-विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 'पञ्चाङ्ग' का निर्माण एवं प्रकाशन तथा षाण्मासिक पत्रिका भैषज्य ज्योतिष मञ्जूषा का प्रकाश किया जाता है।

प्रो. नीलम ठगेला
विभागाध्यक्ष, ज्योतिष-विभाग

वास्तुशास्त्र-विभाग

स्थापत्य के रूप में वास्तुशास्त्र का वर्णन वैदिककाल से ही सर्वत्र दिखाई देता है । दिग् और काल के अनुरूप किसी भी देश एवं स्थान में स्थापत्य का विचार अभोष्ट-व्यक्ति के अनुरूप करना वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है । स्थापत्य के शुभाशुभत्व के विचार के कारण ही ज्योतिष-शास्त्र के संहिता-भाग में वास्तु-विद्या का समावेश हुआ। स्थापत्यवेद के रूप में यह अथर्ववेद का उपवेद भी है।

वास्तु-पुरुष-मण्डल के वर्णन से यह द्योतित होता है कि जैसे हमारा सम्पूर्ण शरीर एक सजीव-इकाई है, परन्तु उसे बनानेवाली सूक्ष्म-कोशिकायें अपने में एक चैतन्य-इकाईयाँ हैं। उनकी प्रतिक्रियायें समग्र शरीर की प्रतिक्रिया होती है। यही एकात्मता का भाव वास्तु में भी प्रधान है। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्र आदि सभी के ऊर्जा प्रभाव के कारण वास्तुरचना अनुकूल और प्रतिकूल-परिणाम देती है। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य सर्वविध-सुखी एवं शान्त-सुरक्षित जीवन से है, जहाँ रहकर व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें।

वास्तुशास्त्र की एक विस्तृत शास्त्रीय परम्परा एवं वर्तमान में इसके स्वरूप एवं लोगों में इस शास्त्र के प्रति रुचि को देखते हुए विश्वविद्यालय ने अन्य विभागों के अनुरूप वास्तुशास्त्र विभाग में भी शास्त्री, आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि की कक्षाओं में प्रवेश सत्र 2013-14 से प्रारम्भ किया गया। जन सामान्य की वास्तुशास्त्र में रुचि को देखते हुए एवं 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के दिशा निर्देशानुसार वास्तुशास्त्र में द्विवर्षीय पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चल रहा है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वास्तुशास्त्र के दुर्लभ एवं गम्भीर शास्त्रीय-ज्ञान से सामान्य-जनता को परिचित कराना है। शनिवार एवं रविवार को अंशकालीन-पाठ्यक्रम के रूप में प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम, डिप्लोमा एवं एडवांस-डिप्लोमा-पाठ्यक्रम भी चलते हैं।

वास्तुशास्त्र-विभाग द्वारा वार्षिक शोधपत्रिका 'वास्तुशास्त्र विमश' का सम्पादन किया जाता है। 'वास्तुशास्त्र विमर्श' का विक्रय एवं आवश्यकतानुसार विद्वानों को उपलब्ध कराने का कार्य विश्वविद्यालय के 'प्रकाशन अनुभाग' द्वारा किया जाता है। वास्तुशास्त्र विभाग द्वारा नैसर्गिक शोध संस्था के साथ मिलकर संयुक्ततत्त्वावधान में प्रतिवर्ष नैसर्गिकपञ्चाङ्ग का भी प्रकाशन किया जा रहा है।

डॉ. अशोक थपलियाल
विभागाध्यक्ष, वास्तुशास्त्र विभाग

दर्शनशास्त्रपीठम्

दर्शन-संकाय के अन्तर्गत आठ विषयों का अध्ययन-अध्यापन, आठ विभागों में होता है। ये आठ विभाग - न्याय-वैशेषिक, सांख्ययोग, अद्वैतवेदान्त, विशिष्टाद्वैतवेदान्त, जैनदर्शन, सर्वदर्शन मीमांसा एवं योग है। भारतीय सनातन-ज्ञान की विविध-परम्पराओं का अध्ययन-अध्यापन इस संकाय के अन्तर्गत सम्पन्न होता है। वस्तुतः भारतीय दार्शनिक विधाओं के सम्बन्ध में गहन अनुसंधान और समाजोपयोगी ज्ञान-निर्माण में इसके विभिन्न विभाग सतत प्रयत्नशील हैं ।

न्याय-वैशेषिक-विषय का प्रमुख-उद्देश्य प्राचीनन्याय एवं नव्यन्याय के पाठ्यग्रन्थों का पारम्परिक-अध्ययन एवं अध्यापन के माध्यम से संरक्षण एवं सम्वर्धन है। न्याय-वैशेषिक-विषय में प्राचीन-न्याय एवं नव्य-न्याय, दो विषयों का अध्ययन-अध्यापन सविधि होता है।

प्रो. केदार प्रसाद परोहा
दर्शनशास्त्रपीठम् प्रमुख

दर्शनशास्त्रपीठम् के विभाग एवं अध्यापक

दर्शनशास्त्रपीठम् प्रमुख - प्रो. केदार प्रसाद परोहा

न्याय वैशेषिक-विभाग

1. प्रो. पीयूषकान्त दीक्षित	प्रोफेसर
2. प्रो. विष्णुपद महापात्र	प्रोफेसर
3. प्रो. महानन्द झा	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
4. डॉ. रामचन्द्र शर्मा	सह पोफेसर

सांख्ययोग-विभाग

1. प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी	प्रोफेसर
2. प्रो. मारकण्डेय नाथ तिवारी	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
3. डॉ. रविशंकर शुक्ल	सह प्रोफेसर

जैनदर्शन-विभाग

1. प्रो. वीर सागर जैन	प्रोफेसर
2. प्रो. अनेकान्त जैन	प्रोफेसर
3. प्रो. कुलदीप कुमार	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

सर्वदर्शन-विभाग

1. प्रो. हरेराम त्रिपाठी	प्रोफेसर
2. प्रो. संगीता खन्ना	प्रोफेसर
3. प्रो. प्रभाकर प्रसाद	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
4. प्रो. जवाहर लाल	प्रोफेसर
5. श्री विजय गुप्ता	सहायक प्रोफेसर

मीमांसा-विभाग

1. प्रो. ए.एस. आरावमुदन	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
2. श्री राजेश कुमार गुर्जर	सहायक प्रोफेसर

विशिष्टाद्वैतवेदान्त-विभाग

1. प्रो. केदार प्रसाद परोहा	प्रोफेसर एवं पीठम् प्रमुख
2. प्रो. के. अनन्त	प्रोफेसर
3. डॉ. सुदर्शनन् एस०	सह प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

अद्वैतवेदान्त-विभाग

4. प्रो. के. अनन्त	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

योग-विज्ञान विभाग

1. प्रो. महेश प्रसाद सिलाड़ी	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
2. डॉ. रमेश कुमार	सहायक प्रोफेसर
3. डॉ. विजय सिंह गुसाई	सहायक प्रोफेसर
4. डॉ. नवदीप जोशी	सहायक प्रोफेसर

न्याय वैशेषिक विभाग

प्राचीन-न्याय

प्राचीन-न्याय विषय का अध्ययन करनेवाले छात्र मुख्यरूप से प्राचीन-न्यायदर्शन एवं वैशेषिक-दर्शन के प्रारम्भिक ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन-न्याय का प्रथम-ग्रन्थ 'न्याय-सूत्र' है। इसके निर्माता महर्षि गौतम हैं। इस ग्रन्थ को आन्वीक्षिकी, न्यायविद्या, न्याय-दर्शन, न्याय-शास्त्र तथा तर्क-शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन में सोलह पदार्थ या तत्त्व माने गये हैं-प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति तथा निग्रहस्थान। इन पदार्थों का विशद विवेचन इस ग्रन्थ में किया गया ह। न्यायशास्त्र के सम्बन्ध में महान् राजनीतिज्ञ कौटिल्य का मानना है कि यह शास्त्र सभी विद्याओं को प्रकाशित करता है-

प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् ।
आश्रयः सर्वधर्माणां सेयमान्वीक्षिकी मता ॥

प्रायः सभी न्यायदर्शन के ग्रन्थ इसी मूल ग्रन्थ पर आधारित हैं। वैशेषिक दर्शन का प्रथम ग्रन्थ वैशेषिक सूत्र है। इसके निर्माता महर्षि कणाद हैं। इस ग्रन्थ को कणाद-दर्शन, औलूक्य-दर्शन एवं वैशेषिक-दर्शन नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव नामक सात पदार्थ माने गय हैं। इन्हीं पदार्थों का विशद-विवेचन इस ग्रन्थ में है। इस दर्शन का नाम वैशेषिक-दर्शन इसलिये पड़ा क्योंकि इस दर्शन ने विशेष नाम का पदार्थ अलग से माना है। वैशेषिक-दर्शन के सभी ग्रन्थ इन्हीं सूत्रों पर आधारित हैं। अधुनातन अनेक भौतिक विज्ञान के सिद्धान्तों का मूलरूप वैशेषिक-दर्शन में मिलता है, इनमें परमाणु, गुरुत्वाकर्षण, प्रक्षेपण आदि के सिद्धान्त प्रमुख हैं। **''द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे यस्य न स्खलिता बुद्धिः तं वै वैशेषिकं विदुः''** यह कथन स्पष्ट करता है कि इस दर्शन में द्वित्व-सङ्ख्या, पाक से होने वाली उत्पत्ति एवं विभाग से उत्पन्न विभाग की विशेष-चर्चा है। न्याय-दर्शन एवं वैशेषिक-दर्शन परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, इसीलिये इन्हें समान-तन्त्र माना गया है। इन दोनों दर्शनों के अध्ययन से छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास होता है तथा किसी भी विषय को युक्ति के आधार पर समझने की कला विकसित होती है।

इस दर्शन में सृष्टि का प्रारम्भ परमाणु से माना गया है। संसार के प्रमुख पाँच तत्त्वों- पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश की वैज्ञानिक-चर्चा यहाँ प्राप्त होती है।

सृष्टि के आधार परमाणु की समीक्षा करते हुए न्यायवैशेषिक दर्शन में स्पष्ट कहा गया है-

जालान्तर्गत भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः।
तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते॥

जब घर में झरोखे से सूर्य की रश्मियाँ प्रवेश करती हैं तब इन रश्मियों के बीच उड़ते हुए जो छोटे-छोटे कण दिखाई पड़ते हैं, इनका छठा-भाग 'परमाणु' कहा जाता है। यह परमाणु-सिद्धान्त प्रायः मूल रूप स अधुनातन-वैज्ञानिकों के सिद्धान्तों से मिलता है। फलतः इस दर्शन का विशिष्ट ज्ञान भविष्य में विज्ञान क्षेत्र में गम्भीर अनुसन्धान की दृष्टि से अत्यन्त उपादेय है। विभागीय अध्यापकों के द्वारा शास्त्र शिक्षण के अतिरिक्त आधुनिक पद्धति से SWAYAM प्लेटफार्म पर ई-पाठादि का निर्माण कर सफल सञ्चालन भी करते रहते है। समय-समय पर छात्रों के मध्य शास्त्रार्थ, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजनादि से उनके समग्र विकास में हमेशा तत्पर रहते हैं।

नव्य-न्याय

नव्य न्याय विषय का अध्ययन करनेवाले छात्र प्रमुखरूप से 'तत्त्व-चिन्तामणि' नामक ग्रन्थ का अध्ययन करते हैं। 'तत्त्व-चिन्तामणि' नव्य-न्याय का प्रथम-ग्रन्थ है। इसके रचयिता आचार्य गङ्गेश उपाध्याय हैं, नव्य-न्याय, न्याय-सूत्र पर ही मूलरूप से आधारित है। न्यायदर्शन के प्रमाण-प्रमेय आदि सोलह पदार्थों का ही नव्य-न्याय के ग्रन्थों में विशिष्ट भाषा एवं शैली में आकर्षक-प्रतिपादन है। प्राचीन न्याय में प्रमेयों की चर्चा प्रधानता से की गयी है, परन्तु नव्य-न्याय में प्रमाणों की चर्चा प्रमुखरूप से गङ्गेश उपाध्याय ने की है। नव्य-न्याय के ग्रन्थों की भाषा, प्रकारता, विशेष्यता, संसर्गता, प्रतियोगिता, अनुयोगिता, अवच्छेदकता, अवच्छेद्यता, निरूपकता-निरूप्यता, कारणता-कार्यता, प्रतिबन्धकता-प्रतिबध्यता, अधिकरणता-आधेयता, व्याप्यता-व्यापकता, विषयता-विषयिता आदि विशिष्टपारिभाषिक शब्दों से भरी है। इन शब्दों से बनी नव्य-न्याय की भाषा अध्येता को किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य को सुस्पष्ट समझाने में अत्यन्त उपयोगी होती है। नव्य-न्याय की भाषा इसीलिये सभी शास्त्रों में विषय को सूक्ष्मरूप से सुस्पष्ट करने की दृष्टि से बाद के सभी समीक्षकों ने अपनायी है। कम्प्यूटर के विशेषज्ञों ने इस भाषा को कम्प्यूटर के लिये सर्वाधिक उपयोगी माना है। इस प्रकार नव्य-न्याय के अध्ययन से न्याय-दर्शन एवं वैशेषिक-दर्शन के अत्यन्त गूढ़ रहस्यों को समझने में जहाँ हम समर्थ होते हैं, वहीं व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य आदि अन्य शास्त्रों के मर्म को भी भली-भाँति समझने समझाने की विलक्षण प्रतिभा भी अनायास प्राप्त कर लेते हैं। नव्य-न्याय के अध्ययन से हर प्रकार का अज्ञान दूर हो जाता है। बुद्धि निर्मल होती है। संस्कृत-पदों के व्यवहार की शक्ति उत्पन्न होती है। शास्त्रान्तर के अभ्यास की योग्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार तर्कशास्त्र में किया गया श्रम छात्रों का हर तरह से उपकार करता है। 'विश्वगुणादर्शचम्पू' में ठीक हो कहा है:-

मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं सूते च संस्कृतपदव्यवहारशक्तिम्।
शास्त्रान्तराभ्यसनयोग्यतया युनक्ति तर्कश्रमो न कुरुते किमिहोपकारम्॥

यह आन्वीक्षिकी न्यायविद्या सुधीजनों के सभी प्रयोजनों को भी सिद्ध करने वाली है। सभी दर्शनों के विख्यात विद्वान् श्रीवाचस्पतिमिश्र न्यायभाष्य की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहते हैं-**'भाष्यकारास्तु नास्त्येतत् प्रेक्षावतां प्रयोजनं, यत्रान्वीक्षिकी न निमित्तं भवति'** प्रत्यक्ष एवं शब्द प्रमाण से विषय का ज्ञान कर लेने के बाद पुनः जो इस विषय को ईक्षण अर्थात् परीक्षण किया जाता है, इसे ही अन्वीक्षा कहा जाता है। जिस शास्त्र में इस प्रकार हर विषय की अन्वीक्षा करते हुए तत्त्व का निर्धारण किया जाता है उसे आन्वीक्षिकी कहते हैं इस

प्रकार यह आन्वीक्षिकी वास्तव में भारतीय अनुसन्धान शास्त्र है तथा हर शास्त्र के लिये उपयोगी है, यह सयुक्ति प्रमाणित होता है।

प्रो. महानन्द झा
विभागाध्यक्ष- न्याय वैशेषिक विभाग

साङ्ख्य-योग-विभाग

साङ्ख्य-योग का अध्ययन करनेवाले छात्र प्रमुखरूप से साङ्ख्य दर्शन एवं योग-दर्शन के आधारभूत-ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं । साङ्ख्य-दर्शन का प्रथम-ग्रन्थ महर्षि कपिल के द्वारा प्रणीत साङ्ख्य-सूत्र है। प्रसिद्ध आचार्य ईश्वरकृष्ण द्वारा रचित 'साङ्ख्यकारिका' इस दर्शन का अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है । इस दर्शन में कुछ पदार्थ केवल प्रकृति हैं, कुछ प्रकृति एवं विकृति हैं, कुछ मात्र विकृति हैं, तो कुछ न प्रकृति हैं और न ही विकृति। इसप्रकार साङ्ख्यदर्शन में स्वीकृत सभी पच्चीस पदार्थों को चार वर्गों में बाँटा गया है ।
कपिल द्वारा प्रणीत साङ्ख्यदर्शन में ईश्वर की सत्ता न होने से इसे 'निरीश्वर साङ्ख्य' कहते हैं । इस दर्शन में प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (घ्राण-रसना-चक्षु-त्वक्-श्रोत्र), पाँच कर्मेन्द्रियाँ (वाक्-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ) मन, पाँच तन्मात्राएँ (गन्धतन्मात्रा-रसतन्मात्रा-रूपतन्मात्रा-स्पर्शतन्मात्रा-शब्दतन्मात्रा) एवं पाँच महाभूत (पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश) एवं पुरुष इसप्रकार कुल पच्चीस पदार्थ माने गये हैं । इन्हीं पदार्थों का अध्ययन इस दर्शन में कराया जाता है । योग-दर्शन का प्रथम ग्रन्थ महर्षि पतञ्जलि द्वारा प्रणीत 'योग-सूत्र' है । इस ग्रन्थ को 'पातञ्जल योगदर्शन' के नाम से भी जाना जाता है । इस योग-दर्शन में साङ्ख्य दर्शन के ही सभी पच्चीस पदार्थ माने गये हैं, केवल पुरुष-विशेष के रूप में एक ईश्वर नाम का पदार्थ यहाँ अतिरिक्त स्वीकार किया गया है । इसीलिये योगदर्शन को 'सेश्वर साङ्ख्यदर्शन' भी कहा जाता है ।

प्रो. मारकण्डेय नाथ तिवारी
विभागाध्यक्ष, सांख्ययोग विभाग

जैनदर्शन-विभाग

जैनदर्शन ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यन्त चौबीस अर्हन्त तीर्थङ्करों को 'जिन' कहते हैं । जिन के दर्शन को ही जैन दर्शन कहते हैं । जैनदर्शन के तत्त्वज्ञान को सूत्रशैली में प्रस्तुत करने वाला 'तत्त्वार्थ-सूत्र' आचार्य उमास्वामी के द्वारा लिखित एक अद्वितीय-ग्रन्थ है । 'तत्त्वार्थसूत्र' में प्रस्तुत विषयों का ही विशद विवेचन प्रायः जैन-दर्शन के अन्य-ग्रन्थों में भी किया गया है, जिनका अध्ययन-अध्यापन जैन-दर्शन विषय के अन्तर्गत होता है। हरिभद्रसूरि का 'षड्दर्शनसमुच्चय' एवं 'शास्त्रवार्त्तासमुच्चय' भी जैनदर्शन की मान्यताओं को समझने में अत्यन्त उपादेय हैं। जैन-दर्शन में जीव-अजीव-आस्रव-बन्ध-संवर- निजरा-मोक्ष-ये सात तत्त्व माने गये हैं । इनका तात्त्विक विश्लेषण 'तत्त्वार्थ-सूत्र' में सुलभ है । जैनदर्शन का 'अनेकान्तवाद' एवं 'स्याद्वाद' आज के आधुनिक युग में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन में अत्यन्त उपादेय है ।

प्रो. कुलदीप कुमार
विभागाध्यक्ष, जैनदर्शन विभाग

सर्वदर्शन-विभाग

सर्वदर्शन विभाग दर्शनशास्त्र क सर्वाङ्गोण अध्ययन-अध्यापन के लिए प्रतिबद्ध है। दर्शन का लक्ष्य निःश्रयस् की प्राप्ति है। सामान्य व्यक्ति का परम-लक्ष्य भौतिक के साथ-साथ आध्यात्मिक भी हो सकता है।। दर्शनशास्त्र दोनों मार्गों का औचित्य बतलाते हुए कर्तव्याकर्तव्य, शुभाशुभ का दिशाबोध कराता है । अतः व्यक्ति के भौतिक एवं

आध्यात्मिक विकास के लिये दर्शनशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है, इस उद्देश्य से दर्शनशास्त्रपीठम् के अन्तर्गत दर्शन की सभी शाखाओं एवं संस्थाओं का परिज्ञान कराने के लिए स्वतन्त्र रूप से सर्वदर्शन विभाग संयोजित किया गया है।

भारतीय दर्शन का आरम्भ वेदों से हाता है, इसका उत्कर्ष उपनिषदों में एवं उत्तरवर्ती शास्त्र परम्परा में मिलता है। कालान्तर में यथार्थ तत्त्व को अलग-अलग विश्लेषण के आधार पर समझाने की प्रक्रिया में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त- इन षड्दर्शनों का एवं चार्वाक, जैन, बौद्ध, शैवादि दर्शन का अभ्युदय हुआ । इन सभी दर्शनों को सूत्र-शैली में प्रस्तुत किया, जो तत्तत् दर्शनों के सूत्र-ग्रन्थों जैसे- साङ्ख्यसूत्र, योगसूत्र, न्यायसूत्र, वैशेषिकसूत्र, मीमांसासूत्र एवं ब्रह्मसूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वदर्शन विषय में इन सभी दर्शनों का अध्ययन उनके आधारभूत सूत्रग्रन्थों एवं भाष्यग्रन्थों के माध्यम से करवाया जाता है । साथ ही समकालीन-दशन एवं पाश्चात्य दर्शन का संक्षिप्त-ज्ञान भी दिया जाता है।

विभाग के सम्मानित आचार्य दर्शन के विविध क्षेत्रों में ग्रन्थलेखन एवं शोध योजनाओं के माध्यम से रचनात्मक प्रस्तुति के लिए कृतसंकल्प रहते हैं। विभाग से उपाधि प्राप्त छात्र देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। दर्शन के महत्त्व को सुनिश्चित करते हुए अन्य विषयों के साथ इसके तुलनात्मक अध्ययन के उद्देश्य से दर्शन के मूलभूत विषयों को पाठ्यक्रम में रखा गया है। शोध कार्य के माध्यम से दर्शन के महत्त्वपूर्ण विषयों के प्रकाशन एवं पाण्डुलिपि सम्पादन द्वारा यह विभाग समृद्ध हो रहा है। शिक्षा के साथ व्यवहार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से भी सर्वदर्शन का अध्ययन उपयोगी है, ऐसा सुनिश्चित होता है।

प्रो. प्रभाकर प्रसाद
विभागाध्यक्ष, सर्वदर्शन विभाग

मीमांसा-विभाग

भारतीय दर्शनो में मीमांसा दर्शन का उत्कृष्ट स्थान है। मीमांसा शब्द का अर्थ पूजित-विचार होता है। "पूजित-विचार वचनो मीमांसा शब्दः" इति प्रसिद्धिः। "कर्मेति-मीमांसकाः" इस वचन के अनुसार मीमांसा की दृष्टि से कर्म को ही ईश्वर माना जाता है। इस दर्शन का प्रवर्तक भगवान् महर्षि जैमिनि हं। इस दर्शन में द्वादश अध्याय हैं, इसलिए इसे द्वादशलक्षणी" नाम स जाना जाता है। इस दर्शन मं 907 अधिकरण हैं। प्रत्येक अधिकरण में एक -एक न्याय उपलब्ध है। ये सभी न्याय लौकिल रीति के अनुसार लिखे गये हैं। उपलब्ध सभी न्यायों के अनुसार ही सम्पूर्ण लोक नियमित है।

इस दर्शन में धर्म विचार ही मुख्य लक्ष्य है। यहाँ धर्म शब्द कर्म परक है। यही समझाने के लिए महर्षि जैमिनि ने "अथातो धर्म जिज्ञासा" सूत्र से इस दर्शन का आरम्भ किया। इस मीमांसा दर्शन के आधारभूत ग्रन्थ "शाबरभाष्यम्", "श्लोकवार्तिकम्", "शास्त्रदीपिका", न्यायरत्नमाला, न्यायमञ्जरी, प्रकरण पञ्चिका, तौताति-कमततिलकम्, जैमिनीयन्यायमाला, मीमांसा न्याय प्रकाशः, इत्यादिन ग्रन्थ मीमांसा विभाग मे अध्यापन किये जाते है। एवं लौकिक व्यवहार तथा न्यायालय की न्याय प्रणाली मे मीमांसा शास्त्रोक्त न्यायो का अत्यन्त महत्वपूर्ण उपकार है।

इसलिए मीमांसा दर्शन का अध्ययन करने से उत्साही छात्र-छात्राओं का सर्वोन्मुख विकास अवश्य होगा।

प्रो. ए. एस. आरावमुदन
विभागाध्यक्ष, मीमांसा विभाग

विशिष्टाद्वैत वेदान्त-विभाग

विशिष्टाद्वैतशब्द वेदान्त दर्शन में तीन तत्त्वों का समावेश है- जीव, प्रकृति, ब्रह्म-चिदचिद्विशिष्टब्रह्म अर्थात् चित् शब्द का अर्थ जीव, अचित् शब्द का अर्थ प्रकृति (जगत्) एवं इन दोनों तत्त्वों से विशिष्ट ब्रह्म है। इस सिद्धान्त में जीव एवं प्रकृति से भी विशिष्ट ब्रह्म-तत्त्व है अभिप्राय यह हुआ कि जीव भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है, इनमें रहनेवाले विशिष्ट ब्रह्म को साक्षात् ईश्वर, भगवान् श्रीमन्नारायण आदि नामों से जाना जाता है। स्वयं भगवान् से प्रवर्तित विशिष्टाद्वैत-दर्शन का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि व्यास, बोधायन, नाथमुनि-यामुन-भगवद्रामानुजाचार्य-वेदान्तदेशिक आदि आचार्यों ने अपने ग्रन्थों, कृतियों से आज भी प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं।

सदाचार से युक्त मानव समाज को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने व उनके प्राप्ति के मार्गों के उपाय विशिष्टाचार्यों ने शास्त्रों में प्रतिपादित किया है।

वेदों के अन्तिम-भाग को 'वेदान्त' के नाम से जाना जाता है, व्यवहार में इसे ज्ञानमीमांसा भी कहते हैं। आचार्यों ने 'अर्थपञ्चक' का निरूपण इस प्रकार से किया है:-

प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मन:।
प्राप्त्युपाय: फलं चैव तथा प्राप्तिविरोधि च ।।

अर्थात् प्राप्त ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप, ब्रह्म को प्राप्त करनेवाले जीव का यथार्थ-स्वरूप, परब्रह्मप्राप्ति के साधन, परबह्म-प्राप्ति का फल तथा परब्रह्म की प्राप्ति के अवरोधक-ज्ञान को ही 'अर्थपञ्चक' कहते हैं। अलौकिक तत्त्व का ज्ञान वेदान्त के भेद एवं अभेद-वाक्यों का उपनिषद् के द्वारा प्रमाण मानने से स्पष्ट हो जाता है। विशिष्टाद्वैतवेदान्त दर्शन में सभी वेद-वाक्यों का समन्वयपरक-अर्थ किया है। इस वेदान्त-दर्शन के आधार-ग्रन्थ सिद्धित्रयम्, स्तोत्ररत्न श्रीभाष्यम् तत्त्वमुक्ताकलाप, न्यायसिद्धाञ्जनम्, न्यायपरिशुद्धि शतदूषणी आदि प्रौढ ग्रन्थ एवं यतीन्द्रमतदीपिका वेदान्तकारिकावली आदि प्रकरण ग्रन्थ हैं। ये समस्त ग्रन्थ अध्ययन के लिए पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किये गये हैं। विशिष्टाद्वैतवेदान्त का अध्ययन करने हेतु इच्छुक छात्र-छात्राओं का समुचित सर्वतोन्मुखी विकास अवश्य होगा।

डॉ. सुदर्शनन् एस.

विभागाध्यक्ष- विशिष्टाद्वैत वेदान्त विभाग

अद्वैतवेदान्त-विभाग

जब अन्य पारम्परिक विश्वविद्यालय सामान्यत: भारतीय दर्शन पढ़ाते हं, 'श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृत विश्वविद्यालय ', अद्वैत वेदान्त का अधिक केन्द्रित और गहन अध्ययन-अध्यापन प्रस्तुत करता है, जो भारतीय दर्शनशास्त्रीय विचार की एक लोकप्रिय, निरपेक्ष और आदर्शवादी प्रणाली है।

महान् भारतीय दाशर्शनिक, आचार्य शङ्कर के द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदान्त, व्यष्टि आत्मा के साथ सर्वोच्च समष्टि आत्मा की पहचान कराता है। यह भारत की समृद्ध विरासत का अभिन्न अंग है।

अद्वैत वेदान्त का केन्द्रीय विषय संक्षेप में इस तरह से हो सकता है कि ब्रह्म एक ही वास्तविक तत्त्व है; बाकी सब कुछ अनृत, मिथ्या जो ब्रह्म में कल्पित है। जगत् वास्तविक नहीं है क्योंकि यह अवास्तविक माया का प्रक्षेपण है। हालांकि यह व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पर्याप्त वास्तविक है।

अद्वैत वेदान्त विभाग छात्रों के लिए उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और उच्च स्तर के अन्य ज्ञान विचार से युक्त एक समृद्ध पाठ्यक्रम प्रदान करता है। विभाग के अध्यापक, अपने शिक्षण कार्य के अलावा विविध सङ्गोष्ठियों में भाग ग्रहण करते हैं तथा आधुनिक पद्धति से ई-पाठादि के द्वारा ज्ञान सम्प्रेषण में तत्पर रहते हैं।

प्रो. के. अनन्त

विभागाध्यक्ष, अद्वैतवेदान्त विभाग

योग-विज्ञान विभाग

योग शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए विश्व की प्राचीनतम-प्रणाली है। शताब्दियों से भारत में योगियों, ऋषियों एवं मनीषियों द्वारा योग का अभ्यास किया गया है, जिसके द्वारा जीवन के परम-लक्ष्य कैवल्य (मोक्ष) को प्राप्त किया जाता है। योगविद्या से मानसिक शान्ति एवं शारीरिक संतुलन का दिव्य-प्रभाव बना रहता है, इससे मेरुदण्ड में लचीलापन एवं स्नायुतन्त्र में निरन्तर-वृद्धि होने लगती है, इससे शनैः-शनै मूलाधारादि षट्चक्रभेदन भी होने लगता है। योगासन क्रिया अन्य व्यायामादि-क्रियाओं से नितान्त-भिन्न है। क्योंकि योगक्रियाओं में श्वास-प्रणाली को केन्द्रित कर योगाभ्यास किया जाता है।

मानव, योग-प्रणाली द्वारा अपने खोये हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर सकता है, यह प्रणाली मानसिक शान्ति को जन्म देती है, तथा आत्मतत्त्व में गुप्तशक्तियाँ उद्घाटित करती है, साथ ही अपने संकल्पशक्ति में प्रचुर-वृद्धि कर करती है, एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है मानव इस प्रणाली द्वारा आत्म साक्षात्कार के उत्कृष्ट शिखर पर आसीन हो सकता है। अर्थात् आत्मस्वरूप को पहचानने में सक्षम हो जाता है। लिखा है-**तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्**

योगक्रिया आसन, मन एवं शरीर के सूक्ष्म सम्बन्ध के पूर्णज्ञान पर आधारित एक अद्भुत-मनःशारीरिक प्रणाली है, अन्य सभी योग-कर्मयोग, राजयोग, भक्तियोग एवं ज्ञानयोग आदि की सिद्धियों के लिए यह एक साधन प्रक्रिया है।

भगवान् हिरण्यगर्भ को ही योग का प्रथम-उपदेष्टा माना गया है, **हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः** परन्तु इसे सूत्ररूप में परिणत करने वाले महर्षि पतञ्जलि का नाम योगदर्शन में अग्रणी-रूप से स्वीकार किया गया है। योग को 'समाधि' के अर्थ में स्वीकार करते हुए **''योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः''** इत्यादि सूत्रों से शास्त्र का प्रतिपादन एवं प्रारम्भ किया गया है, जिसका सम्पूर्ण योगशास्त्र में उल्लेख है। योगदर्शन में मुख्यरूप से अष्टांगयोग का उल्लेख माना जाता है, जिसमें योग के आठ अंगों का विस्तार स उल्लेख किया गया है, तथा अष्टम-सोपान जो समाधि है, उसे भी दो भेदों में गूढतम रहस्यों द्वारा प्रतिपादन किया गया है, अन्त में योग का फल मोक्ष को भी प्रमाणपूर्वक सिद्ध किया गया है। कहा गया है (जीवन ही योग है, योग ही मोक्ष है)।

वर्तमान में मानव जीवन में मानसिक, शारीरिक आधि-व्याधियों को देखते हुए तथा योगविद्या का अनुकूल व्यावहारिक-पक्ष स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालय में योग-विभागों की स्थापना की है। उसी क्रम में केन्द्रस्थ श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में भो यू.जी.सी. द्वारा योग एक स्वतंत्र-विभाग के रूप मं स्थापित हुआ है। बी.ए. (योग) एवं एम.ए. (योग)का पाठ्यक्रम अध्ययन एवं अध्यापन संस्कृत, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में हो रहा है। साथ ही विभागान्तर्गत पी. जी. योग डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहे हैं।

प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी

विभागाध्यक्ष, योग-विज्ञान विभाग

साहित्य एवं संस्कृतिपीठम्

साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः।

''साहित्य, संगीत और ललित कलाओं से विहीन मनुष्य को पशुवत् ही मानना चाहिए'' ऐसी सूक्ति संस्कृत साहित्य की महनीयता प्रकाशित करती हैं। श्री ला.ब.शा.रा.सं. विश्वविद्यालय का 'साहित्य एवं संस्कृतिपीठम्' भारतीय वाङ्मय एवं संस्कृति के अध्ययन का एक प्रमुख-केन्द्र है। इस पीठम् के अन्तर्गत संस्कृत-साहित्य, पुराणेतिहास, प्राकृतभाषा विभाग विद्यमान हैं।

साहित्य इस विश्वविद्यालय का सर्वाधिक प्रशस्त-विषय है,यह विभाग संस्कृत-साहित्य, काव्यशास्त्र तथा नाट्यशास्त्र के अध्ययन में विख्यात है। साहित्य का पाठ्यक्रम उसी प्रकार बनाया गया है, जिसके द्वारा प्रत्येक छात्र काव्यविधा में -काव्यशास्त्र तथा नाट्यविधा में-नाट्यशास्त्र का सम्यक् अध्ययन कर सकें। सैप के अन्तर्गत बृहत्त्रयी-पदानुक्रम कोश का लगभग साठ प्रतिशत काम पूरा कर लिया है। शेष-कार्य पूरा करने के लिये (DRS-II) द्वारा द्रुत गति से प्रयासरत है। सैप का अपना एक लघु-पुस्तकालय है, जो छात्रों के अध्ययन के लिये सहायक है। निर्धारित-पाठ्यक्रमों के अध्ययन के अतिरिक्त श्लोकावृत्ति, अन्त्याक्षरी, समस्यापूर्ति, श्लोकरचना, सद्यः निबन्ध-रचना, संस्कृत-साहित्य का भाषान्तर-साहित्य-सम्बन्ध, काश्मीरीय-वाङ्मयानुशीलन आदि के बारे में छात्रों को अतिरिक्त-समय पर शिक्षा दी जाती है।

पुराणेतिहास भारतीय पुराणविद्या के समग्र-अध्ययन का केन्द्र है। जिसमें छात्रों को तथा आधुनिक समाज को प्राचीन भारतीय गौरव का परिचय प्रदान करने की मौलिक-शिक्षा दी जाती है।

प्राकृतभाषा-विभाग भारत की अति प्राचीन प्राकृतभाषा, अपभ्रंशादि प्राचीन समृद्ध भाषाओं जैनागम तथा शिलालेखादि के अध्ययन का एक विशिष्ट केन्द्र है, जो अपनी गुणवत्ता तथा स्वाध्याय प्रवचन के लिए विश्रुत है।

अध्ययन में गुणवत्ता लाने हेतु छात्रों को NET, JRFआदि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के लिये अपने सुयोग्य अध्यापकों द्वारा पृथक् शिक्षा दी जाती है।

प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल
साहित्य-संस्कृतिपीठम् प्रमुख

साहित्य एवं संस्कृतिपीठम् के विभाग एवं अध्यापक

पीठम्-प्रमुख प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल
साहित्य, पुराणेतिहास एवं प्राकृतभाषा विभाग

साहित्य -विभाग

1. प्रो. शुकदेव भोइ	प्रोफेसर
2. प्रो. भागीरथि नन्द	प्रोफेसर
3. प्रो. धर्मानन्द राउत	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
4. प्रो. सुमन कुमार झा	प्रोफेसर
5. डॉ. अरविन्द कुमार	सह प्रोफेसर
6. डॉ. बेजवाडा कामाक्षम्मा	सहायक प्रोफेसर
7. डॉ. सौरभ दुबे	सहायक प्रोफेसर
8. डॉ. अनमोल शर्मा	सहायक प्रोफेसर

पुराणेतिहास-विभाग

1. प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल	प्रोफेसर एवं पीठम्प्रमुख / विभागाध्यक्ष

प्राकृतभाषा-विभाग

1. प्रो. सुदीप कुमार जैन	प्रोफेसर
2. प्रो. कल्पना जैन	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

साहित्य-विभाग

'पञ्चमी साहित्यविद्या'- आचार्य राजशेखर की उक्ति के अनुसार वेद आदि चार विद्याओं के अतिरिक्त पञ्चमी-विद्या के रूप में साहित्य का अनिवार्य स्थान माना गया है। वर्तमान युग में भी यह उक्ति चरितार्थ है, क्योंकि निखिल विश्व साहित्य और साहित्यशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र, कला और कलाशास्त्र, संगीत और संगीतशास्त्र, नाट्य और नाट्यशास्त्र आदि इसके अन्तर्गत होने के कारण लोकजीवन में यह साहित्य प्रतिपद अनुभूत होता है। विश्व वाङ्मय में 'संस्कृत' शब्द के उच्चारण-मात्र से सामाजिक सद्यः व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि का तथा रामायण, महाभारत, अभिज्ञानशाकुन्तल, मेघदूत आदि का स्मरण करता है। इससे संस्कृत-साहित्य की महिमा और लोकप्रियता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। तथापि संस्कृत-साहित्य की अगणित-विद्याओं में से वर्गीकृतरूप से काव्य-काव्यशास्त्र, अलंकार-अलंकारशास्त्र, नाट्य-नाट्यशास्त्र एवं पाश्चात्य-काव्यशास्त्र आदि भागों को विशेषरूप से साहित्य-विभाग के पाठ्यक्रम में रखा गया है। जैसे काव्यभाग में कालिदास, भवभूति, भारवि माघ, श्रीहर्ष, बाण आदि के क्रमशः मेघदूत, कुमारसम्भव आदि उत्तररामचरित, किरातार्जुनीय, शिशुपालवध, नैषधीयचरित, कादम्बरी आदि काव्य, काव्यशास्त्र में 'षट्-प्रस्थान' के अन्तर्गत प्रमुखरूप से भरतमुनि, अभिनवगुप्त, वामन, कुन्तक, आनदवर्धन, क्षेमेन्द्र एवं तत्तत् पक्ष-समर्थक मम्मट, भामह, विश्वनाथ आदि को रखा गया है। इन पारम्परिक काव्यशास्त्रों के साथ अध्येताओं के लिए अलंकारशास्त्र के अन्तर्गत काव्यालङ्कार, चित्रमीमांसा, अलकांरसर्वस्व आदि तथा नाट्य-नाट्यशास्त्र के अन्तर्गत भरतनाट्यशास्त्र, नाट्यदर्पण, अभिवनभारती, स्वप्नवासवदत्तम्, चारूदत्तम्, वेणीसंहार, अभिज्ञानशाकुन्तलम् आदि पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य एवं साहित्यशास्त्र से छात्रों को परिचित कराने की दृष्टि से शास्त्री एवं आचार्य के पाठ्यक्रम में प्रसिद्ध कृतियों के चयनित अंश रखे गए हैं। विकल्पाधारित-पाठ्यक्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत आचार्य-स्तर पर भाषाविज्ञान एवं पाश्चात्यकाव्यशास्त्र का अध्यापन भी प्रारम्भ किया गया है। साथ ही अर्वाचीन संस्कृत-साहित्य से सम्बद्ध-पत्र भी प्रारम्भ किये गये हैं। साहित्य-विभाग का प्रयास है कि शास्त्री से आचार्य तक अध्ययन के उपरान्त छात्र एक पूर्ण-विकसित साहित्य-परम्परा से उद्बुद्ध हो। स्नातकोत्तर स्तर पर काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र एवं अलंकारशास्त्र के रूप में संस्कृत-साहित्य एवं साहित्यशास्त्र के विशद अध्ययन एवं अध्यापन से इस विभाग का गौरव और अधिक वर्द्धित है। आगामी सत्र से साहित्य विभागान्तर्गत आचार्य स्तर पर नाट्यसाहित्य एवं नाट्यशास्त्र नामक अन्तः शास्त्रीय-विभाग स्थापित किया गया है।

वर्तमान-युग में शोध की दृष्टि से तथा जनसामान्य के लाभ के लिये महाकाव्यों की प्रासङ्गिकता के प्रचार-प्रसार एवं विशद अध्ययन की दृष्टि से विभाग में 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की विशेष आर्थिक अनुदान (SAP) से 'बृहत्त्रयी बृहत्कोशयोजना' के रूप में एक विभागीय शोधयोजना-1 (D.R.S-1) की समाप्ति के उपरान्त (D.R.S-II)चल रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग के निर्देशानुसार साहित्य-विभागीय-पाठ्यक्रम का संशोधन एवं विस्तार विभागीय अध्ययनमण्डल के द्वारा किया गया, जिसमें भरत से लेकर आधुनिक कालपर्यन्त समस्त साहित्यशास्त्रीय-ग्रन्थों का समावेश किया गया है। इस निमित्त पृथक्-कक्षाओं का संचालन साहित्य-विभागाध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। विद्वत्परिषद् के निर्णय के अनुपालन में सभी आधुनिक-विषयों के अध्ययन एवं अध्यापन की व्यवस्था इसी विभाग द्वारा की जाती है।

प्रो. धर्मानन्द राउत
विभागाध्यक्ष, साहित्य विभाग

पुराणेतिहास-विभाग

प्राचीन भारतीय-शास्त्रों में पुराणों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण-स्थान है। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास तथा उनकी परम्परा के ऋषियों-महर्षियों द्वारा समग्र वैदिक एवं स्मार्त-शास्त्रज्ञान को भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सहजता से सुलभ कराने हेतु पुराणों का सृजन किया गया था। यह विषय भारतीय समाज की समग्र ऐतिहासिक-परम्परा को अपने भीतर संजोये हुए है। भारतीय-समाज में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित, मन्वन्तर, स्थान, पोषण, ईशानुकथा, निरोध,-मुक्ति जैसी दश महत्त्वपूर्ण-विद्याओं को प्रकाशित करने वाला यह विषय इस देश की अनेक पुराविद्याओं का ज्ञान अपने भीतर स्थापित किये हुये है।

भारतीय ज्ञान-विज्ञान की सभी शाखाओं के व्यावहारिक-सूत्र इसमें विद्यमान होने के कारण यह विद्या अपने उद्भव से लेकर आज तक भारतीय समाज में लोकप्रिय रही है। आज भी श्रीमद्भागवत, वाल्मीकिरामायणम्, महाभारतम्, विष्णुपुराण इत्यादि ग्रन्थों की कथायें समाज में प्रतिदिन होती रहती हैं। इस विद्या के अध्येता छात्र आगे जाकर देश में अत्यन्त प्रतिष्ठा एवं समृद्धि अर्जित करते हैं। भारतीय पुरालेख, लिपि, मुद्राशास्त्र, चित्रकला, काव्यशास्त्र तथा ललित कलाओं के साथ तीर्थ, वन, नदी-पर्वत, भूगोल, खगोल तथा मानविकी जैसे विषयों को नैतिक शिक्षा के साथ ज्ञान प्रदान करने वाला विषय पुराणेतिहास है। भारतीय परिवेश को उसकी सम्पूर्ण गहराई से जानने के लिये पुराणेतिहास को जानना आवश्यक है।

प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल
विभागाध्यक्ष, पुराणेतिहास
विभाग

प्राकृतभाषा-विभाग

''**वाचः प्राकृत-संस्कृतौ श्रुतिशिरो**'' आद्य-शंकराचार्य की इस उक्ति के अनुसार प्राकृत और संस्कृत-दोनों भाषायें भारतीय-विद्या की संवाहिका हैं।

समस्त भाषाशास्त्रियों ने भारत की प्राचीनतम्-लोकभाषा के रूप में प्राकृतभाषा के अस्तित्व एवं महत्त्व को स्वीकार किया है। आचार्य पाणिनि, चण्ड, वररुचि, समन्तभद्र आदि अनेकों पख्यात भाषाविद्-मनीषियों ने प्राकृत के व्याकरण ग्रन्थ लिखे। भगवान्-महावीर और महात्माबुद्ध जैसे प्रख्यात ऐतिहासिक महापुरुषों ने अपने उपदेश इसी भाषा में प्रदान किये। सम्पूर्ण आगम-साहित्य इसी भाषा में निबद्ध है। लोक-साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में प्राकतभाषा-निबद्ध साहित्य प्राप्त होता है। यथा-रूपकसाहित्य,काव्यसाहित्य, कथासाहित्य, चरितसाहित्य, दार्शनिकसाहित्य, छंदशास्त्रीयग्रंथ, कोशग्रंथ, मुक्तकसाहित्य, वास्तुशास्त्रीयग्रन्थ, ज्योतिषशास्त्रीयग्रन्थ, गणितशास्त्रीयग्रन्थ, भूगोलविद्या, खगोलविद्या, रसायनशास्त्र, धातुवाद, वनस्पतिशास्त्र, भूविज्ञान, रत्नविद्या आदि अनकेविध ज्ञान-विज्ञान के विषय अति-प्राचीनकाल से प्राप्त होते हैं, तथा विश्वभर के विद्वानों ने इनका अप्रतिम-महत्त्व माना है।

विविध भारतीय आंचलिक एवं क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी भी प्राकृत-अपभ्रंश की परम्परा में विकसित हुई है, संस्कृतभाषा के मूल-उत्स छान्दस्भाषा (वेदों की भाषा) में भी प्राकृतभाषायी-तत्त्वों की प्रचुरता है।

अतः भारतीय भाषाशास्त्र, भाषाओं, बोलियों के क्रमिक विकास को समझने के लिए प्राकृतभाषा एवं इसके साहित्य का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है।

प्राचीन भारत के सभी शिलालेख (अभिलेखीय साहित्य) प्राकृतभाषा में ही निबद्ध है। प्राङ्-मौर्ययुगीन अभिलेख, सिक्के, सम्राट् अशोक के अभिलेख, सम्राट् खारवेल का अभिलेख, वडली का अभिलेख इन सभी

की भाषा प्राकृत है। प्राकृतभाषा का बहुआयामी साहित्य भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला, दर्शन व ज्ञान-विज्ञान की महत्त्वपूर्ण-धरोहर है।

शास्त्री प्रथमवर्ष से लेकर विद्यावारिधि तक प्रायः इन सभी विधाओं के प्राकृतभाषा की वाङ्मय के ग्रन्थ विशेषज्ञ-समिति द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गये हैं, जिनमें सम्राट अशोक व खारवेल के अभिलख, आचारांगसूत्र, समयपाहुड, पवयणसार आदि आगमग्रंथ, प्राकृतलक्षण, प्राकतप्रकाश, सिद्धहैमशब्दानुशासन जैसे व्याकरणग्रंथ, चारुदत्तं, मृच्छकटिकं, अभिज्ञान-शाकुन्तलं, कप्पूरमंजरीसट्टगं, सुभद्दाणाडिगा जैसे रूपकग्रंथ, गाहासत्तसई एवं वज्जालग्गं जैसे मुक्तककाव्यग्रंथ, समराइच्चकहा, लीलाववईकहा एवं कुवलयमालाकहा जैसे कथाग्रंथ, पउमचरियं आदि चरित्रग्रन्थ समाहित हैं। इनका नियमितरूप से अध्ययन-अध्यापन व अनुसन्धान का कार्य प्राकृतभाषा विभाग द्वारा किया जाता है।

प्रो. कल्पना जैन
विभागाध्क्ष, प्राकृतभाषा विभाग

शिक्षाशास्त्र पीठम्

शिक्षाशास्त्र-पीठम् के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र-विभाग विश्वविद्यालय का एक प्रमुख-विभाग है। विभाग का लक्ष्य संस्कृत-शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण-अधिगम प्रणालियों में सामर्थ्य विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध, कुशल एवं आत्मविश्वास युक्त शिक्षक एवं अध्यापक-शिक्षक तैयार करना है। इस प्रयोजन की सम्प्राप्ति-हेतु विभाग का मुख्य ध्येय संस्कृत शिक्षणशास्त्र पर केन्द्रित शिक्षण अधिगम प्रणालियों का प्रभावी नियोजन, अभिकल्पन एवं क्रियान्वयन, नवाचारी कार्यक्रमों को संवर्द्धित करना तथा अन्तर्विद्यापरक शोध-उपागमों की प्रयोज्यता एवं उपादेयता सुनिश्चित करना है। विभाग द्वारा शिक्षाशास्त्री (बी.एड.), शिक्षाचार्य (एम.एड.),एवं विद्यावारिधि (पीएच.डी.) शिक्षा पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) एवं शिक्षाचार्य (एम.एड.) पाठ्यक्रम NCTE-2009 एवं संशोधित द्विवर्षीय बी.एड. NCTE-अधिनियम 2014 के अनुरूप है तथा NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन दोनां पाठ्यक्रमों में प्रवेश शिक्षाशास्त्री (बी.एड्.) प्रवेश परीक्षा-SSET एवं शिक्षाचार्य (एम.एड.) प्रवेश परीक्षा-SAET के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसी प्रकार विद्यावारिधि (पीएच.डी.)-शिक्षा हेतु भी प्रवेश राष्ट्रीय स्तरीय विद्यावारिधि-प्रवेश-परीक्षा (VVET) के आधार पर किया जाता है। यह पाठ्यक्रम यू.जी.सी-2016 के अधिनियमानुसार आयोजित किया जाता है।

सम्प्रति यह विभाग उत्कृष्ट भौतिक संसाधनो एवं सुविधाओं से सुसज्जित है। विभागीय पुस्तकालय एवं संसाधन कक्ष सहित विद्यार्थियां को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने हेतु शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें अपेक्षित सभी संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध है। इसके साथ विभाग में सुयोग्य, सुप्रशिक्षित एवं अनुभवी-अध्यापक-शिक्षक हैं, जो अपने विषयों में विशेषज्ञता एवं उच्च-प्रवीणता रखते हं। प्रत्येक शैक्षणिक-सत्र में विभागीय पत्रिका 'शिक्षा ज्योति' का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें विभाग द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थियों के लेख शामिल होते हं। पीठम्-विकास-हेतु शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े ज्वलन्त एवं समसामायिक-मुद्दों पर विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय-स्तर की संगोष्ठी एवं विशिष्ट-व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है। संगोष्ठी-कार्यवृत्त को प्रतिवर्ष प्रकाशित भी किया जाता है। विभाग द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण कार्यशालाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें आमंत्रित विषय-विशेषज्ञ एवं विभागीय-अध्यापक एन.सी.टी.ई. एवं यू.जी.सी. नियमों के तहत पाठ्यक्रमों को अद्यतन एवं प्रासंगिक-स्वरूप प्रदान करते है। शिक्षाचार्य (एम.एड.), एवं विद्यावारिधि (पीएच.डी.) स्तरों पर औपचारिक रूप से किये जाने वाल शोध-कार्य मुख्यत: शिक्षा-दर्शन, शिक्षा-मनोविज्ञान, प्राचीन-भारतीय-शिक्षा, शिक्षा के सन्दर्भ में शास्त्र-समीक्षा आदि विषयों पर केन्द्रित होते हैं।

प्रो. सदन सिंह
शिक्षाशास्त्रपीठम् प्रमुख

शिक्षाशास्त्र पीठम् से सम्बद्ध विभाग एवं सदस्य

शिक्षाशास्त्र विभाग

1.	प्रो. रमेश प्रसाद पाठक	प्रोफेसर
2.	प्रो. के. भारतभूषण	प्रोफेसर
3.	प्रो. रचना वर्मा मोहन	प्रोफेसर
4.	प्रो. सदन सिंह	प्रोफेसर एवं पीठम्प्रमुख
5.	प्रो. विमलेश शर्मा	प्रोफेसर
6.	प्रो. मीनाक्षी मिश्र	प्रोफेसर
7.	प्रो. अमिता पाण्डेय भारद्वाज	प्रोफेसर
8.	प्रो. एम.जयकृष्णन्	प्रोफेसर
9.	डॉ. मनोज कुमार मीणा	सहायक प्रोफेसर
10.	डॉ. सविता राय	सहायक प्रोफेसर
11.	डॉ. सुरेन्द्र महतो	सहायक प्रोफेसर
12.	डॉ. प्रेम सिंह सिकरवार	सहायक प्रोफेसर
13.	डॉ. तमन्ना कौशल	सहायक प्रोफेसर
14.	श्री अजय कुमार	सहायक प्रोफेसर
15.	डॉ. पिंकी मलिक	सहायक प्रोफेसर
16.	डॉ. शिव दत्त आर्य	सहायक प्रोफेसर
17.	डॉ. परमेश कुमार शर्मा	सहायक प्रोफेसर
18.	डॉ ममता	सहायक प्रोफेसर
19.	डॉ. आरती शर्मा	सहायक प्रोफेसर
20.	डॉ. विचारी लाल मीणा	सहायक प्रोफेसर
21.	डॉ. जितेन्द्र कुमार	सहायक प्रोफेसर
22.	डॉ. प्रदीप कुमार झा	सहायक प्रोफेसर
23.	डॉ. दिनेश कुमार यादव	सहायक प्रोफेसर
24.	डॉ. इक्कुर्ति वेंकटे वरलु	सहायक प्रोफेसर
25.	डॉ. सुनील कुमार शर्मा	सहायक प्रोफेसर
26.	डॉ. कैलाश चन्द मीणा	सहायक प्रोफेसर
27.	श्रीमती अनीता	सहायक प्रोफेसर

आधुनिकविषयपीठम्

पीठम्प्रमुख-प्रो. सविता

उच्चतर-शिक्षा में अनुसन्धान की महती-भूमिका को अभिलक्षित कर प्रारम्भ से ही विश्वविद्यालय में पृथक् रूप से एक शोध-विभाग स्थापित है। विश्वविद्यालय के विभिन्न-विभागों के अन्तर्गत विविध-विषयों में अनुसन्धान करने वाले छात्रों की अनुसन्धान-प्रविधि प्रशिक्षण-सम्बन्धी-प्रक्रिया सत्रीय-पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्य विभाग द्वारा संचालित होता है।

आधुनिक-विषयों जैसे-हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, पर्यावरण अध्ययन, संगणक प्रयोग एवं शोध की विधा का अध्ययन-अध्यापन भी किया जाता है । इन विषयों के अध्यापन के लिए नियुक्त आचार्यों का विवरण निम्नवत् है-

मानविकी विभाग

हिन्दी

1.	प्रो. सविता	प्रोफेसर एवं पीठम् प्रमुख
2.	प्रो. जगदेव कुमार शर्मा	प्रोफेसर

अंग्रेजी

1.	प्रो. मीनू कश्यप	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
2.	डॉ. अभिषेक तिवारी	सहायक प्रोफेसर

समाजशास्त्र

1.	श्रीमती वन्दना शुक्ला	सहायक प्रोफेसर

आधुनिक ज्ञान विभाग

संगणक प्रयोग

1.	डॉ. आदेश कुमार	सह प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
2.	श्री अदित्य पंचोली	सहायक प्रोफेसर

पर्यावरण अध्ययन

1.	डॉ. सुमिता त्रिपाठी	सहायक प्रोफेसर

शोध विभाग

1.	प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय	प्रोफेसर
2.	प्रो. शिवशंकर मिश्र	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

हिन्दू अध्ययन विभाग

1.	प्रो. शिवशंकर मिश्र	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

मानविकी विभाग

इस विभाग के अन्तर्गत स्नातक कक्षा में पढ़ाये जाने वाले आधुनिक विषयों जैसे कि हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र को पढ़ाया जाता है। छात्रों में मातृभाषा हिन्दी के विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हिन्दी के लेखकों के गद्य एवं काव्य का अध्यापन कार्य किया जाता है। इसके साथ ही हिन्दी के व्याकरण एवं प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्यापन स्नातक स्तर पर होता है। अंग्रेजी विषय में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराया जाता है। हिन्दी एवं अंग्रेजी एच्छिक एवं अनिवार्य विषय भी है।

प्रो. मीनू कश्यप
विभागाध्यक्ष, मानविकी विभाग

आधुनिक-ज्ञान विभाग

इस विभाग के अन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रों को पढ़ाये जाने वाले आधुनिक विषयों को पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन एवं संगणक का प्रयोग, मानवाधिकार एवं मानव-मूल्य-शिक्षा का भी अध्यापन स्नातक-स्तर पर इस विभाग द्वारा कराया जाता है।

डॉ. आदेश कुमार
विभागाध्यक्ष, आधुनिक-ज्ञान विभाग

शोध-विभाग

उच्चतर-शिक्षा में अनुसन्धान की महती-भूमिका को अभिलक्षित कर प्रारम्भ से ही विश्वविद्यालय में पृथक् रूप से एक शोध-विभाग स्थापित है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विविध विषयों में अनुसन्धान करने वाले छात्रों की अनुसन्धान प्रविधि प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया सत्रीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्य विभाग द्वारा संचालित होता है।

यह विभाग संस्कृत वाङ्मय की प्राचीन पाण्डुलिपियों के संरक्षण, संपादन, प्रकाशन तथा उस पर अनुसंधान कराता है। इस विभाग द्वारा इस विश्वविद्यालय की त्रैमासिकी शोध-पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित होने वाली शोध-पत्रिका 'शोध-प्रभा' में संस्कृत के शीर्षस्थ विद्वानों के साथ-साथ नये अनुसंधानकर्त्ताओं के शोधपत्र भी प्रकाशित किये जाते हैं। विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों के परिचय-हेतु इस विभाग द्वारा त्रैमासिक संस्कृत न्यूज लेटर ' **विश्वविद्यालय** वार्ता' का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रकाशित-ग्रन्थों को संस्कृत संस्थाओं जिज्ञासुओं एवं छात्रों को उपलब्ध कराने हेतु विक्रय-कार्य भी किया जाता है, साथ ही इस विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न विषयों पर शोध-संगोष्ठियों, परिचर्चाओं और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है। 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा शोध के सम्बन्ध में घोषित 'एम.फिल्,पीएच.डी. विनियम 2016' के अनुसार शोधछात्रों के प्रवेश-हेतु राष्ट्रीय-स्तर पर अनुसंधान-प्रविधि-सम्बन्धी शिक्षण-कार्य एवं शोधछात्रों के चयन का भी कार्य किया जाता है। विभाग द्वारा देश-विदेश के संस्कृत के विशिष्ट-विद्वानों के व्याख्यानों का आयोजन इस विभाग की एक प्रमुख-गतिविधि है।

प्रो. शिवशङ्कर मिश्र
विभागाध्यक्ष, शोध विभाग

छात्रकल्याण पीठम्

'छात्रकल्याण पीठम्' छात्रों के सर्वांगीण-विकास की दिशा में निरन्तर-कार्य करते हुए उनकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में अनवरत-प्रयत्न करता है। विभिन्न-अवसरों पर अनेक प्रकार की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक-प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण-विकास होता है। रक्तदान-शिविर इत्यादि विभिन्न-गतिविधियों के द्वारा छात्रों में सामाजिक-भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रतियोगिताओं में छात्रों की सहभागिता के लिये प्रेरित करने का कार्य इस संकाय के माध्यम से किया जाता है। 'छात्रकल्याण-पीठम्' विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं में नैतिक-मूल्यों के निवेश में महती-भूमिका का सम्पादन करता है। छात्रों को अपने सामाजिक-दायित्व के प्रति सजग रहते हुये अपने सांस्कृतिक-मूल्यों के संरक्षण एवं अनुपालन के लिये प्रेरित करता है। समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा नाट्यमंचन, छात्र-संसद, कविसम्मेलन, गीतापाठ आदि का आयोजन इस पीठम् के द्वारा किया जाता है। छात्रों के हित संवर्धन के लिये यह संकाय सतत-प्रयत्नशील रहता है। संस्कृत-सप्ताह, हिन्दी-पखवाड़ा, स्वच्छता-अभियान, सतर्कता-जागरूकता-अभियान, राष्ट्रीय-शिक्षा-दिवस, मातृभाषा-दिवस और अन्य कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओं की सक्रिय सहभागिता भी संकाय द्वारा सुनिश्चित की जाती है। न केवल विश्वविद्यालय में, अपितु अन्य विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीयसंस्कृत संस्थान, तिरुपति आदि में तथा दिल्ली संस्कृत अकादमी, अखिल भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद् सदृश संस्थाओं के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों-नाटक, भाषण, श्लोक-गायन, प्रश्न-मञ्च, आदि प्रतियोगिताओं में छात्रों को भेजा जाता है, इन प्रतियोगिताओं में छात्रों द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त किये गये हैं। छात्रों में सांस्कृतिक, शास्त्रीय प्रतियोगिताओं के प्रति रुचि जागृत करने के लिये 'छात्रकल्याण-पीठम्' सतत प्रयासरत रहता है।

प्रो. नीलम ठगेला
छात्र कल्याण पीठम् प्रमुख

क्रीड़ा

विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से विविधप्रकार की क्रीडाओं की समुचित-व्यवस्था करता है।

प्रत्येक सत्र में विश्वविद्यालय के छात्र विभिन्न खेलों में अखिल भारतीय व अन्तर विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेते हैं जैसे क्रिकेट, वालीबाल, कुश्ती, कबड्डी तीरन्दाजी, धावन पथ आदि में सभी गतिविधियाँ All India Inter University Sports Calendar के अनुसार होती है।

विभाग द्वारा समय-समय पर खेलो में भाग लेने से पहले उन खेलों की कोचिंग कैंप आयोजित किये जाते है उसके बाद सर्वक्षेष्ठ चयनित दल को अन्तर विश्वविद्यालय एवं अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगीताओं में भाग लेने के लिए दल भेजा जाता है।

प्रत्येक सत्र में विश्वविद्यालय वार्षिक खेलकूद-प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है व वार्षिक खेलकूद पुरस्कार वितरण समारोह मे विजेता छात्र-छात्रा खिलाड़ियों को पुरस्कार दिये जाते है। विभिन्न क्रीडाओं का आयोजन विश्वविद्यालय आचार्यों व कर्मचारियों के सहयोग से किया जाता है।

विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र खिलाड़ी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उच्च स्थान प्राप्त करते है। मेडल जीतकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते है। समय-समय पर विश्वविद्यालय स्तर पर इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु प्रमाण पत्रों व मेडल व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है।

डॉ मनोज कुमार मीणा
प्रभारी-क्रीड़ा विभाग

एन.सी.सी. प्रशिक्षण की व्यवस्था

वर्तमान समय में देश के सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एन.सी.सी. अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णरूप से सफल सिद्ध हुई है। एन.सी.सी. का उद्देश्य युवा-नागरिकों में चरित्र-निर्माण, परस्पर भाईचारा एवं अनुशासन की स्थापना के साथ-साथ धर्म-निरपेक्षता, साहसिक-कार्यो को सफलता के साथ क्रियान्वित करने की भावना एवं नि:स्वार्थ-सेवा की व्यापक-परम्परा को स्थापित करना भी है। एन.सी.सी. पूर्णरूप से व्यवस्थित, संगठित प्रशिक्षित, समर्पित एवं नेतृत्व-गुण से समन्वित युवाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों के लिये सन्नद्ध करती है, जो देश की सेवा में हर परिस्थिति में सक्षम हों।

अन्य विश्वविद्यालयों की तरह इस विश्वविद्यालय में भी एन.सी.सी निदेशालय, दिल्ली के द्वारा छात्र वर्ग में 54 विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान की गई है। एन.सी.सी. अधिकारी के रूप में डॉ. अभिषेक तिवारी को नियुक्त किया गया है।

एन.सी.सी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित है । दो वर्ष के प्रशिक्षण के बाद 'बी' सर्टिफिकेट एवं तीन वर्ष के प्रशिक्षण के बाद 'सी' सर्टिफिकेट छात्रों को प्राप्त होता है। इन प्रमाण-पत्रों को प्राप्त कर लेने पर कई संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवा प्राप्त करने में विशेष-सुविधा होती है।

शास्त्री प्रथम, द्वितीय एवं तृतीयवर्ष में प्रविष्ट प्रतिभाशाली-छात्र एवं छात्राओं को नियमानुसार प्रशिक्षण के लिए प्रवेश दिया जाता है। विशेष-परिस्थिति में आचार्य प्रथम-वर्ष के छात्र-छात्राओं का भी प्रवेश सम्भव है। जो प्रविष्ट छात्र-छात्रा शास्त्री या आचार्य-परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे, उनका नामाङ्कन एन.सी.सी. से निरस्त कर दियाजाता है। तथा जो छात्र-छात्रा इन कक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होंगे, उन्हें राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशालय द्वारा विशेष-छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान है। 'बी' एवं 'सी' सर्टिफिकेट की परीक्षा में वे छात्र-छात्रा ही भाग ले सकेंगे, जिनकी एन.सी.सी. की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी। 'बी' सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए एक कैम्प तथा 'सी' सर्टिफिकेट-परीक्षा के लिए दो कैम्प करना अनिवार्य होगा। युवा छात्र-छात्राओं में अनुशासन एवं एकता के साथ देशभक्ति की भावना का संचार तथा उदात्त-व्यक्तित्व के निर्माण का दृढ़-लक्ष्य एन.सी.सी.-प्रशिक्षण का उद्देश्य है। विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली एन.सी.सी. के छात्र-छात्राओं को यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत करने का भी प्रावधान है, जिससे उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित किया जा सके इसके अतिरिक्त अन्य कई सुविधाएँ एवं उपलब्धियाँ एन.सी.सी. के छात्रों को यथावसर प्राप्त होती है। इनकी विशेष-जानकारी के लिए उपर्युक्त-अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रो. मीनू कश्यप — डॉ. अभिषेक तिवारी (प्रभारी)
लैफ्टिनेन्ट(एन.सी.सी) छात्रा — (एन.सी.सी) छात्र

राष्ट्रीय सेवा-योजना

सन् 1984–85 से राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का सञ्चालन करता है। महात्मा गाँधी जन्म शताब्दी वर्ष में 24 सितम्बर, 1969 को विश्वविद्यालयों में स्नातक-स्तर पर इस योजना का सर्वप्रथम क्रियान्वयन किया गया। समाजसेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास ही इसका मूल-उद्देश्य है। इस योजना के द्वारा छात्र-छात्राओं को समाज तथा राष्ट्रहित के सृजनात्मक-कार्यों में प्रवृत्त किया जाता है। इस योजना में दो प्रकार से कार्यक्रम सम्पन्न होते हैं- 1. नियमित-कार्यक्रम 2. विशेष-शिविर।

नियमित कार्यक्रम :

इसके अन्तर्गत आस-पास की गन्दी बस्तियों की सफाई, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य सेवा, प्राकृतिक प्रकोप के समय समाजसेवा आदि कार्य प्रमुख हैं।

विशेष शिविर :

विशेष-शिविरों द्वारा छात्र राष्ट्रीय-एकता के विविध-कार्यक्रम सम्पन्न करते हैं तथा साक्षरता-अभियान में गति पैदा करने हेतु आस-पास की बस्तियों में जाकर शिक्षण-शविर लगाते हैं।

डॉ. सौरभ दुबे

को-आर्डिनेटर, एन.एस.एस

कुलानुशासक, कुलानुशासक-मण्डल एवं अनुशासन-समिति

विश्वविद्यालय-परिसर की सुरक्षा-व्यवस्था एवं छात्रों में अनुशासन-प्रियता को सुदृढ़ करने के लिये कुलपति द्वारा किसी भी आचार्य को कुलानुशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कुलानुशासक का कार्यकाल सामान्यत: कुलपति क समकालीन या कुलपति की इच्छानुरूप हो सकता है। विश्वविद्यालय परिसर में शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने, छात्रों को अनुशासित रखने और विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा-हेतु कुलानुशासक उत्तरदायी होते हैं। कुलानुशासक के सहयोग के लिये कुलानुशासक-मण्डल का गठन किया जा सकता है। इस मण्डल में सभी पीठम् पमुख एवं वरिष्ठ-आचार्य सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। कुलानुशासक-मण्डल का गठन कुलपति द्वारा किया जाता हैं। यह मण्डल सुरक्षा एवं अनुशासन से सम्बद्ध आवश्यक-विषयों पर यथासमय कुलानुशासक की अध्यक्षता में विचार-विमर्श करता है और कुलपति द्वारा निर्धारित-विषयों पर अपनी संस्तुति प्रदान करता है। विश्वविद्यालय नियमानुसार सभी छात्रों एवं शोधछात्रों के लिए आवश्यकतानुसार निम्नलिखित-सदस्यों से युक्त अनुशासन-समिति का गठन किया जाता है-

1. कुलानुशासक	अध्यक्ष
2. पीठम्प्रमुख (छात्र-कल्याण)	सदस्य
3. सम्बन्धित-पीठम्प्रमुख	सदस्य
4. सम्बन्धित-विभागाध्यक्ष	सदस्य
5. कुलपति द्वारा नामित-अध्यापक	सदस्य
(SC/ST/OBC/WOMEN/PDछात्रों से सम्बन्धित होने पर)	
6. सहायक-कुलसचिव / अनुभाग-अधिकारी (शैक्षणिक)	सचिव

अनुशासन-समिति की संस्तुतियों को कुलपति महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है । कुलपति महोदय के निर्णय के अनुसार अनुशासनहीनता के लिये आरोपी-छात्र के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

प्रो. बिहारी लाल शर्मा

कुलानुशासक

विभिन्न-कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में

प्रवेश-नियम एवं उपाधि, नियत-स्थान एवं न्यूनतम-अर्हता

- शास्त्री (बी.ए.) तीन / चार वर्षीय पाठ्यक्रम (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार)
- बी.ए. (योग) तीन / चार वर्षीय पाठ्यक्रम (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार)
- आचार्य (एम.ए.)
- एम.ए. (योग)
- एम.ए. हिन्दी-साहित्य
- एम.ए. हिन्दू-अध्ययन
- शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)
- शिक्षाचार्य (एम.एड.)
- विद्यावारिधि (पीएच.डी.)
- स्ववित्तपोषित अंशकालिक-प्रमाणपत्रीय एवं डिप्लोमा-पाठ्यक्रम

विभिन्न-पाठ्यक्रमों में अर्हता एवं प्रवेश-नियम

१. विश्वविद्यालय निम्नलिखित-पाठ्यक्रमों के अध्यापन की व्यवस्था करता है और नियमानुसार उपाधियाँ एवं प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित-सीटें	अवधि	अर्हता
1. शास्त्री	185	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम की अवधि तीन / चार वर्ष की होगी	1) किसी भी राज्य-सरकार अथवा विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/संस्था से मान्यता प्राप्त 12वीं / उत्तरमध्यमा / प्राक्शास्त्री तत्समकक्ष-परीक्षा में 40% अंकों से उत्तीर्ण। 2) साक्षात्कार / काउन्सलिंग के आधार पर वरीयता सूची अनुसार। 3) अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से अधिक नहीं हो।
2. बी.ए. (योग)	50	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम की अवधि तीन / चार वर्ष की होगी	1) किसी भी राज्य-सरकार अथवा विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/संस्था से मान्यता प्राप्त 12वीं / उत्तरमध्यमा / प्राक्शास्त्री तत्समकक्ष-परीक्षा 40% अंकों सें उत्तीर्ण। 2) साक्षात्कार / काउन्सलिंग के आधार पर वरीयता सूची अनुसार। 3) अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से अधिक नहीं हो।
3. आचार्य (एम.ए.)	38 प्रति विषय	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	1) शास्त्री या बी.ए. संस्कृत-विषय-सहित तत्समकक्ष-परीक्षा में 40% अंकों सें उत्तीर्ण। 2) साक्षात्कार / काउन्सलिंग के आधार पर वरीयता सूची अनुसार।
4. एम.ए. (योग)	50	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	1) 10+2+3 परीक्षा 40% अंकों से उत्तीर्ण 2) साक्षात्कार / काउन्सलिंग के आधार पर वरीयता सूची अनुसार। 3) अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं हो।
5. एम.ए. हिन्दू अध्ययन	10	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	इस पाठ्यक्रम में कोई भी विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 6 सत्रीय स्नातक उपाधि धारक हो, वह चाहे किसी भी पाठ्यक्रम (विज्ञान, मानविकीय, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, चिकित्सा इत्यादि)में अध्ययन किया हो अथवा देश-विदेश की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तत्समकक्ष उपाधि धारक हो।
6. एम.ए. हिन्दी साहित्य	15	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	इस पाठ्यक्रम में कोई भी विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 6 सत्रीय स्नातक परीक्षा उतीर्ण की हो और आवेदक ने किसी भी विषय में स्नातक किया हो तथा एक पत्र हिन्दी विषय का अनिवार्य रूप से पढ़ा हो।
5. शिक्षाशास्त्री	200	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	1. शास्त्री / बी.ए. (संस्कृत) / आचाय / एम.ए. (संस्कृत) में कम से कम 50% अंक या समकक्ष ग्रेड। 2. अर्हता-परीक्षा में प्रविष्ट-छात्र भी आवेदन कर सकते है। 3. आयुसीमा 01.10.2022 तक कम से कम 20 वर्ष
6. शिक्षाचार्य	50	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	1. शास्त्री/बी.ए. (संस्कृत) एवं शिक्षाशास्त्री/बी.एड. (संस्कृत-शिक्षण विषय-सहित) में कम से कम 50% अंक या समकक्ष-ग्रेड। 2. अर्हता-परीक्षा में प्रविष्ट-छात्र भी आवेदन कर सकते हैं।

			3. आयुसीमा 01.10.2022 तक कम से कम 22 वर्ष
7. (क)परंपरागत विषय में विद्यावारिधि हेतु:- (ख) शिक्षाशास्त्र विषय में विद्यावारिधि हेतु (ग) योग विषय में विद्यावारिधि हेतु।	'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के विनियम, 2016 के अनुसार: 1) आचार्य-8 2) सह-आचार्य-6 3) सहायक आचार्य-4	तीन वर्षीय शोधकार्य	1. संबंधित विषय में आचार्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंक अथवा तत्समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण अथवा एम.ए. (संस्कृत) में सम्बन्धित विषय के समूह का अध्ययन सहित 55 प्रतिशत अंक अथवा तत्समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण 1. आचार्य / एम.ए. (संस्कृत) कम से कम 55 प्रतिशत अंक या तत्समकक्ष ग्रेड एवं शिक्षाचार्य /एम.एड्. कम से कम 55 प्रतिशत अंक या तत्समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण। 1. आचार्य (योग)/ एम.ए. योग अथवा सांख्ययोग/वेदान्त, नेचुरोपैथी में स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या तत्समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण। **केवल जे.आर.एफ. अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही प्रथम चरण की प्रवेश परीक्षा से मुक्त (exempted)** परन्तु उन्हें निबंधात्मक लिखित प्रवेश परीक्षा देना अनिवार्य है। जे.आर.एफ अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा का आवेदनपत्र और उसका शुल्क अनिवार्य रूप से भरना होगा। **

**
नोट:- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित शिक्षा/संस्कृत/संस्कृत परंपरागत/प्राकृत भाषा विषय संबंधित कोड संख्या के तहत जे.आर.एफ. परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित लिखित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार द्वितीय पत्र विषय से संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
संबंधित आवेदक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नेट/जे.आर.एफ. कोड संख्या के अनुसार सम्बन्धित विषय में ही नेट/जे.आर.एफ. की परीक्षा उत्तीर्ण हो। (शिक्षा-09, संस्कृत-25, जैन-60, संस्कृत परंपरागत-73, प्राकृत-91) नियमानुसार संबंधित विषय में जे.आर.एफ. परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के अंतर्गत संबंधित विषय में ही प्रवेश दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (पीएच.डी.) उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड प्रक्रिया विनियम-2016 तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु द्विचरणीय प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।

विशेष टिप्पणी:- (1) शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य एवं विद्यावारिधि-पाठ्यक्रम में प्रवेश-हेतु आयोजित प्रवेश-परीक्षा हेतु पृथक् से तैयार प्रवेश परीक्षा नियमावली / नियम लागू होंगे। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश-हेतु लिखित प्रवेश-परीक्षा की पृथक्-व्यवस्था की गई है। अत: इस संबंध में तद्नुसार ही प्रवेश-प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।

सूचना:- अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति/ओ.बी.सी./अन्य असक्षम वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ऊपर - निर्दिष्ट अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय है। इनमें भारत सरकार की आरक्षण-नीति लागू होगी।

(2) शास्त्री (बी.ए), बी.ए. (योग), आचार्य (एम.ए.),एम.ए. (योग), एम.ए. हिन्दी साहित्य एवं एम.ए. हिन्दू अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश-प्रक्रियानुसार प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण होने पर निर्धारित स्थानों के अनुसार वरीयता सूची के आधार पर योग्य अभ्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

अंशकालिक-पाठ्यक्रम

निर्धारित-स्थान एवं न्यूनतम-अर्हता

क्रमांक	अंशकालिक-पाठ्यक्रम	अवधि	निर्धारित स्थान	न्यूनतम-अर्हता
1	षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय ज्योतिष-प्रवेशिका(एकसत्रीय)	6 माह	50	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2	एकवर्षीय ज्योतिषप्राज्ञ-डिप्लोमा (दो सत्रों में)	1 वर्ष	75	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण/ षाण्मासिक ज्योतिष-प्रवेशिका उत्तीर्ण
3	द्विवर्षीय ज्योतिषभूषण-एडवांस-डिप्लोमा- (चार सत्रों में)	2 वर्ष	50	शास्त्री/ बी.ए. अथवा ज्योतिष प्राज्ञ पाठ्यक्रम उत्तीर्ण
4	एकवर्षीय भैषज्य ज्योतिष (मेडिकल-एस्ट्रोलॉजी) डिप्लोमा (दो सत्रों में)	1 वर्ष	50	इण्टरमीडिएट (10+2)/ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
5	षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय वास्तुशास्त्र (एकसत्रीय)	6 माह	50	इण्टरमीडिएट (10+2)/ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
6	एकवर्षीय वास्तुशास्त्र-डिप्लोमा - (दो सत्रों मे)	1 वर्ष	50	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष अथवा षाण्मासिक वास्तुशास्त्र प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण
7	द्विवर्षीय वास्तुशास्त्र-एडवांस- डिप्लोमा (चार सत्रों में)	2 वर्ष	50	इण्टरमीडिएट (10+2)/ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं एकवर्षीय वास्तुशास्त्र-डिप्लोमा उत्तीर्ण
8	वास्तुशास्त्रीय पी.जी. डिप्लोमा द्विवर्षीय-(चार सत्रों में)	2 वर्ष	50	बी.ए. / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
9	षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय योग (एकसत्रीय)	6 माह	50	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (संस्कृत का सामान्यज्ञान)
10	पी.जी. योग-डिप्लोमा एकवर्षीय-(दो सत्रों में)	1 वर्ष	150	शास्त्री अथवा स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण (न्यूनतम 40% अनिवार्य) अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं हो।
11	षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पौरोहित्य (कर्मकाण्ड) - प्रशिक्षण -प्रवेशिका (एकसत्रीय)	6 माह	50	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
12	एक वर्षीय पौरोहित्य(कर्मकाण्ड) डिप्लोमा (दो सत्रों में)	1 वर्ष	50	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
13	संस्कृत व्याकरण प्रायोगिक-प्रशिक्षण एवं सम्भाषण डिप्लोमा (दो सत्रों में)	1 वर्ष	50	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
14	एकवर्षीय संस्कृतभाषा-पत्रकारिता- पी.जी. डिप्लोमा (दो सत्रों मे।)	1 वर्ष	50	i) शास्त्री/समकक्ष या किसी भी अन्य विषय से स्नातक ii) संस्कृत का ज्ञान वांछनीय
15	संस्कृत-वाङ्मय (दर्शन) में प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम एकवर्षीय	1 वर्ष	50	i) शास्त्री/बी.ए./समकक्ष
16	एकवर्षीय संगणक अनुप्रयोग डिप्लोमा	1 वर्ष	40	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
17	षाण्मासिक जैनविद्या-प्रमाणपत्रीय (एकसत्रीय)	6 माह	25	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
18	एकवर्षीय जैनविद्या-डिप्लोमा (दो सत्रीय)	1 वर्ष	25	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, वरिष्ठ उपाध्याय अथवा जैनविद्या-प्रमाणपत्रीय -पाठ्यक्रम उत्तीर्ण
19	प्रमाणपत्रीय पाडुलिपि-विज्ञान एवं अभिलेखशास्त्र	6 माह	25	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
20	एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा योग एवं नैचुरोपैथी (दो सत्रों में)	1 वर्ष	50	1. मान्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देने पर ही प्रार्थी का प्रवेश मान्य होगा। 2. प्रवेशार्थी ने विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थान, महाविद्यालय, विद्यापीठ/विश्वविद्यालय से

				किसी भी विषय में 10+2+3 परीक्षा 40 प्रतिशत से उत्तीर्ण की हो, प्रवेश अन्तिम परीक्षा के अंको के आधार पर वरीयता क्रम से होगा। 3. प्रवेशार्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो, कहीं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों में कार्य कर रहे अभ्यर्थी की आयु में शिथिलता कुलपति महोदय जी के दिशा-निर्देशानुसार सम्भव होगा। 4. भारतीय दर्शन, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे अभ्यर्थी को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जा सकती है।

1. अंशकालिक-पाठ्यक्रमों में प्रवेश-अर्हता योग्यता के अनुसार वरीयता-सूची के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से प्रवेश समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा।
2. समस्त स्ववित्तपोषित-पाठ्यक्रम की कक्षाएं प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को अपराह्न 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक आयोजित की जाएंगी। यदि आवश्यकता हुई, तो अन्य-कार्यदिवसों में सायंकाल में भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं।
3. योग की प्रायोगिक-कक्षाएं प्रातः 6.30 से 9.30 तक होंगी तथा शनिवार-रविवार को सैद्धांतिक-कक्षाएं 10. 00 से 1.00 तक होंगी।
4. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश-हेतु बाह्य-अभ्यर्थियों एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं से एक समान प्रवेश-शुल्क लिया जाएगा।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र/छात्रा की कक्षा में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।
6. अंशकालिक-पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट-छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा अंशकालिक-पाठ्यक्रमों को संचालित करने-हेतु समय-समय पर निर्धारित-नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी नियम की अस्पष्टता या नए नियम की आवश्यकता की स्थिति में कुलपति का निर्णय प्रभावी होगा।
7. विश्वविद्यालय द्वारा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित करने के संबंध में समय-समय पर लिए गए निर्णयानुसार संबंधित विभागाध्यक्ष / पाठ्यक्रम संयोजक द्वारा पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।

प्रवेश-नियम एवं पंजीकरण का निरस्तीकरण

(क) एक शैक्षणिक-वर्ष में अभ्यर्थी किसी एक नियमित-पाठ्यक्रम में ही अपनी पात्रता के अनुसार प्रवेश ले सकता है।

(ख) विश्वविद्यालय के प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित-अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(ग) विश्वविद्यालय के नियमित-पाठ्यक्रम में पंजीकृत-छात्र को मात्र एक ही अंशकालिक-पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा । प्रवेश देते समय प्रवेश-समिति द्वारा यह ध्यान दिया जायेगा कि नियमित एवं अंशकालिक-पाठ्क्रम में प्रविष्ट छात्र का विषय एक न हो ।

(घ) यदि किसी विषय में छात्रों की संख्या अधिक है, तो छात्र की रुचि के अनुसार अन्य-विषय में स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश की अनुशंसा की जाएगी ।

(ड़) प्रवेश-परीक्षा में वे अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो या परीक्षा दी हो। 30 सितम्बर, 2022 तक अर्हता-परीक्षा-परिणाम न आने पर या अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में सम्बन्धित छात्र/छात्रा का अस्थाई प्रवेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। अभ्यर्थी को संबंधित उत्तीर्ण कक्षा के प्रमाणपत्र एवं सभी अंकतालिकाएँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा उसका विवरण प्रवेश आवेदन पत्र में भी उल्लेख करना होगा। प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता की अस्पष्टता की स्थिति में प्रवेश पर विचार नही किया जाएगा। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(च) शास्त्री (बी.ए.), बी.ए. (योग), आचार्य (एम.ए.), एम.ए. (योग), एम.ए. हिन्दू अध्ययन, एम.ए. हिन्दी साहित्य एवं स्ववित्तपोषित-अंशकालिक-पाठ्यक्रमों का प्रवेश घोषित-कार्यक्रमानुसार निश्चित होगा।

(छ) शिक्षाशास्त्री (बी.एड्.) एवं शिक्षाचार्य (एम.एड्) एवं विद्यावारिधि में प्रवेश-हेतु लिखित प्रवेश-परीक्षा की पृथक्-व्यवस्था की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में तदनुसार ही कार्यवाही की जाएगी।

(ज) छात्रों को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित मूल-प्रमाणपत्र लाना आवश्यक है। निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को कार्यालय में जमा नहीं किये जाने की स्थिति में पीठम्-प्रमुखों की समिति की संस्तुति के आधार पर छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

1. पूर्व-उत्तीर्ण-परीक्षाओं की उत्तीर्णता के विषय में विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त संस्था द्वारा जारी प्राप्त प्रमाणपत्र।
2. जन्मतिथि-प्रमाणपत्र (मैट्रिक या तत्समकक्ष-परीक्षा का प्रमाणपत्र, जिसमें जन्म-तिथि का उल्लेख हो)।
3. चरित्र-प्रमाणपत्र (पूर्व-संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा) (अंशकालिक-पाठ्यक्रम के प्रवेशार्थी राजपत्रित अधिकारी/संस्था-प्रमुख जहाँ अभ्यर्थी ने अध्ययन किया हो या कार्यरत हो, के द्वारा)।
4. मूल-निवास-प्रमाणपत्र ।
5. मूल-स्थानान्तरण-प्रमाणपत्र (टी.सी.)/ निष्क्रमण-प्रमाणपत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)/ अंक-तालिकाएं (मार्कशीट) 30 सितंबर, 2022 तक अनिवार्यरूप से शैक्षणिक-विभाग में जमा करानी होंगी, अन्यथा प्रवेश निरस्त जायेगा।
6. क्रीडा-सम्बधी-प्रमाणपत्र (राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाणपत्र (यदि हो)।
7. प्रमाणपत्र (यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित-जाति, जनजाति या नॉन-क्रिमीलेयर-सम्बन्धी पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक-वर्ग, आर्थिक कमजोर श्रेणी, या विकलांग-श्रेणी का हो)। (नगर मजिस्ट्रेट, सबडिविजनल मजिस्ट्रेट/ तहसील/एम.आर.ओ. द्वारा निर्गत अनुसूचित-जाति,

अनुसूचित-जनजाति-प्रमाणपत्र हो। विकलांग प्रत्याशियों के लिए मुख्य स्वास्थ्य-अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय। (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता पर ही विचार किया जायेगा।)
भारत सरकार के नियमानुसार आर्थिक रूप से कमजोर-श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय आय से सम्बन्धित सभी प्रमाणपत्र जमा करने अनिवार्य होंगे।

08. राजकीय-चिकित्सालय अथवा रजिस्टर्ड-मेडिकल-प्रेक्टिशनर द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र आवेदनपत्र में उपलब्ध-प्रपत्र के अनुरूप ही मान्य होगें। शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य में प्रवेश हेतु एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य-सम्बन्धी-नियम प्रभावी होंगे।

09. सेवारत अभ्यर्थी के लिए अंशकालिक/स्ववित्तपोषित-पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सेवायोजक-संस्था के प्रधानाचार्य-अधिकारी का अनुमति-पत्र। स्ववित्तपोषित-पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त पाठ्यक्रम छोड़ने पर किसी प्रकार की जमा की गई धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

10. ऑनलाइन-आवेदनपत्र जमा करने की स्थिति में आवेदक को अपनी शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य वांछित प्रमाणपत्र अपलोड कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उक्त आवेदनपत्र की स्वप्रमाणित-प्रतिलिपि और समस्त आवश्यक-प्रपत्रों के साथ प्रवेश के समय कार्यालय में जमा करना होगा।

11. शास्त्री (बी.ए.) प्रथमवर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा 30 दिन के भीतर ही विषय-परिवर्तन कर सकता/सकती है। विषय-परिवर्तन करने हेतु सम्बन्धित-विषयों के विभागाध्यक्ष एवं पीठम् प्रमुख के माध्यम से आवेदनपत्र संस्तुत करवाकर शैक्षणिक-विभाग में जमा करवाना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् विषय परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र पर विचार नही किया जाएगा।

12. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के निर्देशानुसार विभिन्न-पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट सभी अभ्यार्थियों को अपने आधार-कार्ड एवं बैंक-खाते से संबंधित-दस्तावेज़ की प्रतिलिपि प्रवेश-आवेदनपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदनपत्र के साथ अपनी एक अतिरिक्त नवीन फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य है।

13. योग पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों को योग-वेशभूषा एवं यौगिक-सामग्री का व्यय-निवर्हन स्वयं करना होगा।

14. किसी भी छात्र के विरुद्ध अनुशासनहीनता, अमर्यादित-आचरण, रैंगिग-सम्बन्धी-अपराध, दुर्व्यवहार आदि की शिकायत प्राप्त होने पर अनुशासन-समिति की अनुशंसा के आधार पर कुलपति की स्वीकृति अनुसार छात्र का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है, जो कम से कम एक वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक हो सकता है।

विशेष: आवेदक अपने आवेदन-पत्र के साथ उपुर्यक्त-प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ अवश्य लगायें, जिन्हें प्रमाणपत्रों की मूल-प्रतियाँ से प्रवेश-शुल्क जमा कराने से पूर्व अनुभाग-अधिकारी (शैक्षणिक) द्वारा जाँच कराना होगा। अस्पष्ट-प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश नहीं किया जाएगा। शिक्षण-अवधि में किसी भी स्तर पर यदि कोई प्रमाणपत्र असत्य पाया जाता है तो छात्र का नामांकन स्वयं निरस्त हो जायेगा और नियम-संगत अन्य-कार्यवाही की जा सकती है।

प्रवेश-सम्बन्धी नियम/उपनियमों की अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति का आदेश अन्तिम निर्णय के रूप में मान्य होगा। किसी नियम के अन्तर्गत निर्धारित समय-सीमा में छूट प्रदान करने के लिए पीठम्प्रमुखों की संस्तुति और विशेष-परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुलपति द्वारा निर्णय लिया जा सकता है जिसकी पुष्टि-हेतु आगामी विद्या परिषद में सम्बन्धित-प्रकरण को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रवेश एवं पात्रता-सम्बन्धी-नियमों एवं 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के निर्देशों, नियमों एवं विनियमों के अनुरूप विद्या परिषद् द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्त-नियमों के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन या संशोधन किये जाने की स्थिति में संशोधित-नियम विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त-छात्रों पर तत्काल-प्रभाव से लागू किये जायेंगे।

विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णयानुसार राष्ट्रीय शिक्षानीति २०२० में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर की उपाधि तीन / चार वर्ष की अवधि की होगी। पीठ अनुसार विषयों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

शास्त्री (बी.ए.) एवं बी.ए. योग

(तीन / चार वर्षीय)

वेद-वेदांग-पीठम् के अन्तर्गत मूल विषय	दर्शन-पीठम् के अन्तर्गत मूल विषय	साहित्य एवं संस्कृति-पीठम् के अन्तर्गत मूल विषय	आधुनिक विषय पीठम् के अन्तर्गत विषय
शुक्लयजुर्वेद	प्राचीनन्याय	साहित्य	हिन्दी
धर्मशास्त्र	नव्यन्याय	पुराणेतिहास	अंग्रेजी
नव्यव्याकरण	सर्वदर्शन	प्राकृतभाषा	पर्यावरण अध्ययन
प्राचीनव्याकरण	सांख्ययोग		समाजशास्त्र
पौरोहित्य	अद्वैतवेदान्त		राजनीति विज्ञान
सिद्धान्तज्योतिष	विशिष्टाद्वैतवेदान्त		संगणक विज्ञान
फलितज्योतिष	जैनदर्शन		एन.सी.सी.
वास्तुशास्त्र	मीमांसा		
	योग		

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना के आधार पर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी), राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमिया, बंगाली, पंजाबी, ओड़िया और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित आवेदन पत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की वेबसाइट https://cuet.samarth.ac.in/. पर उपलब्ध है।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय *संस्कृत* विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), नई दिल्ली द्वारा संचालित शास्त्री एवं बी.ए. योग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने से संबंधित विस्तृत विवरण राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की वेबसाइट https://cuet.samarth.ac.in/.पर उपलब्ध है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय संयुक्त परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तदुपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश समिति की अनुशंसा के आधार पर ही उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

आचार्य (एम.ए.)/एम.ए. योग/एम.ए. हिन्दी-साहित्य/एम.ए. हिन्दू अध्ययन

(द्विवर्षीय चतु:सत्रीय पाठ्यक्रम)

(1) यह पाठ्यक्रम दो वर्षो में (चार सत्रों में) सम्पन्न होता है।

(2) आचार्य-कक्षा में प्रवेश के लिए इस विश्वविद्यालय की शास्त्री या 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से मान्यता-प्राप्त किसी विश्वविद्यालय, परीक्षा-संस्था अथवा तत्समकक्ष-संस्था से संस्कृत-माध्यम से निम्नलिखित किसी एक विषय-सहित बी.ए. अथवा मान्य-तत्समकक्ष-उपाधि अपेक्षित है।

(3) प्रवेश-अर्हता-हेतु विकल्पाधारित-क्रेडिट-प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित-नियम प्रभावी स्वीकार किये जायेंगे।

(4) प्रविष्ट-छात्रों को निम्नलिखित-विषयों में से एक विषय का निर्धारित-विकल्पाधारित-क्रेडिट-प्रणाली के अन्तर्गत अध्ययन करना होगा।

वेद-वेदांग-पीठम् के अन्तर्गत विषय	दर्शन-पीठम् के अन्तर्गत विषय	साहित्य एवं संस्कृति-पीठम् के अन्तर्गत विषय	आधुनिक विषय पीठम् के अन्तर्गत विषय
शुक्लयजुर्वेद	प्राचीनन्याय	साहित्य	हिन्दी-साहित्य
धर्मशास्त्र	नव्यन्याय	पुराणेतिहास	हिन्दू-अध्ययन
नव्यव्याकरण	सर्वदर्शन	प्राकृतभाषा	
प्राचीनव्याकरण	सांख्ययोग		
पौरोहित्य	अद्वैतवेदान्त		
सिद्धान्तज्योतिष	विशिष्टाद्वैतवेदान्त		
फलितज्योतिष	जैनदर्शन		
वास्तुशास्त्र	मीमांसा		
	योग		

(क) प्रवेश-हेतु उपर्युक्त-विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें, उनमें प्रथम नाम उसी शास्त्रीय विषय का हो, जिसमें स्नातक-स्तर पर तीनों वर्षो में अध्ययन किया गया हो। दो अन्य-विषयों का नाम भी अनिवार्यत: लिखें, ताकि प्रथम-विषय में स्थान रिक्त न रहने पर अन्य-विषय दिया जा सके।

(ख) प्रथम से चतुर्थ-सत्र तक उपर्युक्त शास्त्रीय-विषय के कम से कम पाँच-पाँच प्रश्न-पत्र होंगे।

(ग) प्राकृतभाषा-विषय में प्रवेश के लिये स्नातक-स्तर पर संस्कृत/प्राकृत विषय का होना अनिवार्य है।

(घ) आचार्य / एम.ए. प्रथमवर्ष में प्रवेश-हेतु विषय-निर्धारण एवं प्रवेश-सम्बन्धी नियम/उपनियम के विषय में विश्वविद्यालय के कुलपति का आदेश अन्तिम-निर्णय के रूप में मान्य होगा।

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि–विनियम

1.0. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन

1.1. विश्वविद्यालय की शोध उपाधि का नाम 'विद्यावारिधि (पीएच.डी.)' होगा। इस उपाधि की स्पष्टता के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित–प्रारूप में निर्गत किये जाने वाले प्रमाणपत्र में आंग्लभाषा में पीएच.डी. (Doctor of Philosophy) लिखा जायेगा। प्रमाणपत्र का प्रथमभाग संस्कृत में और द्वितीयभाग अंग्रेजी में होगा। प्रमाणपत्र में शोधशीर्षक और विषय का उल्लेख किया जायेगा। प्रमाणपत्र में यह भी उल्लिखित होगा कि विद्यावारिधि की उपाधि 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप' प्रदान की जा रही है।

2.0. विद्यावारिधि–पाठ्यक्रम में पात्रता मानदंड, प्रवेश–हेतु–अर्हता, प्रवेश–प्रक्रिया एवं पंजीकरण

2.1 श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृत विश्वविद्यालय , नई दिल्ली द्वारा संचालित विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में छात्र का प्रवेश श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय , नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीयस्तर पर आयोजित प्रवेश–परीक्षा के परिणाम, तथा विभागीय शोध–प्रवेश–समिति एवं केन्द्रीय शोध–मण्डल के माध्यम से होगा।

विद्यावारिधि–पाठ्यक्रम में प्रवेश–हेतु एम.फिल.,नेट/स्लेट–परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी प्रवेश परीक्षा में सम्मलित होना अनिवार्य होगा। जे.आर.एफ. अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही प्रथम चरण की प्रवेश परीक्षा से मुक्त (exempted) परन्तु उन्हें निबंधत्मक लिखित प्रवेश परीक्षा देना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को अपेक्षित प्रवेश–परीक्षा–शुल्क देकर आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य होगा ।

2.2. छात्र/छात्रा जो 12 वर्ष की नियमित विद्यालयीय शिक्षा के साथ–साथ त्रिवर्षीय स्नातक–शिक्षा और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/उच्च शैक्षणिक संस्थान से 55 प्रतिशत अंकों के साथ सम्बन्धित–विषय में स्नातकोत्तर–उपाधि प्राप्त हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और गैर–लाभान्वित–श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/19 सितम्बर, 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर–उपाधि–धारक अभ्यर्थियों को आयोग के विनियम के प्रावधानों के अनुसार 5 प्रतिशत की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य–छूट प्रदान की जायेगी। विद्यावारिधि में पंजीयन की पात्रता के सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय–समय पर निर्गत विनियमों/निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

2.3. विद्यावारिधि में प्रवेश के लिये आवेदनपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का निर्धारण प्रवेश–प्रक्रिया की देख–रेख के लिये गठित केन्द्रीय–प्रवेश–समिति/विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक विभागाध्यक्ष द्वारा 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016' के प्रावधानों के अनुरूप विद्यावारिधि में प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष नियत–स्थानों का विवरण प्रदान किया जायेगा।

2.4. प्रवेश–हेतु अभ्यर्थी को द्विचरणीय–प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। प्रवेश–परीक्षा, अर्हक–परीक्षा होगी, जिसमें 50 प्रतिशत अर्हता–अंक होंगे। प्रवेश–परीक्षा–अंक पाठ्यविवरण में 50 प्रतिशत शोध–पद्धति तथा 50 प्रतिशत विशिष्ट शास्त्र सम्बन्धी–विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रवेश–परीक्षा–परिणाम घोषित होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक ही प्रवेश–परीक्षा–पुस्तिकाओं एवं परीक्षा–सम्बन्धी अन्य–विवरणों को संरक्षित किया जायेगा।

2.5. विद्यावारिधि में प्रवेश के लिये छात्र/छात्रा का चयन प्रवेश–परीक्षा में उत्तीर्णता और साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश–प्रक्रिया में छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्तांक के आधार पर अर्जित योग्यताक्रम और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित साक्षात्कार में प्रस्तुति के आधार पर विद्यावारिधि में प्रवेश के लिये संस्तुत किया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया पृथक से तैयार प्रवेश परीक्षा निर्देशिका–(2022–23) में प्रदत्त प्रावधनों के अनुसार ही पूर्ण की जाएगी।

2.6. प्रवेश–हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय/विषयवार संवितरण, प्रवेश का मानदण्ड, परीक्षा प्रक्रिया एवं प्रवेश–परीक्षा आयोजन केन्द्र आदि का विवरण प्रवेश–पुस्तिका में प्रदान किया जायेगा।

2.7. विद्यावारिधि–पाठ्यक्रम में प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित–मानदण्ड के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबंधित सांविधिक–निकायों द्वारा इस संबंध में जारी किए गये दिशानिर्देशों/मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर केन्द्र–सरकार की आरक्षण–नीति के अनुसार किये जाएंगे ।

2.8. प्रवेश–परीक्षा पहले ही अधिसूचित–केन्द्र पर आयोजित की जायेगी; यदि किसी परीक्षा–केन्द्र/केन्द्रों में कोई परिवर्तन होता है, तो पर्याप्त–समय पूर्व उसकी सूचना विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी।

2.9. विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाईट पर पीएच.डी. के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रखरखाव वार्षिक आधार पर किया जाएगा। सूची में पंजीकृत–शोधछात्र का नाम, उसके शोध का विषय, उसके पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक, नामांकन/पंजीकरण की तिथि का विवरण होगा। पंजीकृत–शोधछात्रों से सम्बन्धित वार्षिक–सूची की एक प्रति समस्त–विभागाध्यक्षों और पीठम्प्रमुखों के पास भी संरक्षित होगी।

2.10. प्रत्येक अध्यापक के लिये निर्धारित शोध–स्थानों में स्थान रिक्त होने पर विश्वविद्यालय का केन्द्रीय–शोध–मण्डल छात्र/छात्रा की योग्यता, सम्बन्धित–शास्त्रीय–विषय एवं संस्कृतभाषा में उसकी दक्षता, शोध–प्रस्ताव का विषय व स्तर, शोध के प्रति उन्मुखता, प्रस्तुतीकरण के आधार पर प्रवेश के लिये संस्तुत करेगा।

2.11. विद्यावारिधि में पंजीकरण के लिये संस्तुत छात्र को शोध–मण्डल द्वारा निर्धारित विषय–विशेषज्ञ शोध–निर्देशक के अन्तर्गत शोधकार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसकी देख–रेख विभागीय अध्ययन मण्डल और विभागीय–शोध–समीक्षा समिति द्वारा निर्धारित–समयानुसार की जायेगी। किसी भी अध्यापक को निर्धारित–संख्या से अधिक विद्यावारिधि में प्रवेश–प्राप्त छात्रों को निर्देशित करने की अनुमति नहीं होगी।

2.12. विद्यावारिधि–उपाधि के लिये किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / मानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियुक्त अध्यापक को भी प्रवेश–प्रक्रिया में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को सम्बन्धित संस्था द्वारा जारी अन्नापति प्रमाणपत्रा संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण के समय आवकाश स्वीकृति पत्र भी कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी भी परिस्थिति में पंजीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।** ऐसे अभ्यर्थियों का शोध में पंजीकरण केन्द्रीय–शोध–मण्डल में दिये गये साक्षात्कार एवं शोध सम्बन्धी प्रस्तुति की गुणवत्ता पर शोध–मण्डल की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा। ऐसे अध्यापकों को निर्धारित–शोध–पाठ्यक्रम में भाग लेना और सम्बन्धित सत्रीय–परीक्षा उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य होगा।

सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ मानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से निर्धारित अवधि के लिये अध्ययन अवकाश लेना भी अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापकों/शोध–सहायकों/अर्धशैक्षिक संवर्ग/अन्य कर्मचारियों को सम्बन्धित–विभागाध्यक्ष की संस्तुति और कुलपति की स्वीकृति के उपरान्त अध्ययन–अवकाश से छूट प्रदान की जा सकती है।

2.13. शोध के लिये निर्धारित शोध–निर्देशक, यदि आवश्यक होगा तो सह–शोध निर्देशक की नियुक्ति के लिये केन्द्रीय–शोध–मण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और शोध–मण्डल की स्वीकृति के उपरान्त सह–शोध–निर्देशक की नियुक्ति को कुलपति द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

2.14. विद्यावारिधि–हेतु पंजीकृत छात्र के लिये सत्रीय पाठ्यक्रम में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। सत्रीय–परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये छात्र द्वारा 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा 75 प्रतिशत की निर्धारित–उपस्थिति अस्वस्थता के कारण पूर्ण नहीं कर

पाता/पाती है तो आवश्यक प्रमाणपत्र और पाठ्यक्रम में उसकी दक्षता को ध्यान में रखते हुये उपस्थिति दिवसों में अधिकतम 10 प्रतिशत तक की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है। सत्रीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही शोध पंजीकरण को नियमित स्वीकार किया जायेगा। सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा की उत्तीर्णता के पूर्व शोध–पंजीयन पूर्णतः अस्थायी होगा।

2.15. सत्रीय–पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के उपरान्त शोध छात्र अपने शोध–शीर्षक में अपेक्षित संशोधन के लिये, यदि आवश्यक हो तो, शोध–निर्देशक की संस्तुति के साथ विभागाध्यक्ष एवं पीठम्प्रमुख के माध्यम से कुलपति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

3.0. पाठ्यक्रम की अवधि

3.1 विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन वर्ष की होगी, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य भी शामिल होगा तथा अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी।

3.2 महिला–अभ्यर्थी तथा निःशक्त–व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो) उन्हें पीएच. डी. के लिए अधिकतम दो वर्ष की छूट (समयवृद्धि) प्रदान की जाएगी । इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को पीएच.डी. की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व–अवकाश/शिशु–देखभाल–अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

3.3. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016' की धारा 4.3 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापकों या अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/ मानित विश्वविद्यालय/संस्थानों/महाविद्यालयों के ऐसे प्राध्यापक जो विश्वविद्यालय में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में पंजीकृत होंगे; उन्हें शोधकार्य पूर्ण करने की अधिकतम–अवधि में शोध–समीक्षा–समिति की संस्तुति पर, यदि आवश्यक होगा तो अधिकतम अवधि में 2 वर्ष तक की समयवृद्धि प्रदान की जा सकती है।

4.0. निष्क्रमण–प्रमाणपत्र

विश्वविद्यालय के पूर्व नियमित–छात्रों के अतिरिक्त शेष सभी पंजीकृत–छात्रों द्वारा प्रवेश के समय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अनुभाग में मूल निष्क्रमण प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में प्रवेश स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

5.0. विभागीय शोध समिति

विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश–प्राप्त छात्रों के शोध–विषय का निर्धारण विभागीय शोध–समिति द्वारा किया जायेगा। विभागीय शोध–समिति केन्द्रीय–ग्रंथालय में शोध के लिये आवश्यक–ग्रंथों एवं शोध–पत्रिकाओं आदि की उपलब्धता, पंजीकृत–शोधछात्रों की नियमित–उपस्थिति के प्रति सजग रहेगी। विभागीय शोध–समिति विद्या परिषद/कुलपति के निर्देशानुसार शोध–सम्बन्धी अन्य–कार्यों की भी देखरेख करेगी।

विभागीय–शोध–समिति में कम से कम 5 सदस्य होंगे, जिसका गठन निम्नप्रकार से होगाः

सम्बन्धित पीठम्प्रमुख	–	अध्यक्ष
सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	–	संयोजक
समस्त विभागीय आचार्य	–	सदस्य
सम्बन्धित शोध–पर्यवेक्षक	–	सदस्य

विभाग में अध्यापकों/सदस्यों की संख्या कम होने पर सम्बन्धित पीठम्प्रमुख आवश्यकतानुसार कुलपति की अनुमति से विश्वविद्यालय के अन्य विभाग या विभागों के विषय–विशेषज्ञ सदस्य को विभागीय शोध–समिति में नामित कर सकते हैं।

5.1 अभ्यर्थी जिस विषय में शोधकार्य करना चाहते हैं, उस विषय के विभागाध्यक्ष से सम्पर्क कर अपने विषय का चयन तथा रूपरेखा आदि का निर्माण निर्धारित–निर्देशों के अनुसार करेंगे। अतः अभ्यर्थी मार्गनिर्देशक एवं विषय–निर्धारण के लिए सम्बद्ध–विषय के विभागाध्यक्ष से ही सम्पर्क करेंगे।

5.2. शोध–मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत की जाने वाली शोध–संक्षिप्तिका/प्रपत्र में शोधार्थी और शोधनिर्देशक के हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष की संस्तुति एवं पीठम्प्रमुखों के प्रति–हस्ताक्षर होने चाहिए।

5.3. प्रवेश–परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अनुसंधेय विषय तथा शोध–संक्षिप्तिका सम्बद्ध विभागीय शोध–समिति एवं सम्बन्धित–शोध–निर्देशक के द्वारा मौलिक शोध–प्रस्ताव के रूप में संस्तुत होने पर ही छात्र शोध–मण्डल में साक्षात्कार के लिये बुलाये जा सकेंगे।

5.5 शोध–संक्षिप्तिका (Synopsis of the Research) के साथ निम्नलिखित अनुलग्नक अपेक्षित हैंः–

क. शोध–संक्षिप्तिका में विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रस्तावित शोध–निर्देशक की संस्तुति हो।

ख. शोध–संक्षिप्तिका की 15 प्रतियाँ, जिसमें अनुसन्धान के अध्ययन का अभिप्राय हो और स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित हो कि प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध में उसका मौलिक–योगदान होगा, अज्ञात–सामग्री को प्रकाशित किया जायेगा अथवा पहले से ज्ञात–तथ्यों की नवीन–व्याख्या की जायेगी। अनुसन्धान विषय की संक्षिप्तिका में प्रस्तावित शोध–योजना, अध्यायीकरण, प्रत्येक अध्याय में विश्लेषित किये जाने वाले सम्भावित विषय, उपकरण, पद्धति, अनुमान, समीक्षात्मक–निष्कर्ष आदि का प्रतिपादन और इसके साथ ही सन्दर्भ–ग्रन्थ–सूची भी अपेक्षित है।

ग. साधारणतः अभ्यर्थी को विद्यावारिधि में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर में पठित–विषय में ही शोधकार्य करने की स्वीकृति दी जाएगी, किन्तु परस्पर मिलते–जुलते विषयों जैसे एक दर्शन से दूसरे दर्शन, पुराण, धर्मशास्त्र, पौरोहित्य, वेद, प्राचीन तथा नव्य–व्याकरण एवं न्याय, सिद्धान्त एवं फलित–ज्योतिष आदि विषयों में एकदूसरे विषय में शोध के लिए शोधमण्डल की अनुमति अपेक्षित है। इस प्रकार अन्तःशास्त्रीय अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शोध–मण्डल द्वारा अभ्यर्थी की अपेक्षित–योग्यता से सन्तुष्ट होने पर सम्बंधित–विषय भी दिया जा सकता है।

5.6. विद्यावारिधि में प्रवेश–अर्हता–स्वीकृति मिलने पर सम्बन्धित शोधछात्र को नियमानुसार पंजीकरण शुल्क और शोध–प्रबन्ध–परीक्षण शुल्क आदि नियत–समय सीमा में जमा कराने होंगे।

6.0. शोध मण्डलः

6.1. प्रत्येक शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध–प्रस्ताव का परिवीक्षण, साक्षात्कार के माध्यम से शोधार्थी के उपस्थापन का परीक्षण एवं शोधकार्य हेतु पंजीयन की संस्तुति शोध–मण्डल द्वारा की जायेगी, जिसका गठन निम्नलिखित सदस्यों से युक्त होगाः–

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	सभी पीठम् प्रमुख	सदस्य
3.	विद्या परिषद् का एक प्रतिनिधि	सदस्य
4.	कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ–आचार्य	सदस्य
5.	कुलपति द्वारा मनोनीत चार बाह्य–विशेषज्ञ–विद्वान्	सदस्य
6.	शोध–विभागाध्यक्ष	सदस्य
7.	परीक्षा–नियंत्रक	सदस्य
8.	कुलसचिव	सदस्य–सचिव

6.2. कुलपति की अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति शोध–मण्डल के उपवेशन की अध्यक्षता कर सकेगा। आवश्यकता होने पर शोधमण्डल विभागाध्यक्ष/मार्ग–निर्देशक को भी परामर्श के लिए आमन्त्रित कर सकेंगे।

6.3. प्रतिवर्ष शोध–मण्डल की एक बैठक अनिवार्य होगी। कुलपति की अनुमति से आवश्यकतानुसार एक से अधिक बैठकें आहूत की जा सकेंगी।

6.4. शोध–मण्डल की बैठक में कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

6.5. कुलपति द्वारा आवश्यकतानुसार किसी अन्य बाह्य–विषय–विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

6.6. शोध–मण्डल जाँच करेगा कि–

(क.) शोधार्थी का साक्षात्कार लेगा, प्रस्तावित शोध–योजना की गुणवत्ता का परीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि शोधार्थी प्रस्तावित शोध के लिये योग्य है।

(ख.) शोध के लिए शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित विषय और कार्ययोजना स्तरीय–शोध के अनुरूप है या नहीं।

(ग.) यदि शोध–विषय अनुरूप नहीं है, तो विषय में संशोधन–हेतु सुझाव देगा।

(घ.) शोधार्थी का प्रवेश स्वीकृत होने के पश्चात् अभ्यर्थी, शोधनिर्देशक, विभागाध्यक्ष एवं पीठम् प्रमुख को सूचित कर दिया जाएगा। प्रत्येक पीठम् में सम्बद्ध विभागों के अध्यापक ही उनसे सम्बद्ध विषयों के निर्देशक हो सकेंगे। परन्तु कुलपति एक दूसरे से सम्बद्ध विषयों, जैसा कि उपनियम 3 और उपनियम 9 में उल्लेख किया गया है, के अध्यापकों को सह–शोध–निर्देशक होने की स्वीकृति दे सकेंगे। शोध–निर्देशक जिस विभाग से सम्बद्ध होगा, शोधकर्ता भी उसी विभाग से सम्बद्ध माना जायेगा।

(ड.) विश्वविद्यालय में अनुसंधान के नये आयामों एवं सम्भावनाओं के सम्बन्ध में नीतियों की स्थापना और उसके क्रियान्वयन के लिये निर्णय लेगा।

(च.) कुलपति की अनुमति से अन्य सम्बन्धित विषय शोध मण्डल के सदस्य/सचिव द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

6.7. प्रस्तावित शोध–विषय एवं शोध–निर्देशक की संस्तुति, शोध–निर्देशक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या, विषय में परिवर्तन आदि की संस्तुति करेगा।

6.8 प्रवेश पाने के एक वर्ष के भीतर अभ्यर्थी शोध–मण्डल की स्वीकृति से अपने विषय की योजना में संशोधन कर सकता है ।

7.0. शोध–निर्देशक/शोध–पर्यवेक्षक

7.1. शोध–निर्देशक की नियुक्ति में स्वीकृति के लिए निम्नलिखित–अर्हताएँ अपेक्षित है :–

(अ.) साक्षात्–सम्बद्ध अथवा अंतःशास्त्रीय–रूप से सम्बद्ध–विषय का विद्यावारिधि–उपाधि प्राप्त प्राध्यापक,

(ब.) स्नातकोत्तर–स्तर का शिक्षण अनुभव,

7.2. अन्तःशास्त्रीय–विषय में सह–निर्देशक भी स्वीकृत किए जा सकेंगे। सह–शोध–निर्देशक विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों/उच्च–शैक्षणिक–संस्थाओं के आचार्य हो सकते हैं। विद्यावारिधि के छात्रों को विषय–विशेषज्ञता रखने वाले अन्य–विभागों के अध्यापकों के मार्ग निर्देशन में शोधकार्य करने की अनुमति भी प्रदान की जा सकती है।

7.3. विश्वविद्यालय में नियमितरूप से नियुक्त आचार्य, जिसने किसी संदर्भित–पत्रिका में कम से कम पॉच शोध–प्रकाशन प्रकाशित किए हैं और विश्वविद्यालय में कार्यरत कोई भी नियमित सह/सहायक–आचार्य जो पीएच.डी.–उपाधिधारक हों तथा जिसके संदर्भित–पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध–पत्र प्रकाशित किए गए हों, उसे शोध–पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। यदि वह उन क्षेत्रों/विधाओं में जहॉ कोई भी संदर्भित–पत्रिका नहीं हों अथवा केवल सीमित संख्या में संदर्भित पत्रिका हो, तो विभागीय–शोध–समिति के संस्तुति पर विश्वविद्यालय का शोध–मण्डल किसी व्यक्ति को शोध–पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखितरूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।

7.4. केवल विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक–शिक्षक ही शोध–निर्देशक/पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है, तथापि, विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से अथवा अन्य संबद्ध संस्थानों से अंतर–विषयी क्षेत्रों में सह–पर्यवेक्षकों को शोध–मण्डल के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।

7.5. किसी चयनित–शोधार्थी के लिए शोध–निर्देशक के निर्धारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा शोध पर्यवेक्षक विद्वानों की संख्या, पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता तथा विद्वानों की रुचि के आधार पर संस्तुति प्रदान की जा सकती है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के शोध–मण्डल द्वारा विचार किया जा सकता है। शोध–मण्डल की संस्तुति के आधार पर कुलपति द्वारा, जैसा कि सम्बन्धित विद्वान् द्वारा अपने साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, निर्णय लिया जाएगा।

7.6. ऐसे शोध–हेतु शीर्षक जो अंतरविषयी स्वरूप के हैं, जहॉ संबंधित–विभाग यह अनुभव करता है कि विभाग में उपलब्ध–विशेषज्ञ की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध–पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध–पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाएगा और सम्बन्धित विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक को ऐसी

निबंधन व शर्तों पर सह–पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा जैसा कि सहमति प्रदान करनेवाले संस्थान/महाविद्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिन पर आपस में सहमति बनेगी।

7.7. किसी एक समय में कोई भी आचार्य के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध–निर्देशक (पर्यवेक्षक)/सह निर्देशक के रूप में आठ (08) पीएच.डी. शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। कोई भी सह–आचार्य, शोध–निर्देशक के रूप में अधिकतम छः (06) पीएच.डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध–निर्देशक (पर्यवेक्षक) के रूप में सहायक–आचार्य अधिकतम चार (04) पीएच.डी. शोधार्थियों को शोध–निर्देशन प्रदान कर सकता है ।

7.8. विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी पीएच.डी. महिला–शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध–आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी, जहॉ शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन नियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोधकार्य किसी मूल–संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्तपोषण–एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो, तथापि, शोधार्थी मूल–संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किए गए शोधकार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

7.9. किसी विशेष–स्थिति में शोध–निर्देशक को परिवर्तित करने के लिये शोधछात्र द्वारा एक वर्ष के भीतर आवेदन अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से पीठम् प्रमुख को प्रदान किया जा सकता है। पीठम् प्रमुख की संस्तुति के उपरान्त कुलपति द्वारा शोध–निर्देशक को परिवर्तित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।

7.10 शोध–निर्देशक के स्थानान्तरण/सेवामुक्ति/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में शोध–निर्देशक परिवर्तन की आवश्यकता होने पर छात्र विभागाध्यक्ष/विभागीय शोध–समिति के निर्देश और कुलपति की अनुमति से निश्चित शोध निर्देशक के अधीन शोधकार्य करेगा। शोधकार्य पूर्ण होने पर दुर्भाग्यवश निर्देशक की मृत्यु की स्थिति में विभागीय शोध–समिति के माध्यम से अनुमति लेकर नियमानुसार छात्र शोधप्रबन्ध विभागाध्यक्ष के निर्देशन में जमा कर सकते हैं। ऐसे शोधछात्र की गणना शोध निर्देशक के लिये निर्धारित शोधछात्रों की संख्या में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

8.0 पाठ्यक्रम–सम्बन्धी कार्य : श्रेय, अपेक्षाऍं, संख्या, अवधि, पाठ्य विवरण, कार्य पूर्ण करने के न्यूनतम मापदण्ड आदि।

8.1 पीएच.डी.– सत्रीय पाठ्यक्रम–सम्बन्धी कार्य के लिए न्यूनतम 08 क्रेडिट तथा अधिकतम 16 क्रेडिट प्रदान किये जाएंगे।

8.2 पाठ्यक्रम–सम्बन्धी–कार्य को पीएच.डी. की तैयारी के लिए पूर्वापेक्षा माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम चार क्रेडिट दिए, जाएंगे जिसमें शास्त्रीय शोध पद्धति, पाण्डुलिपिविज्ञानं पाठालोचनञ्च, शोधसर्वेक्षणञ्च/अनुसन्धान प्रकाशननैतिकता च, कम्प्यूटर–अनुप्रयोग, शोध–सम्बन्धी–आधार तथा संगत–क्षेत्रों में प्रकाशित शोध की समीक्षा आदि सम्मिलित हैं। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत–स्तर के पाठ्यक्रम होंगे, जो छात्रों को पीएच.डी. के लिए तैयार करेंगे।

8.3 पीएच.डी. के लिए विहित सभी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य क्रेडिट घंटे संबधी अनुदेशात्मक–अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तथा वह विषयवस्तु अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन सम्बन्धी–पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करेगा ।

8.4 पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश–प्राप्त सभी छात्रों को प्रारंभिक प्रथम अथवा दो सेमेस्टरों के दौरान विभाग द्वारा विहित–पाठ्यक्रम–सम्बन्धी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा अन्यथा अस्थाई पंजीकरण निरस्त माना जाएगा ।

8.5. शोध पद्धति पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम–सम्बन्धी–कार्य में ग्रेड को शोध–समीक्षा/सलाहकार समिति द्वारा समेकित मूल्यांकन किये जाने के बाद अंतिमरूप दिया जायेगा।

8.6. पीएच.डी. शोधार्थी को पाठ्यक्रम–सम्बन्धी कार्य में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा जिससे वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिये पात्र हो, तथा उसे शोधप्रबन्ध, जैसा निर्धारित हो, जमा करना होगा।

8.7 पहले ही एम.फिल.–उपाधि धारक शोधछात्र, जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हो गया है अथवा जिन्होंने पहले ही एम.फिल. पाठ्यक्रम में सत्रीय–पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है, उनको भी विद्यावारिधि–पाठ्यक्रम में प्रवेश–उपरान्त सत्रीय–पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर यथानियम–उपस्थित होकर सत्रीय–पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

9.0. शोध–समीक्षा–समिति/शोध –सलाहकार–समिति तथा इसके प्रकार्य :

9.1. शोध–समीक्षा/सलाहकार–समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से युक्त होगाः

1.	संबंधित पीठम्प्रमुख	–	अध्यक्ष
2.	संबंधित विभागाध्यक्ष	–	समन्वयक
3.	संबंधित मार्गनिर्देशक	–	सदस्य
4.	कुलपति द्वारा नामित एक बाह्य–विषय–विशेषज्ञ	–	सदस्य
5.	संबंधित विभाग के सभी अध्यापक	–	सदस्य

शोध–समीक्षा–समिति विभाग के शोधछात्रों के शोध की प्रगति का मूल्यांकन करेगी और प्रत्येक शोधछात्र के शोधकार्य की प्रगति की समीक्षा प्रति 6 मास पर करेगी। विभागीय शोध समीक्षा–समिति की संस्तुति के उपरान्त ही शोधछात्र का षाण्मासिक–प्रगति–विवरण स्वीकार किया जाएगा और छात्रवृत्ति प्राप्त करने की संस्तुति की जायेगी।

शोधछात्र के द्वारा शोधकार्य पूर्ण करने सम्बन्धी प्रार्थनापत्र के प्राप्त होने के पर शोध–समीक्षा–समिति द्वारा सम्बन्धित शोधकार्य की पूर्ति हेतु कम से कम विगत तीन वर्ष के शोधकार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया जायेगा। शोध–समीक्षा–समिति शोधछात्र द्वारा किये गये शोध कार्य का सर्वांगीण परीक्षण करने के उपरान्त शोध की गुणवत्ता, उसकी वस्तुनिष्ठता, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन की स्थिति आदि की समीक्षा कर अपनी संस्तुति प्रदान करेगी।

प्रति–शैक्षणिक–वर्ष में शोध–समीक्षा/सलाहकार–समिति की दो बैठकें आयोजित की जाएंगी।

9.2. शोधार्थी को अध्ययन ढॉचे तथा पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रम की पहचान कराना ।

9.3. शोधार्थी के शोधकार्य की आवधिक–समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता करना।

9.4 शोधार्थी छः माह में एक बार शोध–समीक्षा/सलाहकार–समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में संगणक के माध्यम से एक प्रस्तुति देगा। शोध–सलाहकार–समिति द्वारा षाण्मासिक–प्रगति–रिपोर्ट की प्रति उसकी पत्रावली में, एक प्रति सम्बन्धित–विभाग को तथा प्रति शोधार्थी को भेजी जाएगी।

9.5. यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, शोध–सलाहकार–समिति इसके कारण का उल्लेख करेगी तथा उपचारात्मक–उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक–उपायों को कार्यान्वित करने में असफल बना रहता है, तो शोध–समीक्षा/सलाहकार–समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट–कारण प्रस्तुत करते हुये कुलपति को संस्तुति कर सकती है।

10.0. उपाधि आदि प्रदान करने के लिए मूल्याकंन तथा निर्धारण–पद्धतियॉ, न्यूनतम–मानदण्ड/क्रेडिट आदि

10.1 शोध–प्रबन्ध को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी विश्वविद्यालय की शोध–समीक्षा/सलाहकार–समिति के समक्ष संगणक के माध्यम से एक प्रस्तुति देगा, जिसमें पीठम् के सभी सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध–समीक्षा/सलाहकार–समिति के परामर्श से अनुरूप–सामग्री थीसिस में उपयुक्त रूप से शामिल की जायेगी।

10.2 मूल्यांकन किए जाने हेतु शोध-प्रबन्ध जमा करने से पूर्व पीएच.डी शोधार्थी संदर्भित–पत्रिका में अपने विषय से सम्बन्धित कम से कम एक शोधपत्र अनिवार्यरूप से प्रकाशित कराएगा तथा अपने थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व सम्मेलनों/संगोष्ठियों में न्यूनतम दो शोधपत्र प्रस्तुत करेगा तथा इनके सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र अथवा पुनर्मुद्रणों के रूप में साक्ष्य शोधप्रबन्ध के परिशिष्ट भाग में संलग्न करेगा। शोधछात्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शोध प्रबन्ध के मुख्य–पृष्ठ के लिए मेरून रंग विश्वविद्यालय के गोल्डन–लोगो–सहित निर्धारित किया गया है । सभी शोधछात्र निर्धारित रंग के अनुसार अपना शोधप्रबन्ध मुख्य–पृष्ठ तैयार करेंगे ।

10.3 सुविकसित–सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा–सम्बन्धी छल–कपट का पता लगाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित शोध–समीक्षा–समिति द्वारा परीक्षण कराकर उचित–कार्यवाही की जाएगी। थीसिस को मूल्याकंन–हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा शोध–पर्यवेक्षक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन–स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य विश्वविद्यालय में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपाधि प्रदान करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है । शोधप्रबन्ध प्रस्तुत करते समय शोधछात्रों को निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

01. रचनास्वत्त्वाधिकार–प्रमाणपत्रम्
02. शोधच्छात्रस्य प्रतिज्ञापत्रम्
03. शोधच्छात्रस्य घोषणापत्रम्
04. शोधप्रविधिपरीक्षाप्रमाणपत्रम्
05. प्रस्तुति–पूर्व–सङ्गोष्ठीसफलताप्रमाणपत्रम्
06. रचनास्वत्त्वाधिकारहस्तान्तरणप्रमाणपत्रम्

10.4 शोधार्थी द्वारा जमा किये गए पीएच.डी. शोधप्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य–परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो विश्वविद्यालय में नियोजित न हों, जिनमें से एक परीक्षक विदेश से भी हो सकता है। अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक–परीक्षा, शोध–पर्यवेक्षक तथा दो बाह्य–परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य–परीक्षक द्वारा की जाएगी, इसमें विभाग तथा पीठम् के सदस्यगण और अन्य शोधार्थी या इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

10.5 थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी, जब थीसिस पर बाह्य–परीक्षकों की मूल्यांकन–रिपोर्ट संतोषजनक हो। पीएच.डी. शोधप्रबन्ध के सम्बन्ध में बाह्य–परीक्षक की कोई एक मूल्यांकन–रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्य–परीक्षक को थीसिस भेजेगा तथा नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक–परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक हो तो, थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा ।

10.6 थीसिस जमा करने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर पीएच.डी. शोधप्रबन्ध के मूल्यांकन की समग्र–प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

10.7 विद्यापरिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अस्थाई–प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु एक शोध–उपाधि समिति का गठन किया गया है। शोधोपाधि समिति की संस्तुति के उपरान्त ही शोधछात्रों को अस्थाई प्रमाणपत्र/शोधोपाधि निर्गत की जाएगी। शोधोपाधि–समिति की संस्तुतियों को विद्या परिषद् की अगली बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

विद्यापरिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शोधकार्य सम्पन्न करने वाले छात्र की वाक् परीक्षा के अनन्तर यदि वाक् परीक्षक भी अनुसन्धान उपाधि प्रदान करने के लिए संस्तुति करते हैं, तो सभी संस्तुतियाँ शोधोपाधि–समिति की बैठक में स्वीकृति–हेतु प्रस्तुत की जाएगी। शोधोपाधि–समिति द्वारा विद्यावारिधि–उपाधि–हेतु निर्धारित–मापदंडों के अनुपालन में वाक्–परीक्षकों की संस्तुतियों की समीक्षा कर सम्बन्धित् शोधछात्रों को शोध–उपाधि प्रदान करने के लिए योग्य घोषित करने की अनुशंसा तथा अस्थाई प्रमाणपत्र निर्गत करने की अनुशंसा की जाएगी। शोधोपाधि–समिति का गठन निम्न प्रकार से होगाः–

1. कुलपति	–	अध्यक्ष
2. पीठम्प्रमुख, वेद–वेदांग	–	सदस्य
3. पीठम्प्रमुख, साहित्य एवं संस्कृति	–	सदस्य
4. पीठम्प्रमुख, दर्शनशास्त्र	–	सदस्य
5. पीठम्प्रमुख, आधुनिक विषय	–	सदस्य
6. पीठम्प्रमुख, शिक्षाशास्त्र	–	सदस्य
7. कुलसचिव	–	सदस्य
8. परीक्षा–नियंत्रक/ उपकुलसचिव (परीक्षा)	–	संयोजक

उपरोक्त शोधोपाधि–समिति की बैठक आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह के अन्तिम–सप्ताह में की जा सकती है। शोधोपाधि–समिति की अनुशंसा के उपरान्त परीक्षा–विभाग द्वारा अस्थाई प्रमाण पत्र/उपाधिपत्र जारी किया जा सकता है।

11.0. पीएच.डी. शोधप्रबन्ध जमा करने से पूर्व आवश्यक–निर्देशों का अनुपालन

11.1. विद्यावारिधि–सत्रीय–पाठ्यक्रम का आयोजन यू.जी.सी. के नियमानुसार पूर्णकालिक है। इसमें सत्रीय पाठ्यक्रम के अध्ययन के साथ–साथ पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों तक नियमितरूप से प्रतिमास 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। शोधछात्र द्वारा 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं करने की स्थिति में शोधछात्र को तब तक लगातार उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जब तक शेष उपस्थिति को पूरा कर 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं हो पाती ।

11.2. **चिकित्सा–हेतु चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में कम से कम 65 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह लाभ उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्राप्त हो सकेगा जो इस आशय का चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे।**

11.3. पूर्व–पीएच.डी. अनिवार्य–पाठ्यक्रम है, अतः सभी शोधार्थी को इसे कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उनका पंजीकरण निरस्त हो जायेगा।

11.4. सत्रीय–पाठ्यक्रम की सत्रान्त–परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले छात्र अपनी अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, संदर्भ–पत्रिका में प्रकाशित शोधपत्रों की प्रतिलिपि और संगोष्ठी में प्रस्तुत शोधपत्रों की प्रतिलिपि, शोधप्रबन्ध की दो सी.डी,/डी.वी.डी. जिसमें शोधप्रबन्ध यथावत् प्रस्तुत हो एवं शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणित हो, को शोधप्रबन्ध के साथ अवश्य संलग्न करेंगे, जिससे उन्हें यथोचित विद्यावारिधि का प्रमाणपत्र परीक्षा–विभाग से दिया जा सके। शोधप्रबन्ध की सी.डी./डी.वी.डी. पर स्थायी मार्कर द्वारा शोध–शीर्षक, शोधछात्र का नाम, विभाग का नाम अंकित करना एवं शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

11.5. समस्त आवश्यक–प्रपत्रों के साथ शोधप्रबन्ध विश्वविद्यालय के शैक्षणिक–अनुभाग में जमा किया जायेगा। शैक्षणिक–अनुभाग सम्बन्धित प्रमाणपत्रों एवं नियमों की पूर्ति–सम्बन्धी विवरण की जॉच करेगा। शोध प्रबन्ध के नियमानुकूल पाये जाने की स्थिति में 15 दिनों के अन्दर परीक्षा–अनुभाग को आवश्यक–कार्यवाही–हेतु प्रेषित करेगा।

11.6 शोधछात्र को शोधप्रबन्ध के मूल्यांकन–हेतु प्रबन्ध–शुल्क रु. 1000/– लेखा–विभाग में जमा करवाने होंगे । शोधप्रबन्ध–शुल्क जमा करवाने के उपरान्त ही शोधप्रबन्ध अग्रिम–कार्यवाही–हेतु परीक्षा–विभाग को प्रेषित किये जायेंगे ।

12.0. विद्यावारिधि–पाठ्यक्रम में पंजीकृत–छात्रों की उपस्थिति, प्रगति विवरण एवं अनुशासन

12.1. प्रत्येक विभागाध्यक्ष के पास प्रत्येक शोधछात्र की उपस्थिति एवं प्रगति पंजिका रखी जाएगी, जिसमें उसके विभागीय अध्यापकों के निर्देशन में कार्यरत शोधछात्र की नियमित उपस्थिति और उसके षाण्मासिक–प्रगति–विवरण का अंकित होना अनिवार्य है। प्रगति–विवरण की पुष्टि के अनन्तर ही शोधछात्र का शोध–प्रबन्ध विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा के लिए अग्रसारित किया जाएगा।

12.2. यदि कोई छात्र तीन माह तक बिना किसी स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है, तो उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

12.3. प्रत्येक शोधछात्र के लिये अपना षाण्मासिक–प्रगति–विवरण शोधनिर्देशक एवं विभागाध्यक्ष से संस्तुत एवं अग्रसारित कराकर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक–अनुभाग में समय से जमा कराना अनिवार्य होगा।

12.4. प्रत्येक शोधछात्र को मूल शैक्षिक–अवधि (तीन वर्ष) में प्रतिमास न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अंकित करना अनिवार्य है। प्रत्येक माह के प्रथम कार्यदिवस पर विगत माह की उपस्थिति पंजिकाएं पीठम् प्रमुख के माध्यम से शैक्षिक–अनुभाग में उपस्थिति–विवरण–हेतु भेजी जायेंगी। प्रत्येक शोधछात्र के मासिक–उपस्थिति का विवरण पीठम्प्रमुख के पास भी प्रस्तुत किया जायेगा। यदि किसी माह में छात्रवृत्ति प्राप्त करनेवाले शोधार्थी की अनुपस्थिति 10 दिनों से अधिक होगी, तो उसे उस माह की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जायेगी एवं किसी भी परिस्थिति में इसे आगामी माह की उपस्थिति में समायोजित नहीं किया जायेगा।

12.5. सत्रीय–पाठ्यक्रम में छात्र की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। न्यूनतम–उपस्थिति–अवधि में कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी। गम्भीर–रुग्णता की स्थिति में पंजीकृत–चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय–प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति द्वारा अधिकतम 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा सकती है।

12.6. अनुसन्धाता को दिल्ली में रहकर शोधकार्य करना होगा, किन्तु अनुसन्धान–सम्बन्धी–कार्य के लिए अन्यत्र रहना आवश्यक होने पर मार्ग–निर्देशक की संस्तुति, विभागाध्यक्ष तथा पीठम्प्रमुख की स्वीकृति पर अधिक से अधिक एक माह तथ्य–संकलन के लिये बाहर रहने की अनुमति कुलसचिव/कुलपति द्वारा दी जा सकती है। तीन वर्ष में अधिक से अधिक 2 माह की अनुमति तथ्य संकलन के लिये मिल सकती है। जे.आर.एफ. शोधार्थी यू.जी.सी एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त फैलोशिप के सम्बन्ध में सम्बद्ध संस्था के नियम लागू होंगे, नियम स्पष्ट न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के नियम ही लागू होंगे । इस सम्बन्ध में छात्र को आवेदन पत्र विभाग के माध्यम से शैक्षणिक विभाग को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

12.7. प्रत्येक अनुसन्धाता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर आयोजित संगोष्ठियों तथा व्याख्यानों में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है एवं शोधावधि में कम से कम दो मौलिक शोध–निबन्ध संगोष्ठियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12.8. अभ्यर्थी जिसको विद्यावारिधि के लिए पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी हो, विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय या परीक्षण संस्था में किसी भी अन्य उपाधि अथवा परीक्षा के लिए नामांकन या प्रवेश नहीं करा सकेगा।

12.9. शोधछात्रों के लिये कुल अध्ययन–दिवसों में कम से कम 50 प्रतिशत दिवसों में केन्द्रीय ग्रंथालय में शोध–तथ्य–संकलन एवं अध्ययन–हेतु उपस्थिति अनिवार्य होगी।

12.10. शोधछात्रों को 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016' में दिये गये प्रावधानों के अनुमन्य–आचरण करना आवश्यक है।

12.11. शोधनिर्देशक/विभागाध्यक्ष और पीठम् प्रमुख से यदि किसी शोधछात्र के आचरण एवं सामान्य व्यवहार के सम्बन्ध में प्रतिकूल–टिप्पणी प्राप्त होने पर अनुशासन–समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा कम से कम एक माह के लिये निलम्बित किया जा सकता है और शोधावधि में ऐसी तीन शिकायतों की स्थिति में सम्बन्धित शोधछात्र का पंजीयन निरस्त किया जा सकता है।

12.12. जे.आर.एफ./नेट/स्लेट परीक्षा–उत्तीर्ण विद्यावारिधि के छात्रों को स्नातक–स्तरीय–कक्षाओं में अध्यापन का दायित्व प्रदान किया जा सकता है।

12.13. ऐसे अभ्यर्थी, जो पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए 11 जुलाई, 2009 को अथवा उसके पश्चात् इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि तक पंजीकृत हुए थे, ऐसे अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना इन यूजीसी (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक एवं विधि) विनियम, 2009 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

12.14. विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यावारिधि के शोधछात्र शोधकाल में प्रतिवर्ष पूर्वघोषित राजपत्रित अवकाश के पात्र होंगे।

12.15. विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा–पद्धति के माध्यम से विद्यावारिधि–पाठ्यक्रम 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016' के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं करेगा। अंशकालिक–आधार पर विद्यावारिधि–पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति इस आधार पर होगी, जबकि वर्तमान विनियमों में उल्लिखित–शर्तों को पूर्ण की जांय।

12.16. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016 के समस्त अन्य प्रावधानों तथा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय में विद्यावारिधि–उपाधि प्राप्त करने के लिये यथावत् स्वीकार किया जायगा।

12.17 विद्यावारिधि–उपाधि–विनियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत शोध के लिए पंजीकृत–छात्रों को तीन वर्ष की नियमित उपस्थिति और सम्बन्धित अवधि में शोध की संतोषजनक–प्रगति–रिपोर्ट के बाद नियमित–उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। तीन वर्ष के उपरान्त भी शोधछात्र को शोधप्रबन्ध जमा करने की निर्धारित अवधि में शोधप्रगति–विवरण प्रति छः माह में जमा करना अनिवार्य होगा जिससे उसे शोध–समीक्षा–समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

12.18 जे.आर.एफ. एवं अन्य शोध अध्येयतावृत्ति प्राप्त पंजीकृत शोध छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / सम्बन्धित संस्था द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य

होगा। निर्धारित समयावधि में प्रगति विवरण / **निरंतर**ता प्रमाणपत्र एवं अन्य वांछित प्रपत्र शैक्षणिक विभाग में जमा न करवाने की स्थिति में सम्बन्धि छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।

13.0 समयवृद्धि

सभी पंजीकृत–छात्रों को तीन वर्ष के सामान्य–पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद समय की अपेक्षा में उनके प्रार्थनापत्र पर शोधनिर्देशक, विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर पीठम्प्रमुख द्वारा एक–एक वर्ष की समयवृद्धि का निर्णय लिया जा सकता है। अनुसन्धान–काल की अधिकतम अवधि–पंजीकरण की तिथि से छः (6) वर्ष की होगी। समयवृद्धि की अवधि में भी उपस्थिति नियम वही होंगे, जो न्यूनतम–शोधावधि में उल्लिखित हैं। समयवृद्धि हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रियानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा पंजीकरण निरस्त माना जाएगा।

14.0. इन्फ्लिबनेट के साथ डिपोजिटरी

14.1. पीएच.डी. उपाधियों को अवार्ड करने हेतु सफलतापूर्वक मूल्यांकन–प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् तथा पीएच.डी. उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व, विश्वविद्यालय पीएच.डी. शोधप्रबंध की एक इलैक्ट्रॉनिक प्रति (सी.डी./डी.वी.डी.) इन्फ्लिबनेट के पास बेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी संस्थानों/महाविद्यालयों तक इनकी पहुँच बनाई जा सके ।

14.2. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित शोधछात्र को यह प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा कि उपाधि, 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016' के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

15.0. विशेष–उपबन्ध

15.1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् द्वारा उपर्युक्त नियमों के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन या संशोधन किये जाने की स्थिति में संशोधित–नियम विश्वविद्यालय में तत्काल प्रभाव से लागू स्वीकार किये जायेंगे।

15.2. श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृत विश्वविद्यालय विद्यावारिधि/विशिष्टाचार्य नियमावली, 2016 के किसी नियम की अस्पष्टता की स्थिति में कुलपति की संस्तुति के उपरान्त स्पष्टीकरण के लिये विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

15.3. विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् द्वारा इस विनियम के प्रावधानों में संशोधन, परिवर्तन या उसके निरस्तीकरण का सुझाव विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल को किया जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

15.4 दिनांक 3/4/2017 को आयोजित विद्यापरिषद् की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार अशंकालिक-विद्यावारिधि-पाठ्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत यदि कोई छात्र सत्रीय-पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के उपरान्त कम से कम छः माह तक निर्धारित शोधनिर्देशक के साथ विद्यावारिधि-पाठ्यक्रम में शोधकार्य सम्पन्न कर लेता है और कहीं सेवारत हो जाता है, तो उसके प्रार्थनापत्र एवं उस संस्था के अनापत्ति-प्रमाणपत्र पर सेवायोजक द्वारा अनापत्ति-प्रमाणपत्र देने और कुलपति की स्वीकृति के उपरान्त नियमित से अंशकालिक-शोधछात्र के रूप में शोधकार्य पूर्ण करने के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऐसे शोधछात्र को भी षाण्मासिक-प्रगति-विवरण शोध-समीक्षा समिति के मूल्यांकन-हेतु प्रस्तुत करना होगा। अंशकालिक-शोधछात्र को केवल नियमित-उपस्थिति में छूट प्रदान की जायेगी। अन्य-प्रक्रिया-हेतु उसे विश्वविद्यालय के शोध-नियमावली का अनुपालन करना होगा।

15.5 सेवारत-कर्मचारियों द्वारा सेवा-संस्थान के अनापत्ति-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने एवं प्रवेश-प्रक्रिया के नियमों का अनुपालन करने के उपरान्त अंशकालिक-शोधछात्र के रूप में पंजीयन की अनुमति शोध-मण्डल द्वारा प्रदान की जा सकती है। ऐसे छात्र को कम से कम एक वर्ष तक नियमितरूप से विश्वविद्यालय में शोधकार्य करना होगा तथा सत्रीय-पाठ्यक्रम में सहभागिता (कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति) के

साथ उसे उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। ऐसे छात्रों को अगले छः माह तक निर्देशक के साथ शोधकार्य करना आवश्यक है।

Format for thesis submission in the form of soft copy.

1. Title.pdf
2. Certificate.pdf
3. Preface.pdf
4. Acknowledgement.pdf
5. Contents.pdf
6. List of tables, charts and graphs.pdf
7. Chapter 1.pdf with reference
8. Chapter2.pdf with reference
9. Chapter 3.pdf with reference
10. Chapter 4.pdf with reference
11. Chapter 5.pdf with reference
12. Appendix.pdf

* Please use a rewritable CD of Moserbaer pro /Sony/Writex/ any rewritable CD of good quality.

विद्यावाचस्पति (डी.लिट्.) उपाधि के नियम

श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय , नई दिल्ली निम्नलिखित नियम के आधार पर विद्यावाचस्पति (डी.लिट्.)-उपाधि प्रदान करेगा :--

1. **अर्हता**

(क) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की विद्यावारिधि उपाधि या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या मानित विश्वविद्यालय से तत्समकक्ष अनुसन्धान-उपाधि संस्कृत, पालि, प्राकृत अथवा किसी अन्य भारतीय-विद्या से सम्बद्ध विषय में प्राप्त होनी चाहिए ।

(ख) अभ्यर्थी द्वारा अपने विषय में उच्चस्तरीय आई.एस.बी.एन. नम्बर के साथ दो ग्रन्थों का प्रकाशन एवं आई.एस.एस.एन. नम्बर के साथ कम से कम पाँच शोधपत्रों का प्रकाशन होना चाहिए, जिनकी संस्तुति क्षेत्र के उत्कृष्ट-विद्वानों द्वारा की गई हो ।

(ग) अभ्यर्थी विद्यावारिधि-उपाधि के न्यूनतम पाँच वर्ष के अनन्तर विद्यावाचस्पति-उपाधि के लिए आवेदन कर सकता है ।

2. **विद्यावाचस्पति-उपाधि-हेतु प्रस्तावित-शोधयाजना के प्रकार**

विद्यावाचस्पति-उपाधि-हेतु अभ्यर्थियों के दो प्रकार हो सकते हैं :--

(1) विद्यावाचस्पति-उपाधि के पंजीकरण-हेतु संस्कृतभाषा में प्रकाशित-ग्रन्थ पंजीकरण-हेतु प्रस्तुत कर सकता है, जो पंजीकरण की तिथि से कम से कम तीन वर्ष पूव प्रकाशित हो चुका हो। यदि इसप्रकार की कोटि स्वीकृत होती है, तो विश्वविद्यालय उक्त-उपाधि के लिए उस प्रकाशित ग्रन्थ का परीक्षण उपाधि-हेतु पंजीकरण के लिए कर सकेगा ।

(2) अभ्यर्थी विद्यावाचस्पति-उपाधि के लिए पंजीकरण हेतु नये विषय के रूप में किसी विषय का चनाव कर सकता है अथवा अप्रकाशित-पाण्डुग्रन्थ के संस्कृतभाषा में निबद्ध समीक्षात्मक-पद्धति के आलोक में समीक्षात्मक-सम्पादन-पंजीकरण हेतु प्रस्तुत कर सकता है । यदि इस तरह के विषय का पंजीकरण स्वीकृत किया जाता है, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किसी प्रतिष्ठित शोध-निर्देशक के मार्गनिर्देशन में कम से कम तीन वर्ष में उक्त कार्य को पूर्ण करना होगा। विशेष-परिस्थिति में इस उपक्रम को दो वर्ष के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है ।

3. **प्रवेश प्रक्रिया**

(क) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली विद्यावाचस्पति-उपाधि-हेतु प्रवेश के लिए शैक्षणिक-वर्ष के प्रारम्भ में एक सूचना प्रसारित करेगा। तदपरान्त अभ्यर्थियों को निर्धारित-प्रपत्र पर आवेदन करना होगा ।

(ख) अभ्यर्थी अपनी अपेक्षित-अर्हता का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित-शुल्क एवं अपेक्षित-प्रमाणपत्रों के साथ पंजीकरण-हेतु आवेदन करेगा ।

(ग) अभ्यथी अपने प्रस्तावित विषय की संक्षिप्तिका की पाँच प्रतियाँ प्रतिज्ञापत्र के साथ प्रस्तुत करेगा, जिसमें निर्धारित-मापदण्ड के आधार पर यह घोषित करेगा कि प्रस्तावित-शोधयोजना किसी ग्रन्थ या विषय की नयी व्याख्या या अप्रकाशित/प्रकाशित पाण्डुग्रन्थ का

समीक्षात्मक-सम्पादन है । एकल पाण्डुलिपि के सम्पादन-हेतु उसके सम्पादन के मापदण्डों का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

शोध-संक्षिप्तिका निर्माण-हेतु निम्नलिखित-बिन्दु ध्यातव्य हैं :--

(1) अनुसन्धानस्य सर्वेक्षणम्
(पूर्वानुसन्धानस्य सर्वेक्षणं स्वीकृतकार्यस्य नवीनता च)

(2) सामग्रीसंकलनस्त्रोतांसि

(3) अनुसन्धानप्रविधि:

(4) प्रस्ताविताध्यायवर्गीकरणम्

(5) ग्रन्थसूची (वर्णानुक्रमानुसारम्) लेखक-सम्पादक-प्रकाशक-प्रकाशनस्थलम्-प्रकाशनवर्ष-सहितम् (अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार)

4. **निर्धारित-मापदण्ड**

आवेदनपत्रां की जाँच निम्नलिखित परिवीक्षण-समिति द्वारा हागी :--

(1)	कुलपति	अध्यक्ष
(2)	सम्बद्ध पीठम्प्रमुख	सदस्य
(3)	विद्या-परिषद् का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(4)	विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ आचार्य	सदस्य
(5)	कुलपति द्वारा मनोनीत दो बाह्य विशेषज्ञ	सदस्य
(6)	शोध-विभागाध्यक्ष	संयोजक-सदस्य

कुलपति की अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा मनोनीत-विद्वान् अध्यक्षता करेगा । यह समिति शोधप्रबन्ध और अभ्यर्थी की अर्हता के विषय में परामर्श देगी । आवेदनपत्र की पूर्णता एवं वैधता की स्थिति में आवेदनपत्र शोधमण्डल के समक्ष विद्यावाचस्पति-उपाधि के पंजीकरण की स्वीकृति-हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा । समिति का सदस्य यदि स्वयं अभ्यर्थी है, तो वह इस जाँच-समिति का सदस्य नहीं हो सकता।

5. **शोध-प्रबन्ध की भाषा संस्कृत ही होगी** ।

6. **शोध-प्रबन्ध के मूल्यांकन** के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त पाँच विषय-विशेषज्ञों के नाम एवं शोधनिर्देशक द्वारा पाँच विषय-विशेषज्ञों के नाम अर्थात् कुल दस विषय-विशेषज्ञ के नाम शोधमण्डल के द्वारा स्वीकृत होने के उपरांत कुलपति द्वारा तीन परीक्षक नियुक्त किये जायेंगे । शोधनिर्देशक न होने पर सम्बद्ध पीठम्प्रमुख द्वारा पाँच विषय-विशेषज्ञों के नाम दिये जायेंगे ।

7. **शोध-प्रस्ताव का परिवीक्षण-शोधमण्डल द्वारा होगा, जिसका गठन निम्नलिखित है :--**

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	सभी पीठम्प्रमुख	सदस्य
3.	विद्यापरिषद् का एक प्रतिनिधि	सदस्य
4.	विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ-आचार्य (कुलपति द्वारा नामित)	सदस्य
5.	कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य-विषय-विशेषज्ञ	सदस्य
6.	आचार्य एवं अध्यक्ष शोधविभाग	सदस्य सचिव

कुलपति की अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोनीत-व्यक्ति शोधमण्डल के उपवेशन की अध्यक्षता कर सकेगा। आवश्यकता होने पर शोधमण्डल मार्गनिर्देशक/विभागाध्यक्ष को भी परामर्श के लिए आमंत्रित कर सकेगा। समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

कुलपति महोदय द्वारा तीन परीक्षक नियुक्त किये जायेंगे ।

शोधप्रबन्ध की चार प्रतियाँ एवं दो उसकी दो सी.डी. के साथ शैक्षणिक-अनुभाग के पास प्रस्तुत करनी होगी । शैक्षणिक-अनुभाग पत्रावलो के द्वारा शोधप्रबन्ध को परीक्षा-विभाग में भेजेगा ।

8. **शोधप्रबन्ध के लिए निम्नलिखित अपेक्षाये :--**

(क) यह एक ऐसा गुणदोष-विवेचित विशिष्ट-शोधकार्य होना चाहिए, जिसमें या तो तथ्यों का अनुसन्धान हो अथवा सैद्धान्तिक-तथ्यों की नवीन-व्याख्या की गई हो। दोनों प्रकरणों में आलोचनात्मक-परीक्षण एवं तन्निःसृत दृढ़निर्णय अनुसंधान की क्षमता का स्पष्ट-सूचक होना चाहिए ।

(ख) भाषा और विषय-प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से शोधप्रबन्ध उत्कृष्ट होना चाहिए ।

9. **शुल्क**

अभ्यर्थी को विद्यावाचस्पति परीक्षा के लिए निर्धारित-शुल्क 10,000/- (दस हजार) रुपये सहित शोधप्रबन्ध की चार प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी ।

10. (क) प्रत्येक परीक्षक अपना प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करेंगे । प्रत्येक परीक्षक शोधप्रबन्ध की विशेषताओं के विषय में अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी के अतिरिक्त यह स्पष्टरूपेण प्रकट करेगा कि:-

१. शोधप्रबन्ध विद्यावाचस्पति उपाधि हेतु स्वीकृत किया जाना चाहिए ।

अथवा

२. शोधप्रबन्ध अस्वीकृत किया जाना चाहिए ।

अथवा

३. संशोधन हेतु संस्तुत ।

11. यदि केवल एक परीक्षक शोध-प्रबन्ध को स्वीकृति देता है तथा अन्य दो परीक्षक निरस्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में शोधप्रबन्ध निरस्त माना जायेगा । यदि दो परीक्षक स्वीकृति देते हैं, एक निरस्त करता है तो चौथे परीक्षक के पास परीक्षणार्थ भेजा जायेगा, जिसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा पूर्व स्वीकृत सूची से की जायेगी । चतुर्थ-परीक्षक के द्वारा उपाधि-हेतु शोधप्रबन्ध के स्वीकृत किये जाने पर शोधप्रबन्ध स्वीकृत माना जायेगा ।

यदि एक या एक से अधिक परीक्षक संशोधन के लिए कहते हैं तो शोधप्रबन्ध संशोधन के लिए भेजा जायेगा । संशोधन की संस्तुति करते समय यह आवश्यक होगा कि परीक्षक संशोधन क लिए अभ्यर्थी के लिए संशोधनीय-बिन्दुओं एवं दिशा का स्पष्ट-निर्देश और तथ्यों का उल्लेख करें । अतः अभ्यर्थी को निर्णय की सूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर परीक्षकों द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशां को ध्यान में रखते हुए शोधप्रबन्ध का संशोधन करके पुनः प्रस्तत करना होगा । संशोधित शोधप्रबन्ध पुनः उक्त परीक्षकों के पास भेजा जायेगा । संशोधित शोधप्रबन्ध पुनः संशोधन-हेतु मान्य नहीं होगा।

12. शोधार्थी को वाक्-परीक्षा के लिए उपस्थित होना अपेक्षित होगा । परीक्षक-मण्डल में एक वाक्-परीक्षक होगा ।

13. यदि वाक्-परीक्षा का परीक्षक संतुष्ट है, तो उसका प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हतु विद्वत्परिषद् के समक्ष संस्तुति-हेतु रखा जायेगा । विद्वत्परिषद् सर्वसम्मति से की गयी संस्तुतियों को हो स्वीकार करेगी तथा विद्यावाचस्पति-उपाधि प्रदान करने की घोषणा करेगी । इस संबंध में परीक्षा-विभाग एक विज्ञप्ति जारी करेगा और तदनन्तर आयोजित दीक्षान्त-समारोह में उपाधि प्रदान की जायेगी ।

14. वाक्-परीक्षा का स्थान विश्वविद्यालय होगा, किन्तु किसो विशिष्ट-प्रकरण में कुलपति वाक्-परीक्षा के लिए अन्य-स्थान की अनुमति भी प्रदान कर सकते हैं ।

15. विद्यावाचस्पति-उपाधि-हेतु शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन करने वाले प्रत्येक परीक्षक को वित्त-समिति द्वारा पारित मानदेय देय होगा ।

16. उपर्युक्त-नियमों में किसी भी नियम के संशोधन या परिवर्धन का अधिकार कुलपति के पास सुरक्षित होगा ।

मूक्स पाठ्यक्रम

१. प्रस्तावना

1. शिक्षा के प्रसार-हेतु उच्चतर-शिक्षा तक पहुँच को व्यापक बनाया जाना तथा प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति का उपयोग कर तत्संबंधी-लागत को कम करना है।
2. पारम्परिक एवं ऑनलाइन-शिक्षा-सहित, शिक्षा प्रदान करने के लिए बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम (MOOCs) एक व्यावहारिक-मॉडल के रूप में उभरे हैं।
3. ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन के भारतीय स्वरूप 'स्वयं' (युवा एवं उच्चाकांशी बौद्धिकों के लिए सक्रिय ज्ञान-अर्जन की अध्ययन-पद्धति) को ज्ञान-अर्जन के स्वदेशी-प्लेटफॉर्म पर संस्कृत-सम्बन्धी-पाठ्यक्रमों में उपयोग में लाना।
4. ई-ज्ञान अर्जन की कहीं-भी, कभी-भी पद्धति तथा पारंपरिक और कक्षागत चॉक-एंड-टॉक अध्यापन-पद्धति के बीच तालमेल बिठाने की आवश्यकता है, ताकि एक अनुपम विषयवस्तु-अन्तरण-प्रणाली को विकसित किया जा सके, जो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भौगोलिक सीमाओं से इतर ज्ञान का निर्बाध-अन्तरण सुनिश्चित कर सके।
5. एक ऐसी विनियामक-प्रणाली स्थापित किए जाने के उद्देश्य स ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन तथा सामान्य-कक्षागत-ज्ञान-अर्जन के बीच निर्बाध-संबध स्थापित किया जा सके।

२. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन

1. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन-ज्ञान-अर्जन-पाठ्यक्रमों-हेतु-क्रेडिट-ढाँचा) विनियम 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में उक्त विनियम को विश्वविद्यालय में क्रियान्वित करने के लिए स्वीकार किया गया है। तदनुरूप 'स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने, निर्धारित-पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने और क्रेडिट-प्राप्ति/स्थानान्तरण करने के लिए बनाय गये नियमों को श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय 'स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु 'क्रेडिट-ढाँचा-नियमावली 2016' कहा जायेगा।
2. यह विनियम ऐसे छात्रों के क्रेडिट-अंतरण पर भी लागू होंगे, जिन्होंने देश में किसी भी शैक्षिक-संस्थान में एक नियमित / अंशकालिक-छात्र के रूप नामांकन प्राप्त किया है।
3. इन पाठ्यक्रमों में कोई भी अध्येता ज्ञानार्जन की दृष्टि से प्रवेश ले सकता है। जो विद्यार्थी किसी संस्थान में नियमित/अंशकालिकरूप से प्रवेश लिया हो, वे भी विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में विकल्प-आधारित-क्रेडिट-प्रणालो के अन्तर्गत पञ्जीकरण कर सकता है।

३. परिभाषाएं-

1. पाठ्यक्रम का अभिप्राय एक पत्र से होगा, जिसे विषय के भाग के रूप में कम से कम एक सेमेस्टर तक पढाया जाएगा।
2. 'चतुष्पदीय-पद्धति' का अभिप्राय सामान्यत: एक ई-ज्ञान अर्जन प्रणाली से है, जिसके निम्नवत् घटक होते हैं-

- प्रथम-पद एक ई-अनुशिक्षण है: जिसमें एक सुव्यवस्थित रूप में दृश्य-श्रव्य विषयवस्तु, एनीमेशन-फिल्में, सिम्युलेशन, वर्चुअल-लैब अंतर्निविष्ट है।
- द्वितीय पद एक ई-विषयवस्तु है: जहाँ कहीं भी आवश्यक हों, वहाँ पीडीएफ, ई-पुस्तकें, दृष्टांत, विडियो प्रदर्शन, दस्तावेज और इंटरेक्टिव-सिमुलेशन अंतर्निविष्ट हैं।
- तृतीय-पद एक वेब-संसाधन है: जिसमें विषय स संबंधित लिंक, इंटरनेट पर मुक्त-वस्तुविषय, मामला-अध्ययन, उपाख्यान-संबंधी-जानकारी, विषयों तथा लेखों का क्रमिक-विकास अंतर्विष्ट हैं।
- चतुर्थ-पद एक स्व-मूल्यांकन-पद्धति है: जिसमें बहुविकल्प-प्रश्न (MCQ), समस्या, प्रश्नोत्तरो, निर्दिष्ट-कार्य एवं उनके हल, चर्चा-हेतु मंच के विषय तथा बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ), सामान्य-भ्रान्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण अंतर्निविष्ट हैं।

3. 'मेजबान संस्थान / विश्वविद्यालय (Host Institution / Vidyapeetha)' का अभिप्राय - श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रोय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ह, जिससे पाठ्यक्रम की पेशकर करनेवाला मुख्य-अन्वेषक (PI) / विषय-विशेषज्ञ (SME) संबंद्ध ह, जिसे मेजबान-संस्थान द्वारा विधिवत्-मान्यता अनुमोदित किया गया है।
4. 'संस्थान (Institution)' का अभिप्राय देश में पञ्जीकृत तथा कार्य-प्रचालन करनेवाले किसी शिक्षा-संस्थान से है।
5. 'वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम' (MOOCs) ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं, जा यहाँ उल्लिखित चतुष्पदी-शिक्षणशास्त्रीय-पद्धति के अनुरूप विकसित किये गये हैं, तथा भारत सरकार के स्वयं के प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराये गए हैं।
6. 'वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम' (MOOCs) संबंधी दिशानिर्देशों' का अभिप्राय ऑनलाइन-ज्ञानार्जन के विषय पर 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' द्वारा जारी किए दिनांक 11.5.2016 के दिशानिर्देशों तथा तत्संबंधी-उत्तरवर्ती-अनुबंधों से है।
7. राष्ट्र-बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम-समन्वयकर्ता (NMC), भारत सरकार द्वारा इस प्रयाजनार्थ विनिर्दिष्ट ऐसी एक राष्ट्रीय-स्तरीय एजेन्सी है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन-पाठ्यक्रमों को तैयार करने संबंधी कार्य का समन्वय करना तथा ज्ञान-अर्जन के एक विनिर्दिष्ट-क्षेत्र में उनकी गुणवत्ता की निगरानी करना है।
8. 'मूल-संस्थान (Parent Institution)' का अभिप्राय उस संस्थान/ विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से है, जहाँ पर छात्र एक नियमित/अंशकालिक-छात्र के रूप में नामांकित है।
9. 'प्रधान-अन्वेषक' (PI) से अभिप्राय है, श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय के एक विषयवस्तु विशेषज्ञ (SME) से होगा, जिसे NMC द्वारा दिए गए किसी विशिष्ट-क्षेत्र में बृहद्-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम (MOOCs) विकसित करने तथा पूर्ण करने का कार्य सौंपा गया हो।
10. क्षेत्र का अभिप्राय स्नातकोत्तर-(M.A. (Sanskrit)/Acharya/Other equivalent courses) स्तर से है।
11. विषय का अभिप्राय शिक्षा-संस्थान में पढाई जा रही एक ऐसी विधा से है (M.A. संस्कृत, ज्योतिष आचार्य आदि), जिसमें विशिष्ट-पाठ्यक्रम मौजूद हैं तथा जिनमें परिणामत: स्नातकोत्तर-उपाधि प्रदान की जाती है।

12. स्वयं-मंच 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार' द्वारा विकसित किया गया तथा चलाया जा रहा एक ऐसा सूचना-प्रौद्योगिकी-प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम (एमओओसी) पद्धति पर ऑनलाइन-ज्ञान-अर्जन-पाठ्यक्रमों की पेशकश करना है।

४. ऑनलाइन-ज्ञान-अर्जन-पाठ्यक्रम

1. मेजबान-संस्थान / विश्वविद्यालय के माध्यम से 'राष्ट्रीय-बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम-समन्वयकर्ता' द्वारा अंतिमरूप से तैयार की गई अनुसूची के अनुरूप चिह्नित PIद्वारा स्वयं के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जायेंगे।
2. विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर सक्षम-प्राधिकारी के माध्यम से स्वयं के प्लेटफॉर्म द्वारा पेशकश किए जा रहे ऑनलाइन-पाठ्यक्रमों पर विचार करेगी तथा अपनी शिक्षा-संबंधी-अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन पाठ्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेगा जिन्हे वह क्रेडिट-अंतरण की अनुमति प्रदान करेगा।
3. कोई भी संस्थान किसी एक सेमेस्टर में किसी विशिष्ट-कार्यक्रम में पेशकश किए जा रहे कुल पाठ्यक्रमों के 20 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को ही स्वयं प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन-ज्ञान-अर्जन-पाठ्यक्रमों के माध्यम से पेशकश करने की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।
4. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत आचार्य पाठ्यक्रम के विद्यार्थिओं को द्वितीयसत्र एवं चतुर्थसत्र के पत्रों में से वैकल्पिक-पत्र के स्थान पर स्वयं-मञ्च पर उपलब्ध MOOC पाठ्यक्रमों से दो पाठ्यक्रमों को लेना अनिवार्य होगा।
5. संस्थान की कक्षा में प्रत्येक ऐसा छात्र, जिसने किसी विशिष्ट-पत्र (पाठ्यक्रम) का चुनाव किया हो, उस उस पाठ्यक्रम / पत्र-हेतु बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम (एमओओसी) के लिए पंजीकरण कराना अपेक्षित होगा।
6. स्वयं के माध्यम से पेशकश किए जा रहे ऑनलाइन-ज्ञान-अर्जन-पाठ्यक्रमों को स्वीकृति देते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पाठ्यक्रमों के चालू रखने के लिए मूल-संस्थान द्वारा अनिवार्य वास्तविक-सुविधाएं यथा प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर-सुविधाएं, पुस्तकालय आदि नि:शुल्क तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएंगी।
7. मूल-संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम की संपूर्ण-अवधि के दौरान छात्र को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा प्रयोगशाला/क्रियात्मक सत्र/ परीक्षा को सुविधापूर्ण-ढंग से आयोजित करवाने के लिए एक पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता/सुविधा-प्रदाता को नियुक्त किया जाए।

५. बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण

1. मेजबान-संस्थान / विश्वविद्यालय और प्रधान-अन्वेषक (PI) उनके द्वारा आरंभ किए गए बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम (MOOC) हेतु पंजीकृत-छात्रों के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होंगे।
2. मूल्यांकन पूर्व-निर्धारित-मानदंडों तथा मानकों पर आधारित होंगे तथा पाठ्यक्रम की संपूर्ण-अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट-साधनों, जैसे-चर्चा, मंच, प्रश्नोत्तरी, निर्दिष्ट-कार्य, सत्रीय-परीक्षाओं और अन्तिम-परीक्षाआं के माध्यम से व्यापक-मूल्यांकन पर आधारित होंगे।

3. परीक्षा-हेतु ऑनलाइन-पद्धति को प्राथमिकता दी जायेगी, तथापि विशेष एवं स्थानीय-परिस्थितियों के अनुकूल, प्रधान-अन्वेषक (PI)अन्तिम-परीक्षा को संचालित करने की पद्धति पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत होगा। पाठ्यक्रम को पेशकश किए जाने के समय पाठ्यक्रम की विवरणिका में इस संबंध में घोषणा की जाएगी।
4. यदि अन्तिम-परीक्षा लिखित में संचालित की जाती है, तो इसे आयोजित करने हेतु इच्छुक किसी महाविद्यालय/विद्यालय के माध्यम से आयोजित करवाया जाएगा। इस संबंध में अंतिम-निर्णय-प्रधान-अन्वेषक (PI)तथा मेजबान-संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाएगा।
5. परीक्षा संचालित करवाने तथा मूल्यांकन पूर्ण किए जाने के पश्चात् मेजबान-संस्थान/ विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रधान-अन्वेषक (PI) / परीक्षा-अधिकारी घोषित की गई मूल्यांकन-योजना के अनुसार अंक / ग्रड प्रदान करेगा।
6. अन्तिम-परीक्षा के समापन की तिथि से चार सप्ताह के भीतर छात्र के साथ-साथ उनके मूल-संस्थान को अन्तिम-अंक/ग्रेड की जानकारी भेजी जाएगी।
7. मूल-संस्थान स्वयं पाठ्यक्रम के प्रधान-अन्वेषक (PI) द्वारा मेजबान-संस्थान / विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक / ग्रेड को छात्र की अंकतालिका में शामिल करेगा, जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा अंतिमरूप से उपाधि प्रदान करने के लिए गणना की जाती है, बशर्ते कि जिन कार्यक्रमों में प्रयोगशाला/प्रयोगात्मक-घटक सम्मिलित हों, तो मूल-संस्थान, प्रयोगात्मक/प्रयोगशाला-घटक-हतु छात्रों का मूल्यांकन करेगा और तदनुसार इनमें प्राप्त अंकों/ग्रेडों को समग्र अंकों/ ग्रेड में सम्मिलित करेगा।
8. बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम (MOOC) के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के संबंध में प्रमाणपत्र पर प्रधान-अन्वेषक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा इन्हें मेजबान-संस्थान द्वारा जारी किया जाएगा और मूल-संस्थान को भेजा जाएगा।
9. अन्तिम-परीक्षा का परीक्षा-शुल्क विश्वविद्यालय के परीक्षा-विभाग के नियमानुसार-पञ्जीकृत-विद्यार्थियों को देय होगा।

६. एमओओसी की क्रेडिट मोबिलिटी

1. स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों द्वारा ऑनलाइन-ज्ञान-अर्जन-पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित किए गए क्रेडिट के लिए मूल-संस्थान छात्रों को समकक्ष-क्रेडिट प्रदान करेगा।
2. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा) विनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी विश्वविद्यालय बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रमों (एमओओसी) के माध्यम से अर्जित-क्रेडिट की मोबिलिटी के लिए किसी भी छात्र को इंकार नहीं करेगा।

७. अन्तिम उपाय

1. इस नियमावली के कार्यन्वयन के समक्ष आने वाले मुद्दों का समाधान प्रधान-अन्वेषक (PI) / 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' क द्वारा गठित स्थायी-समिति करेगी।
2. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन-ज्ञान-अर्जन-पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट-ढाँचा) विनियम, 2016 के प्रावधान और समय-समय पर आयोग द्वारा उनमें किये जाने वाले संशोधन यथावत् प्रभावी होंगे।

रैगिंग रोकथाम समिति

माननीय 'उच्चतम न्यायालय' के निर्णय तथा 'शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार' और 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के रैगिंग-निषेध एवं रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालय में रैगिंग रोकथाम के लिए प्रो० बिहारी लाल शर्मा को नोडल-अधिकारी मनोनीत किया गया है। रैगिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए छात्र/छात्रा नोडल-अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय में रैगिंग सर्वथा वर्जित है। शिकायत मिलने पर सम्बन्धित-छात्र/छात्रा का प्रवेश तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा सकता है। 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग अधिनियम-2009' के नियम-6.3 (क) दिनांक 17 जून, 2009 के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग दण्डनीय-अपराध है।

(विवाद की किसी भी स्थिति में न्यायिक-निर्णय 'उच्च न्यायालय, दिल्ली' की न्यायिक-सीमा में ही होगा।)

रैगिंग निषेध अधिनियम

'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग विनियम-2009' के नियम-6.3 (क) दिनांक 17 जून 2009 के अनुसार शैक्षणिक-परिसरों में रैगिंग दण्डनीय-अपराध है।

'रैगिंग' में निम्नलिखित गतिविधियाँ सम्मिलित हैं -

1. रैगिंग-हेतु उकसाना।
2. रैगिंग का आपराधिक-षड्यंत्र।
3. रैगिंग के समय अवैध-ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना।
4. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।
5. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना।
6. शरीर को चोट पहुँचाना।
7. गलत-ढंग से रोकना।
8. आपराधिक-बल प्रयोग।
9. प्रहार करना, यौन-सम्बन्धी-अपराध अथवा अप्राकृतिक-अपराध।
10. बलात्-ग्रहण।
11. आपराधिक-ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।
12. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध।
13. आपराधिक-धमकी।
14. मुसीबत से फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से काई अथवा सभी अपराध करना।
15. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना।
16. शारीरिक अथवा मानसिकरूप से अपमानित करना।
17. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध।

रैगिंग के अन्तर्गत आने वाले कार्य

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे –

क किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक–शब्दों अथवा लिखित–रूप में उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।

ख छात्र अथवा छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना, जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।

ग किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना, जो वह सामान्य–स्थिति में न करे तथा जिससे छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

घ वरिष्ठ–छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक–कार्य में बाधा पहुँचाएं।

ड नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक–कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

च नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक–शोषण करना।

छ शारीरिक–शोषण से सम्बन्धित कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन–शोषण, समलैंगिक–प्रहार, नंगा–करना, अश्लील तथा कामाचार–सम्बन्धी–कार्य हेतु विवश करना, अंग–चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक–कष्ट, जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।

ज मौखिक–शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई–मेल, डाक, सार्वजनिकरूप से किसी को अपमानित करना, स्थानापन्न अथवा कष्ट देना या सनसनी पैदा करना, जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

झ कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन, मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

संस्थाध्यक्ष द्वारा रैगिंग विरोधी कार्यवाही–

रैगिंग–विरोधी–दल अथवा सम्बन्धित किसी व्यक्ति के द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध–घटना हुई है? और यदि हुई है, तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग–विरोधी–समिति से सूचना–प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बन्धित–विधि के अनुसार संस्तुति दे।

रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्यवाही–

रैगिंग–निषेध–अधिनियम–2009 के नियम 9.1 (ख) के अनुसार रैगिंग में संलिप्त छात्र/छात्रा के लिए निम्नलिखित दण्ड के प्रावधान हैं:

9.1 किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित विधि–अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

क. रैगिंग–विरोधी–समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित–निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग–विरोधी–दल उचित–दण्ड–हेतु अपनी संस्तुति देगा।

ख. रैगिंग विरोधी समिति विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में कोई एक अथवा एकाधिक–दण्ड देगी।

1. कक्षा में उपस्थिति होने तथा शैक्षिक-अधिकारों से निलम्बन।

2. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य-लाभों को रोकना/ उनसे वंचित करना।

3. किसी टेस्ट/परीक्षा अथवा अन्य-मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना।

4. परीक्षाफल रोकना।

5. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय-मीट, खेल, युवा-महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।

6. छात्रावास से निष्कासित करना।

7. प्रवेश रद्द करना।

8. विश्वविद्यालय से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासन करना।

9. विश्वविद्यालय -परिसर से निश्चित-अवधि तक निष्कासन करना।

10. रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके, तो संस्थान सामूहिक-दण्ड का आश्रय ले।

ग. रैगिंग-विरोधी-समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जा सकेगी।

1. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध-संस्थान होने पर कुलपति से ।

2. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय-महत्त्व-संस्थान होने पर उसके अध्यक्ष अथवा कुलपति अथवा स्थिति के अनुसार ।

विशेष:- रैगिंग-निषेध के संबंध में 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में पंजीकृत समस्त छात्रों को रैगिंग रोकथाम के संबंध में एक शपथ पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर दिए गए लिंक के अनुसार अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा।

अनुशासन एवं सुरक्षा व्यवस्था

विश्वविद्यालय -परिसर की सुरक्षा-व्यवस्था एवं छात्रों में अनुशासन-प्रियता को सुदृढ़ करने के लिये कुलानुशासक-मण्डल उत्तरदायी होता है। यह मण्डल सुरक्षा एवं अनुशासन से सम्बद्ध आवश्यक-विषयों पर यथासमय कुलानुशासक की अध्यक्षता में विचार-विमर्श करता है। कुलानुशासक-मण्डल द्वारा अनुमोदित अनुशासन एवं सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण-प्रस्ताव कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जिनका क्रियान्वयन कुलपति के आदेशानुसार किया जाएगा। वर्तमान में प्रो.बिहारी लाल शर्मा 'कुलानुशासक' के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।

1. सभी छात्रों को आत्मानुशासन का पालन करते हुए कक्षाओं में नियमित-उपस्थित रखना अनिवार्य होगा।

2. छात्रों को किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर उन्हें यथोचित-दण्ड दिया जायेगा। छात्रों द्वारा अत्यन्त-गम्भीर दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर प्रमाणित होने पर अनुशासन समिति की अनुशंसा पर छात्र को विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।

3. कोई छात्र यदि परिसर की सम्पत्ति का नुकसान करता है, तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य माना जायेगा तथा नुकसान हुई सम्पत्ति की भरपाई के लिए वह जिम्मेदार होगा।

4. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर की गरिमा को बनाए रखेंगे। उन्हें ऐसी किसी भी अवांछित-गतिविधियों में भाग लेने से सख्त मना किया जाता है, जो परिसर की गरिमा के विपरीत हों। विश्वविद्यालय परिसर में असंवैधानिक-नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन, पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न करना, पुतला जलाना, बाह्य-छात्रों को लेकर आना, छात्रावास भोजनालय, कैन्टीन आदि में अनुशासनहीनता करना पूर्ण रूप से वर्जित होगा। इन कृत्यों में लिप्त पाये जाने वाले छात्र को कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

5. विश्वविद्यालय -परिसर में छात्र द्वारा स्वयं या उनके द्वारा हिंसा फैलाने, शान्ति भंग करने, अपनी बात असंवैधानिक-तरीके से मनवाने का प्रयास करने पर तथा बलपूर्वक अन्य छात्रों का धमकाने पर अनुशासन-समिति उस छात्र को दण्डित कर सकती है।

6. अनुशासन-समिति की अनुशंसा पर कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

7. परिसर में कालांश (पीरीएड / कक्षा) के समय छात्रों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है।

8. विश्वविद्यालय की शैक्षणिक-नियम-परिचायिका में निर्धारित सभी नियमों का परिपालन करना प्रत्येक छात्र-छात्रा का कर्तव्य होगा।

9. किसी भी छात्र को रैगिंग का दोषी पाये जाने पर 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के उच्चतर-शिक्षण-संस्थानों में रैगिंग-अपराध निषेध / रोकने के अधिनियम 2009 एवं 2016 के अनुसार दण्ड दिया जाएगा, जिसके तहत कक्षा से पंजीकरण-निरस्त तथा छात्रावास से निष्कासन किया जा सकता है। सभी छात्रों को रैगिंग-अपराध-निषेध-अधिनियम का पूर्ण-पालन करना अनिवार्य होगा।

10. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (उच्चतर-शैक्षणिक-संस्थानों में महिला-कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए लैगिंक उत्पोड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015 में पदत्त सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

11. छात्र-कल्याण-परिषद् के सभी सदस्यों को छात्र-कल्याण-परिषद् गठित करने हेतु निर्धारित-नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12. प्रत्येक छात्र-छात्रा को विश्वविद्यालय परिसर के गौरव को बढ़ाने के लिए सदाचरण से रहना होगा। पान, तम्बाकू एवं अन्य नशीले-पदार्थ खाना वर्जित है। विश्वविद्यालय की सभी शैक्षणिक-प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य है। परिसर के भवन, फर्नीचर आदि को कोई हानि पहुँचाये जाने पर छात्र का नाम परिसर से निरस्त किया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति-राशि छात्र से ली जायेगी। ऐसे छात्रों का परिसर में प्रवेश भी वर्जित होगा।

13. प्रत्येक छात्र-छात्रा को अपना पहचान-पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा।

14. विश्वविद्यालय परिसर में प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित है।

उपस्थिति नियम

1. विश्वविद्यालय के प्रत्येक कक्षा में छात्र की नियमित-उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति-प्रपत्र विभागाध्यक्ष एवं पीठम्प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित तथा परीक्षित कर प्रतिमाह तृतीय-कार्यदिवस तक अनिवार्यरूप से शैक्षणिक-अनुभाग में जमा कराना आवश्यक होगा।

2. प्रति-सेमेस्टर जिस छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी, वह छात्र परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।

3. विभागाध्यक्ष द्वारा छात्र के आकस्मिक अथवा रुग्णता-अवकाश-सम्बन्धी प्रार्थनापत्र पर विचार कर अधिकतम 07 दिन का अवकाश संस्तुत किया जाएगा। अवकाश केवल कक्षा में बैठने के लिए मान्य होगा। बिना लिखित प्रार्थना-पत्र के 10 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर छात्र का नाम निरस्त कर दिया जायेगा।

4. एक शैक्षिकसत्र में पंजीकृत-चिकित्सा-अधिकारी द्वारा छात्र की अस्वस्थता के प्रमाणपत्र के आधार पर 20 दिनों का चिकित्सकीय-अवकाश प्रदान किया जा सकता है, जिसे विभागाध्यक्ष एवं पीठम्प्रमुख की संस्तुति के साथ सम्बन्धित माह में ही शैक्षणिक-अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित-समय पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत न करने पर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5. एक शैक्षणिक-सत्र में आकस्मिक एवं चिकित्सकीय-अवकाश 75 प्रतिशत की उपस्थिति में जोड़े नहीं जायेंगे इनका उपयोग छात्र का नामांकन निरस्त न हो इस सम्बन्ध में किया जा सकेगा।

6. एन.सी.सी. के छात्र-छात्राओं को शिविर में जाने की सूचना एन.सी.सी. प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर शिविर एवं विशेष-कक्षा आदि की अवधि में विश्वविद्यालय में उपस्थित माना जायेगा। यह सूचना शैक्षणिक-अनुभाग कार्यालय में शिविर-समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर भेजा जाना आवश्यक होगा।

7. क्रीडा-सम्बन्धी-प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों को सम्बन्धित-प्रतियोगिता से सम्बद्ध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर शिविर एवं विशेष-कक्षा आदि की अवधि में विश्वविद्यालय में उपस्थित माना जायेगा। क्रीडा के सम्पन्न होने के बाद विभागाध्यक्ष/पीठम्प्रमुख के माध्यम से शैक्षणिक-अनुभाग कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर सूचना देनी अनिवार्य होगी।

8. अन्य शैक्षणिक-प्रतियोगिता में भी प्रतिभागिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर छात्र को शिविर एवं विशेष-कक्षा आदि की अवधि में विश्वविद्यालय में उपस्थित माना जायेगा। प्रतियोगिता से सम्बद्ध-सूचना विभागाध्यक्ष/ पीठम्प्रमुख के माध्यम से शैक्षणिक-अनुभाग-कार्यालय में सूचना देना अनिवार्य होगा।

9. मातृत्व-अवकाश केवल 30 दिन के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा। यह अवकाश छात्रा को परीक्षा में भाग लेने एवं छात्रवृत्ति के लिए स्वीकृत होगा। मातृत्व-अवकाश के लिए संबंधित-छात्रा को आवेदनपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना आवेदनपत्र के अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

10. यदि किसी छात्र द्वारा सम्बन्धित सेमेस्टर में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण कर ली हो, परन्तु किन्हीं कारणों से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में भी सम्मिलित नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित छात्र/छात्रा को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है ।

11. बी.ए. (योग) एवं एम.ए. (योग) में प्रविष्ट-छात्रों को प्रायोगिक-कक्षा तथा सैद्धान्तिक-कक्षा में पृथक्-पृथक् से 75% उपस्थिति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी ।

12. कुलपति द्वारा मेधावी-छात्रों को विशेष-स्थिति में उपस्थिति में 5 प्रतिशत तक की छूट विभागाध्यक्षों एवं पीठम्प्रमुखों की संस्तुति पर प्रदान की जा सकती है।

उपस्थिति नियम (शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य)

1. विश्वविद्यालय की प्रत्येक कक्षा में प्रविष्ट-छात्र की नियमित-उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति-प्रपत्र विभागाध्यक्ष एवं पीठम्प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित तथा परीक्षित कर प्रतिमाह तृतीय-कार्यदिवस तक अनिवार्यरूप से शिक्षाशास्त्र पीठम् के कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा।
2. प्रत्येक सेमेस्टर में जिस छात्र की उपस्थिति 80 प्रतिशत से कम होगी वह छात्र परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।
3. पीठम्प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष द्वारा छात्र के आकस्मिक अथवा रुग्णता-अवकाश-सम्बन्धी प्रार्थनापत्र पर विचारकर अधिकतम 07 दिन का अवकाश संस्तुत किया जाएगा। अवकाश केवल कक्षा में बैठने के लिए मान्य होगा। बिना लिखित-प्रार्थनापत्र के 10 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर छात्र का नाम निरस्त कर दिया जायेगा।
4. प्रत्येक सेमेस्टर-सद्धान्तिक-पाठ्यक्रम में प्रविष्ट-छात्रों द्वारा पंजीकृत-चिकित्सा-अधिकारी द्वारा छात्र की अस्वस्थता-प्रमाणपत्र के आधार पर 20 दिनों का चिकित्सकीय-अवकाश प्रदान किया जा सकता है, जिसे विभागाध्यक्ष एवं पीठम्प्रमुख की संस्तुति के साथ सम्बन्धित माह में ही शैक्षणिक-अनुभाग में प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्धारित-समय पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत न करने पर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आकस्मिक-अवकाश सैद्धान्तिक-उपस्थिति, चिकित्सकीय-अवकाश 80% उपस्थित में नहीं जोड़े जाएगा, इनका उपयोग छात्र का नामांकन निरस्त न हो, इस दृष्टि से किया जाएगा।
5. शिक्षाशास्त्री-पाठ्यक्रम में प्रविष्ट सभी छात्र-छात्राओं की उपस्थिति विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम के समय 90% अनिवार्य होगी। सभी छात्र-छात्राओं को 50 पाठयोजनाएँ,चार समीक्षा-पाठ तथा निर्धारित प्रायोगिक-कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। अन्त में इसके साथ छात्रों को प्रायोगिक-परीक्षा में उपस्थिति भी अनिवार्य है।
6. जिन छात्र-छात्राओं की विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम के समय 90% उपस्थिति पूर्ण नहीं होगी, वे शिक्षणाभ्यास-प्रायोगिक-परीक्षा नहीं दे सकेंगे। ऐसे छात्र-छात्रायें अगले वर्ष विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम में पुनः 90% उपस्थिति तथा निर्धारित-पाठ-योजनाओं का शिक्षण पूर्ण करके शिक्षणाभ्यास-प्रायोगिक-परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
7. विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम के समय कोई भी चिकित्सा-आवकाश मान्य नहीं होगा। केवल मातृत्व-अवकाश 30 दिन के लिए स्वीकृत किया जायेगा। इस अवकाश की विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम के दौरान 90% उपस्थिति में गणना की जायेगी। किन्तु उक्त छात्राओं को विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम के सभी निर्धारित-कार्य आवश्यकरूप से पूर्ण करने होंगे।
8. शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्ष एवं द्वितीयवर्ष पाठ्यक्रम में प्रविष्ट सभी छात्र-छात्राओं की सैद्धान्तिक कक्षाओं में 80% तथा प्रायोगिक-कक्षाओं में 90% उपस्थिति अनिवार्य होगी।
9. प्रति-सेमेस्टर की परीक्षा में जिस छात्र-छात्रा की उपस्थिति 80% से कम होगी, वह छात्र परीक्षा में बैठने का अधिकारी नहीं होगा।
10. किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में कम-उपस्थिति के आधार पर परीक्षा में न बैठ पाने के कारण छात्र को आगामी-सेमेस्टर की परीक्षा के साथ दोनों सेमेस्टरों की परीक्षा देनी होगी।
11. क्रीडा-सम्बन्धी-प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों को सम्बन्धित-प्रतियोगिता से सम्बद्ध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर शिविर एवं विशेष-कक्षा आदि की अवधि में विश्वविद्यालय में उपस्थित माना जायेगा।

क्रीडा के सम्पन्न होने के बाद विभागाध्यक्ष / पीठम्प्रमुख के माध्यम से शैक्षणिक-अनुभाग कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर सूचना देना भी अनिवार्य होगा।

12. अन्य शैक्षणिक-प्रतियोगिता में भी प्रतिभागिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर छात्र को शिविर एवं विशेष कक्षा आदि की अवधि में विश्वविद्यालय में उपस्थित माना जायेगा। प्रतियोगिता से सम्बद्ध सूचना विभागाध्यक्ष/ पीठम्प्रमुख के माध्यम से शैक्षणिक-अनुभाग-कार्यालय में भी सूचना देना अनिवार्य होगा।

13. मातृत्व अवकाश केवल 30 दिन के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा। यह अवकाश छात्रा को परीक्षा में भाग लेने एवं छात्रवृत्ति के लिए मान्य होगा। मातृत्व-अवकाश के लिए संबंधित-छात्रा को आवेदनपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना आवेदनपत्र के अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

14. शिक्षाशास्त्री-कक्षा में प्रविष्ट-छात्रों की विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम के समय 90% उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस कार्यक्रम के दौरान पंजीकृत-चिकित्सा-अधिकारी द्वारा छात्र के अस्वस्थता-प्रमाणपत्र के आधार पर 20 दिनों का चिकित्सकीय-अवकाश प्रदान किया जा सकता है। सम्बन्धित-माह में विभागाध्यक्ष एवं पीठम्प्रमुख की संस्तुति के साथ विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम में सम्मिलित-पर्यवेक्षक-अध्यापक की संस्तुति के आधार पर पीठम्प्रमुख द्वारा प्रदान की गई संस्तुत-प्रार्थनापत्र को छात्र द्वारा शिक्षाशास्त्र विभाग के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित-अवधि पर प्रार्थनापत्र जमा न करने पर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आकस्मिक-अवकाश एवं चिकित्सकीय-अवकाश 90% उपस्थित में नही जोड़ा जाएगा। इनका उपयोग छात्र का नाम निरस्त न हो, इस दृष्टि से किया जाएगा।

15. शिक्षाचार्य-कक्षा में प्रति-सेमेस्टर छात्रों की 80% उपस्थिति सैद्धान्तिक-कक्षाओं में अनिवार्य होगी।

16. शिक्षाचार्य कक्षा में लघु-शोधप्रबन्ध पूर्ण करके जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र को पुनः प्रवेश-परीक्षा उत्तीर्ण कर शिक्षाचार्य-पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा।

17. कुलपति द्वारा मेधावी-छात्रों को विशेष-परिस्थिति में 5 प्रतिशत तक की उपस्थिति मं छूट विभागाध्यक्षों एवं पीठम्प्रमुख की संस्तुति पर प्रदान की जा सकती है।

परिचय-पत्र

विश्वविद्यालय में प्रविष्ट-छात्रों को परिचय-पत्र प्रदान किया जाता है, जिसमें छात्रों का सम्पूर्ण-विवरण उनके छायाचित्र के साथ अंकित रहता है। छात्रों को परिचय-पत्र के लिए प्रवेश आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरना चाहिए, क्योंकि परिचय-पत्र की सभी सूचनाएँ आवेदनपत्र से एकत्रित की जाती है। प्रवेश आवेदनपत्र के साथ परिचयपत्र विवरण-प्रपत्र साथ जमा कराना होगा।

विश्वविद्यालय में प्रविष्ट-छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना परिचयपत्र शैक्षणिक अनुभाग से प्राप्त करें तथा विश्वविद्यालय -परिसर में एवं बाहर हर समय अपने साथ रखें।

परिचयपत्र के खो जाने पर एफ.आई.आर. की प्रति शैक्षणिक-अनुभाग-कार्यालय में जमा कराकर रुपये 100/- शुल्क-राशि-लेखा-विभाग में जमा करवाकर दूसरा परिचय-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

समस्त छात्रों को सत्रीय-परीक्षा के समय परीक्षा-प्रवेशपत्र के साथ अपना परिचयपत्र अवश्य लाना अनिवार्य होगा । बिना परिचयपत्र एवं परीक्षा प्रवेशपत्र के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी । परीक्षा-प्रवेशपत्र हेतु रुपये 50/- शुल्क-राशि लेखा-विभाग में जमा करने के उपरान्त परीक्षा-प्रवेशपत्र की द्वितीय-प्रति परीक्षा-विभाग से प्राप्त की जा सकती है ।

परीक्षा-प्रवेश-पत्र प्राप्त करने हेतु सभी छात्रों को पुस्तकालय एवं अन्य सम्बन्धित-विभागों से अदेयता-प्रमाण-पत्र (नो डयूज) प्राप्त कर अनिवार्यरूप से शैक्षणिक-विभाग में जमा करना होगा। तदुपरान्त ही परीक्षा-प्रवेश-पत्र जारी किया जायेगा ।

प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान एवं अन्य विशेष प्रावधान

भारत सरकार के आरक्षण-सम्बन्धी-प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	आरक्षण वर्ग	आरक्षण प्रतिशत
1	अनुसूचित जााति (एस.सी.)	15%
2	अनुसूचित जनजाति (एस.टी.)	7.5%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी) (नॉन-क्रीमिलेयर)	27%
4	आर्थिक कमजोर श्रेणी (ई.डब्लू.एस.)	10%
5	दिव्यांग श्रेणी	04%

विशेष क्रीडा-दक्ष (अन्तर्विश्वविद्यालयीय और अन्तर्राज्यीय स्तर के खिलाड़ी) अभ्यर्थियों के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। कश्मीरी-विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों के लिए छूट एवं आरक्षण भारत-सरकार के निर्देशानुसार देय होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को प्रवेशार्थ अर्हता-परीक्षा के प्राप्त अकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी। एन.सी.सी. के 'बी' सर्टिफिकेट तथा 'सी' सर्टिफिकेट के प्रमाण-पत्रधारी अभ्यर्थियों को 5% छूट होगा। विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के बच्चों को विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों में 2 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा।

आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

उच्चतर-शिक्षण-संस्थानों में गुणवत्ता चेतना के संवेग को बनाये रखना कठिन है। वास्तव में आन्तरिक गुणवत्ता-आवश्वासन-प्रकोष्ठ सांस्थानिक-स्तर पर उच्च-शिक्षा में गुणात्मक-संस्कृति के निर्माण एवं उसे सुनिश्चित करने की प्रविधि के रूप में ग्रहण की गई है। प्रत्येक उ०शि०सं० में उपयुक्त संरचना एवं प्रक्रिया से युक्त एक आन्तरिक-गुणवत्ता-आश्वासन-प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें लाभ-प्राप्तकर्ताओं की विभिन्न-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीलापन निहित हो। विश्वविद्यालय के आन्तरिक-गुणवत्ता-आश्वासन-प्रकोष्ठ का अभिप्राय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक-गुणवत्ता को बनाए रखने एवं इसकी अभिवृद्धि-हेतु योजना एवं निर्देशिका का निर्माण, क्रियान्वयन एवं प्रगति के मूल्यांकन से है।

विश्वविद्यालय में 03 दिसम्बर, 2009 को 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' एवं 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्' (NAAC) के निर्देशानुसार आन्तरिक-गुणवत्ता-आश्वासन-प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना की गई है। यह विश्वविद्यालय के लिए एक सुविधा प्रदायी और सहभागी-अंग के रूप में सतत-कार्यरत है। यह विश्वविद्यालय में निहित-न्यूनताओं को दूर करने के लिए रणनीति का विकासकरती रहती है, जिससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्राशासनिक-गुणवत्ता में वृद्धि सम्भव हो। यह सदैव उत्प्रेरक-शक्ति का कार्य करने की दिशा में अग्रसर है।

इस प्रकोष्ठ का गठन विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में किया गया है। विश्वविद्यालय-स्तर पर अध्यक्ष की सहायता के लिए एक वरिष्ठ-संकाय-सदस्य प्रो. बिहारी लाल शर्मा को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। निदेशक इस प्रकोष्ठ के कार्य को अपने निर्धारित-कार्यभार के अतिरिक्त-कार्य के रूप में करते हैं।

आन्तरिक-गुणवत्ता-आश्वासन-प्रकोष्ठ विभिन्न-स्तरों पर कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन करता है। ये सभी आयोजन विश्वविद्यालय के गुणवत्ता-विकास को केन्द्र बनाकर समायोजित किये जाते हैं।

विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को उत्तरोत्तर बढ़ाने की दृष्टि से विश्वविद्यालय के विभिन्न क्रिया–कलापों से साक्षात् या अपरोक्षरूप से प्रभावित होने वाले सभी सहभागियों से आन्तरिक–गुणवत्ता–आश्वासन–प्रकोष्ठ नियमितरूप में प्रतिक्रियायें प्राप्त करता है। प्रतिक्रियाओं को नियमितरूप से प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विभिन्न–सहभागियों (छात्र, अध्यापक, सहायक कर्मचारी, अभिभावक, भूतपूर्व–छात्र, सेवानिवृत्त अध्यापक) के लिये प्रतिक्रिया आवेदन–पत्र प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, जिन्हें भरकर आनलाईन एवं ईमेल आदि माध्यमों से निदेशक को भेजने की सुविधा सुलभ है। इन माध्यमों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय –वेबसाईट पर फेसबुक–एकाउण्ट भी उपलब्ध कराया गया है, जहाँ पर प्राप्त–प्रतिक्रिया की समीक्षा कर आई.क्यू.ए.सी.विश्वविद्यालय की सर्वविध–विकास की दिशा में अनवरत–संलग्न है।

सतर्कता अधिकारी

भारत–सरकार के निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में सतर्कता–अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो छात्रों, अध्यापकों एवं शिक्षकेतर–कर्मचारियों के सम्बन्ध में गोपनीय–प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में प्रो. रचना वर्मा मोहन, आचार्य, शिक्षाशास्त्र–संकाय, विश्वविद्यालय में सर्तकता–अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

शिकायत–समिति

विश्वविद्यालय में शिक्षारत–छात्राओं एवं कार्यरत–महिलाओं की सुरक्षा, उनके साथ भेद–भाव–सम्बन्धी शिकायतों का विश्वविद्यालयीय–स्तर पर निस्तारण तथा महिला–उत्पीड़न के रोकथाम के लिए 'शिकायत–समिति' का गठन माननीय–सर्वोच्च–न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में किया गया है।

पाण्डुलिपि संग्रहालय

विश्वविद्यालय में पाण्डुलिपि संग्रहालय है, जिसमें विभिन्न विषयों से सम्बन्धित 1697 पाण्डुलिपियाँ हैं । ये पाण्डुलिपियाँ संस्कृत–साहित्य के विभिन्न शाखाओं– वेद, उपनिषद्, पुराण, ज्योतिष, व्याकरण, वेदान्त, सांख्ययोग, न्याय, कर्मकाण्ड, धर्मशास्त्र, साहित्य, संगीत, एवं आयुर्वेद आदि से सम्बन्धित हैं। देवनागरी–लिपि की पाण्डुलिपियों का सूचीसंग्रह 'विशदपाण्डुग्रन्थसूची भाग–1' प्रकाशित किया गया है ।

वराह–मिहिर–वेधशाला

विश्वविद्यालय के ज्योतिष–विभाग के छात्रों को ज्योतिष के प्रायोगिक–ज्ञान के लिए विश्वविद्यालय –परिसर में ज्योतिष–वेधशाला का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण जन्तर–मन्तर, जयपुर की वेधशाला के पूर्व–अध्यक्ष राष्ट्रपति–सम्मानित म.म. स्वर्गीय पं. कल्याणदत्त शर्मा ने किया है। इस वेधशाला में निर्मित कर्कवलय, तुलावलय एवं मकरवलय से ग्रहों के भोगांशों का ज्ञान, भित्तियन्त्र तथा चक्रयन्त्र से क्रान्ति का ज्ञान, नाडीवलय–यन्त्र से स्थानीय–काल का ज्ञान, सम्राट–यन्त्र से ग्रहों के याम्योत्तरलंघनकाल एवं स्थानीयकाल व मानककाल का ज्ञान तथा भारतीय–तारामण्डल से नतांश, अक्षांश क्रान्त्यंश आदि विभिन्न–मानकों का ज्ञान दिया जाता है।

कर्मकाण्ड–यज्ञशाला एवं देवसदनम्

विश्वविद्यालय में एक कर्मकाण्ड–यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें राजधानी के योजकों के लिये डिप्लोमा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यज्ञशाला में निरन्तर यज्ञानुष्ठानों का

आयोजन किया जाता है। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पारम्परिक-अभिकरण 'वृहस्पतिभवन' में संरक्षित है, जबकि देवसदनम् में वैदिक विधिμविधान से स्थापित-देवप्रतिमाएं वैदिक-संस्कृति के संरक्षण और उत्थान के लिए विद्यार्थियों को कर्मकण्ड एवं पौरोहित्य के प्रायोगिक-पक्ष में पूर्व-दक्षता प्राप्त करने का स्थान एवं अवसर प्रदान करती है।

अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के लिए और अन्य पिछड़ा-वर्ग-विशेष-प्रकोष्ठ

'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में अनुसूचित-जाति एवं जनजाति और अन्य-पिछड़ा-वर्ग के छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए विशेष-प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है । विश्वविद्यालय, 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' एवं 'भारत सरकार' की आरक्षण-संबन्धी-नीतियों का अनुपालन करता है । प्रकोष्ठ द्वारा अनुसूचित-जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने, कर्मचारियों को स्टाफ-क्वार्टर और छात्रों को छात्रावास आवंटन में भी आरक्षण के प्रावधानों को लागू किये जाने की स्थिति की देख-रेख की जाती है । चयन एवं पदोन्नति के समय पर भी विश्वविद्यालय में आरक्षण-नीति का पालन सुनिश्चित करने में सहयोग करता है । उपर्युक्त सभी स्थितियों में भारत सरकार की सभी आरक्षण-नीतियों को पूर्णतः लागू करने के लिए विश्वविद्यालय में अनुसूचित-जाति एवं अनुसूचित-जनजाति-प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है । प्रो. नीलम ठगेला, ज्योतिष विभाग को अनुसूचित-जाति एवं जनजाति-प्रकोष्ठ का सम्पर्क-अधिकारी तथा डा. सुरेन्द्र महतो, शिक्षाशास्त्र विभाग को अन्य पिछड़ा वर्ग का सम्पर्क अधिकारी मनोनीत किया गया है।

प्रकोष्ठ के मुख्य उद्देश्य

1. विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य-पिछड़ा-वर्ग के लिए आरक्षण-नीति को लागू करना ।
2. विश्वविद्यालय में प्रवेश एवं शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक पदों पर चयन के समय लागू नीतियों के ऑकड़े संग्रह करना।
3. भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य-हेतु निर्धारित-उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति-हेतु प्रयास करना ।
4. विश्वविद्यालय में आरक्षण-नीति के लगातार लागू करने, नियन्त्रण एवं मूल्यांकन-हेतु भारत-सरकार की नीति एवं कार्यक्रमों के प्रभावशाली-कार्यान्वयन के लिए योजना बनाना ।

संगणक केन्द्र

संगणक-केन्द्र-विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को संगणक-सम्बन्धित-सुविधा प्रदान करता है। यह उनके शैक्षणिक क्रियाकलापों एवं शोधकार्य में सहायता करता है। यह केन्द्र विश्वविद्यालयोय-प्रांगण में स्थित विभागों, प्राशासनिक-भवनों, छात्रावास, अतिथि-आवास, इत्यादि में संगणक-सम्बन्धी-नेटवर्क का प्रबंधन भी देखता है। संगणक-केन्द्र द्वारा ववित्तपोषित-संगणक-प्रयोग-पाठ्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है।

1. संगणक-केन्द्र विश्वविद्यालय में कम्प्यूटिंग-सुविधा, ई-मेल, वेबसाइट होस्टिंग, विकास एवं प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है ।
2. यह अपने मूल्यवान-डेटा का विश्लेषण पाने के लिए शोधकर्ताओं की मदद करता है । इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है ।
3. वर्ल्ड-वाइड-वेब का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाता है, तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए लैब की सुविधा प्रदान करता है ।

शुल्क-वापसी एवं सुरक्षित-धनराशि-सम्बन्धी-नियम

यदि कोई छात्र जिस अध्ययन-कायक्रम में नामांकित है, उस अध्ययन-कार्यक्रम से अपना नाम वापस / निरस्त कराना चाहता है तो छात्र द्वारा जमा किए गए शुल्क के प्रतिदाय के लिए शैक्षणिक-विभाग को फीस की वापसी के लिए यू.जी.सी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित निर्धारित पाँच-स्तरीय प्रणाली का पालन किया जाएगा:-

क्रमांक	**कुल फीस की वापसी का प्रतिशत**	**समय, जब प्रवेश की वापसी की सूचना संस्था को प्राप्त हुई**
1	शतप्रतिशत	प्रवेश की अंतिम-तिथि को औपचारिकरूप से प्राप्त होने का समय
2	90%	प्रवेश की अंतिम-तिथि को औपचारिकरूप से अधिसूचित किए जाने के 15 दिनों से कम
3	80%	प्रवेश की अंतिम-तिथि को औपचारिकरूप से अधिसूचित किए जाने से 15 दिन अथवा कम समय
4	50%	प्रवेश की औपचारिकरूप से अधिसूचित-अंतिम-तिथि से 15 से अधिक परन्तु 30 दिन पूर्व
5	00 %	प्रवेश की औपचारिकरूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 30 दिनों के पश्चात्

नोट:- अवधान-राशि तथा प्रतिभूति-जमाराशि, जोकि प्रभार-योग्य-शुल्क का भाग नहीं है, उनका पूर्णत: प्रतिदाय किया जाएगा।

उपर्युक्त तालिका में मद (1) के मामले में प्रतिदाय-योग्य-राशि में से संसाधित किए जाने हेतु प्रभार के रूप में छात्र द्वारा प्रदत्त-शुल्क के 5 प्रतिशत से अधिक राशि की कटौती नहीं की जायेगी ।

(क) यदि प्रवेश-प्राप्त-छात्र विश्वविद्यालय को छोड़कर चला जाएगा, तो सुरक्षित-धनराशि के अतिरिक्त लिया हुआ कोई भी शुल्क नहीं लौटाया जाएगा। यदि छात्र एक पाठ्यक्रम छोड़कर विश्वविद्यालय में ही दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो उसे कुलशुल्क का 50 प्रतिशत काटकर दूसरे नामांकन में समावेश किया जा सकेगा।

(ख) सुरक्षित-धनराशि परीक्षाफल प्रकाशित होने के बाद अथवा सत्रावसान पर ही लौटाई जाएगी।

(ग) लेखा-विभाग में रसीद की मूल-प्रति प्रेषित करने पर ही पुस्तकालय/छात्रावास सुरक्षित-धन वापस लौटाया जायेगा।

(घ) ग्रीष्मावकाश में जो छात्र ग्रन्थालय की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सुरक्षित-धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

छात्रकल्याण-परिषद्

विश्वविद्यालय के सभी छात्रों में दृढ-संकल्प एवं निष्ठापूर्वक सामाजिक, सांस्कतिक एवं बौद्धिक-विकास के लिए, नियमित एवं संगठित-जीवन के लिए, अधिकारी, कर्मचारी एवं अध्यापक-वर्ग के साथ समन्वयात्मक-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए, छात्रकल्याण-परिषद् की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय

के कुलपति पदेन इसके संरक्षक हैं। विश्वविद्यालय में प्रविष्ट समस्त नियमित-छात्र इस परिषद् के सदस्य होते हैं। परिषद् का गठन प्रत्येक कक्षा से एक छात्र एवं एक छात्रा को अंक-प्रतिशत की वरीयता के आधार पर छात्र-कल्याण-पीठम्प्रमुख द्वारा मनोनीत कर कुलपति की अनुमति से किया जाता है। छात्र-कल्याण-परिषद् का कार्यालय एक शैक्षणिक-वर्ष लिये होता है। प्रो. नीलम ठगेला वर्तमान में छात्र-कल्याण-पीठम्प्रमुख है।

निम्नलिखित वरीयता-सूची के अनुसार सर्वाधिक-अंक प्राप्त छात्र / छात्रा को छात्र-कल्याण-परिषद् का पदाधिकारी एवं सदस्य मनोनीत किया जाएगा:-

क्रम संख्या	**कक्षा**	**पदाधिकारी**
1	विद्यावारिधि	अध्यक्ष
2	आचार्य द्वितीयवर्ष	1. महामंत्री 2. महामंत्री
3	शास्त्री तृतीयवर्ष	1. सदस्य 2. सदस्य
4	शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्ष	1. सदस्य 2. सदस्य
5	शिक्षाचार्य द्वितीयवर्ष	1. सदस्य 2. सदस्य

1. छात्रकल्याण-परिषद् छात्र-वर्ग की शैक्षणिक-गतिविधियों से सम्बन्धित सभी प्रकार के मामलों पर नियमानुसार उचित-कार्यवाही-हेतु अपना प्रस्ताव लिखित रूप में अपने विभाग के विभागाध्यक्ष, पीठम्प्रमुख के माध्यम से सम्पर्क अधिकारी-छात्र शिकायत-निवारण-प्रकोष्ठ प्रो. बिहारी लाल शर्मा, ज्योतिष-विभाग को प्रस्तुत करेंगे, जो अपनी विशेष-टिप्पणी के साथ सम्बन्धित-प्रस्ताव को छात्रकल्याण-पीठम् को प्रेषित करेंग। पीठम्प्रमुख, छात्रकल्याण-पीठम्-प्रस्तुत शिकायत की समीक्षा करने के पश्चात् नियमानुसार अग्रिम-कार्यवाही-हेतु कुलपति महोदय / कुलसचिव महोदया को प्रेषित करेंगे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 में दिये गये सुझावों के अनुरूप छात्रों को आत्मानुशासन का पालन भी करना होगा और कक्षाओं में नियमित उपस्थिति रखनी होगी।
3. छात्रों के किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर उनके विरुद्ध यथोचित-अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। छात्रों द्वारा अत्यन्त-गम्भीर-दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का दाषी प्रमाणित होने एवं अनुशासन-समिति की अनुशंसा पर छात्र को छात्रकल्याण-परिषद् से निष्कासित भी किया जा सकता है।
4. छात्रकल्याण-परिषद् यह सुनिश्चित करेगी कि कोई छात्र यदि परिसर की सम्पति का नुकसान करता है, तो वह अनुशासनात्मक-कार्यवाही का योग्य माना जायेगा तथा नुकसान की गई सम्पत्ति की भरपाई के लिए सम्बन्धित छात्र या छात्र-समूह जिम्मेदार होगा।
5. छात्रकल्याण-परिषद् यह सुनिश्चित करेगी कि सभी छात्र विश्वविद्यालय परिसर की गरिमा को बनाए रखेंगे। किसी भी अवांछित-गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, जो परिसर की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा।
6. परिसर में स्वयं या अन्य छात्रों के द्वारा हिंसा फैलाने, शान्ति-भंग करने, अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का प्रयास करने पर अनुशासन-समिति उस छात्र के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक-अनुशासनात्मक-कार्यवाही कर सकती है।

7. छात्र-कल्याण-परिषद् का गठन प्रत्येक शैक्षणिक-वर्ष में प्रविष्ट प्रत्येक-विषय के छात्रों की विगत-परीक्षाओं में पाप्तांकों के आधार पर निर्धारित-वरीयताक्रमानुसार सूची से किया जायेगा।
8. छात्रकल्याण-परिषद् प्रत्येक छात्र को प्रेरित करेगी कि वह विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर छात्रों के लिए आयोजित समस्त सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक-कार्यक्रमों में ज्ञान-वर्धनार्थ भाग लेंगे।
9. छात्रकल्याण-परिषद् के गठन, संचालन एवं अन्य क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा आवश्यक-निर्णय लिया जा सकता है। नियमों में किसी विसंगति, अस्पष्टता या आवश्यकतानुसार परिषद् के गठन एवं संचालन-हेतु कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।
10. विश्वविद्यालय की शैक्षणिक-नियम-परिचायिका में निर्धारित सभी नियमों का परिपालन करना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य होगा।

छात्रवृत्ति नियम

1. उद्देश्य

विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रमुख-उद्देश्य प्राच्यपद्धति में संस्कृत-शिक्षा-ग्रहण करने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना है।

2. छात्रवृत्ति की पात्रता

(क) विश्वविद्यालय में शास्त्री, आचार्य, शिक्षाचार्य एवं विद्यावारिधि के छात्रों को पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा में योग्यताक्रम से छात्रवृत्ति दी जाएगी। शास्त्री तथा आचार्य कक्षाओं में छात्रवृत्ति पाने के लिए अन्तिम पूर्व-उत्तीर्ण-परीक्षा में 40 प्रतिशत या विकल्पाधारित-क्रेडिट-प्रणाली के अन्तर्गत उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह नियम शास्त्री एवं आचार्य-कक्षाओं के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों पर भी लागू होगा।

(ख) शिक्षाशास्त्री-छात्रों की छात्रवृत्ति की अर्हता के लिए शास्त्री या बी.ए. (संस्कृत) की परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत-अंक अपेक्षित होंगे। छात्रवृत्तियों का वितरण 80 प्रतिशत परम्परागत-धारा के छात्रों का तथा 20 प्रतिशत आधुनिक-धारा के छात्रों में किया जायेगा। आरक्षित-श्रेणी के छात्र अपनी-अपनी धाराओं में ही समाहित होंगे।

(ग) शिक्षाचार्य-कक्षा में प्रविष्ट-छात्रों को छात्रवृत्ति पाने के लिए अन्तिम पूर्व-परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत-अंक होना अनिवार्य है।

(घ) छात्रवृत्ति वरीयता-क्रम से स्वीकृत की जायेगी। अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, अन्य-पिछड़ा-वर्ग के छात्रों को आरक्षण-नीति के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिशत-सीमा के अनुसार प्रत्येक कक्षा में छात्रवृत्ति देय होगी। परन्तु उन्हें छात्रवृत्ति पाने हेतु पूर्व-परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम-अंक पाना अनिवार्य होगा।

(ङ) छात्रवृत्ति का निर्धारण छात्रवृत्ति-समिति के द्वारा संस्तुति के उपरान्त किया जाता है।
छात्रवृत्ति-समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

1. समस्त पीठम्प्रमुख
2. छात्रकल्याण पीठम्प्रमुख
3. सम्पर्क-अधिकारी, छात्र-शिकायत-निवारण-प्रकोष्ठ
4. छात्रावासाधिष्ठाता
5. सम्पर्क-अधिकारी, अनुसूचित-जाति /जनजाति-प्रकोष्ठ
6. सहायक-कुलसचिव (शैक्षणिक)
7. सहायक-कुलसचिव (लेखा)

8. अनुभाग-अधिकारी (शैक्षणिक) संयोजक

(च) जिन छात्रों को पाठ्यक्रमों के प्रथमवर्ष में छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, उनको पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष तक छात्रवृत्ति में सभी प्राथमिकता दी जायेगी, यदि वे प्रत्येक वर्ष की परीक्षा के योग्यता-क्रम में आएंगे। उनको एतदर्थ कम से कम 40 प्रतिशत अंक रखना अनिवार्य होगा, एतदर्थ उन्हें भी नियमानुसार-आवेदन करना होगा।

(छ) छात्रवृत्तियों की स्वीकृति छात्रों द्वारा उत्तीर्ण-परीक्षा में प्राप्त-अंकों के आधार पर योग्यताक्रम से छात्रवृत्ति-समिति की अनुशंसा पर की जायेगी। माईग्रेशन एवं संबंधित कक्षा / सेमेस्टर की अंक तालिका शैक्षणिक-विभाग में निर्धारित-समय के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ज) छात्रवृत्तियाँ शेष हो, तो द्वितीय या तृतीयवर्ष की कक्षाओं में प्रविष्ट उन छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जा सकती है, जिनको पूर्व वर्षों में छात्रवृत्ति न मिली हो तथा वे अर्हता पूरी करते हो।

(झ) किन्हीं कारणवश छात्रवृत्ति निलम्बित या निरस्त होने पर पुनः चालू करने हेतु कुलपति की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(ञ) छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को दी जायेगी, जिनकी प्रतिमाह न्यूनतम-उपस्थिति 75% होगी।

3. छात्रवृत्तियों की संख्या एवं राशि

विश्वविद्यालय -बजट में प्रावधान होने, धनराशि की उपलब्धता, कुलपति की स्वीकृति एवं पाठ्यक्रम के चलते रहने पर प्रतिवर्ष निम्नलिखित-संख्या में छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध होगी।

1.	शास्त्री सम्मानित(बी.ए.)	योग्यताक्रम सें 120 छात्रवृत्तियाँ प्रतिवर्ष	800/- रुपये मासिक
2.	आचार्य (एम.ए.)	25 छात्रवृत्तियाँ प्रतिवर्ष / प्रतिविषय में	1000/- रुपये मासिक
3.	शिक्षा शास्त्री (बी.एड्.)	60 छात्रवृत्तियाँ प्रतिवर्ष	800/-रुपये मासिक
4.	शिक्षाचार्य (एम.एड्.)	13 छात्रवृत्तियाँ प्रतिवर्ष	1000/- रुपये मासिक
5.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.)	20 छात्रवृत्तियाँ (प्रतिविषय एक)	5000/- रुपये मासिक आनु० व्यय 3000/-

नोट : विद्यावारिधि में साहित्य, पुराणेतिहास, वेद, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष, वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र, पौरोहित्य, सर्वदर्शन, सांख्ययोग, अद्वैतवेदान्त, विशिष्टाद्वैत, मीमांसा, प्राचीनव्याकरण, नव्यव्याकरण, प्राचीन-न्याय वैशेषिक, नव्यन्याय, जैनदर्शन, प्राकृत भाषा एवं शिक्षा-विषयों में प्रत्येक विषय में एक-एक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाएगी। छात्रवृत्ति उपलब्ध रहने की स्थिति में वरीयता के आधार पर दूसरी-तीसरी छात्रवृत्ति भी स्वीकृत की जा सकती है।

4. छात्रवृत्ति प्रदान करने के नियम

(क) अग्रिम-वर्ष में छात्रवृति उत्तम-शैक्षणिक-प्रगति, चरित्र एवं नियमित 75 प्रतिशत उपस्थिति (कम से कम 75 प्रतिशत प्रति सेमेस्टर) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) प्रथमवर्ष में प्रवेश-प्राप्त एवं पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होकर द्वितीय, तृतीयवर्ष में प्रवेश-प्राप्त छात्रों का प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के लिए चुनाव किया जाएगा। छात्रवृत्ति पाने वाले जिन छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है या किसी खण्ड में उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनको अग्रिम-वर्ष या अग्रिम-कक्षा में छात्रवृत्ति योग्यता-क्रम से ही प्रदान की जाएगी।

(ग) इन नियमों के अन्तर्गत किसी भी छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र को किसी अन्य-स्थान से छात्रवृत्ति, वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करने की छूट नहीं होगी। अन्यत्र से छात्रवृत्ति प्राप्त करने की स्थिति में विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पूर्व उसे वह छात्रवृत्ति छोड़नी होगी और यदि कोई धन प्राप्त किया हो, तो वह वापस करना होगा, परन्तु वर्षभर में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि के बराबर तक कोई नगद या किसी अन्यरूप में आकस्मिक-पुरस्कार प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति पाने के लिए अयोग्य नहीं होगा। इसीप्रकार छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नि:शुल्क-शिक्षा, छात्रावास, पुस्तकें एवं यातायात में सुविधा प्राप्त करने की अनुमति भी होगी।

(घ) विश्वविद्यालय के नियमित-पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट-छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी जाएगी।

(ड.) निर्धारित-समय-अवधि में जो छात्र निष्क्रमण-प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें छात्रवृत्ति के लिए अर्ह होने पर भी तब तक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक वे निष्क्रमण प्रमाणपत्र उसी सत्र में प्रस्तुत नहीं कर देते। सत्रान्त के बाद निष्क्रमण-प्रमाणपत्र जमा करने पर पूर्व-सत्र की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

(च) छात्रवृत्तियों की प्राप्ति और उनको जारी रखने के लिए प्रत्येक कक्षा में नियमानुसार 75 उपस्थिति और विश्वविद्यालय के अनुशासन का सर्वथा-पालन अनिवार्य-शर्त होगी। अनुशासनहीनता की शिकायत प्राप्त होने पर छात्रवृति निरस्त की जा सकेगी।

(छ) उत्तम आचरण तथा उपस्थिति में नियमित पाठ्यक्रम के मध्य छात्रवृत्ति को चालू करने की शर्ते हैं। किसी कक्षा में 75 प्रतिशत से कम उपस्थित होने वाले छात्र को तब तक छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह उपस्थिति की कमी को उसी सत्र में पूर्ण कर 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं कर लेता। प्रत्येक माह में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए 75% उपस्थिति-नियम पूर्णत: लागू होगा।

(ज) 10 दिन से अधिक निरन्तर अनुपस्थिति रहने पर उस माह की छात्रवृत्ति निरस्त हो जाएगी। अन्य स्थितियों में भी10 दिन या उससे अधिक अनुपस्थित होने पर छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जायेगी।

(झ) एन.सी.सी./एन.एस.एस. शैक्षणिक एवं खेलकूद-प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित छात्र को उस अवधि का अवकाश मिलेगा। परन्तु एन.सी.सी. प्रभारी/क्रीडा प्रभारी/प्रतियोगिता प्रभारी के माध्यम से इसकी सूचना कार्यालय को देनी होगी,जिससे उसकी उपस्थिति की गणना की जा सके।

(ञ) एक विषय से आचार्य करने के बाद द्वितीय विषय में आचार्य में प्रवेश के समय पात्रता-क्षमता एवं मौलिक-ज्ञान को दृष्टिगत रखा जायेगा तथा प्रवेश का विशेषाधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा। एक विषय में विश्वविद्यालय से आचार्य-उपाधि प्राप्त करनेवाले छात्र यदि अन्य विषय में आचार्य में प्रविष्ट होते हैं, तो ऐसे छात्र छात्रावास एवं छात्रवृत्ति पाने के पात्र नहीं होंगे।

शोधकार्य-हेतु छात्रवृत्ति-भुगतान नियम

उपर्युक्त-नियमों के साथ–साथ सामान्यत: कुल उपस्थितियों तथा प्रगति-विवरण के आधार पर सम्बन्धित-शोधनिर्देशकों, विभागाध्यक्षों, पीठम्प्रमुखों की अनुशंसा एवं शोध-समीक्षा-समिति द्वारा संतोषजनक-शोधप्रगति के मूल्यांकन पर छात्रवृत्ति के भुगतान का आदेश प्रत्येक त्रैमासिक के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। पञ्जीकरण-तिथि से छात्रवृत्ति प्रारम्भ होगी। त्रैमासिक-प्रगति-विवरण निर्धारित-समय-अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा।

विश्वविद्यालय में समय–समय पर होने वाले शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक–कार्यक्रमों में भी सभी शोधछात्रों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। अनुशासन–सम्बन्धी–नियमों का उल्लंघन करनेवाले तथा अनुचित–आचरण करनेवाले छात्रों को विश्वविद्यालय तथा छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा और छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

छात्रवृत्ति की प्राप्ति और उसको जारी रखने के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति, प्रगति–विवरण में दिये गये निर्देशों एवं विश्वविद्यालय के अनुशासन का सर्वथा–पालन अनिवार्य–शर्त होगी। जिस माह की उपस्थिति 75% से कम होगी, उस माह की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।

छात्रवृत्ति की अवधि

शोध–छात्रवृत्ति की अवधि तीन वर्ष (36 माह) के लिये होगी। जिन छात्रों को 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की छात्रवृत्ति मिली है, उन पर आयोग एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित–नियम लागू होंगे। 36 माह की शोध–छात्रवृत्ति शैक्षणिक–सत्र 2017–18 से पंजीकृत शोध–छात्रों पर लागू है।

5. छात्रवृत्ति के लिए चुनाव प्रक्रिया

(क) प्रविष्ट–छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदनपत्र भरकर विश्वविद्यालय –कार्यालय में निर्धारित–तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। आवेदनपत्र प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति–प्रदान करने के लिए दिये गये नियमों के अन्तर्गत योग्यताक्रम से विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति–समिति छात्रवृत्ति स्वीकार करेगी।

(ख) छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र प्रवेश लेने के 10 दिन के अन्दर शैक्षणिक–अनुभाग–कार्यालय में जमा कराने होंगे।

6. छात्रवृत्ति की अवधि

(क) सामान्य छात्रवृत्ति की अवधि एक शैक्षणिक–सत्र में अधिकतम 10 माह के लिये होगी। जिसका भुगतान शैक्षणिक–वर्ष में दो किस्तों में किया जायेगा। प्रत्येक सेमेस्टर मे 05 माह की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा । जिसके लिए सम्बन्धित–छात्र की प्रवेश–तिथि से लेकर परीक्षा–समाप्ति की अन्तिम–तिथि तक की अवधि की गणना की जायेगी ।

(ख) विद्यावारिधि के लिये छात्रवृत्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्ष 36 माह के लिये होगी।

(ग) सत्रीय–परीक्षा में अनुपस्थित रहनेवाले छात्र की छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

7. छात्रवृत्ति भुगतान

सामान्यत: कुल उपस्थितियों के आधार पर संकायाध्यक्षों की समिति की अनुशंसा पर कुलपति के आदेशानुसार छात्रवृत्ति के भुगतान का आदेश किया जाएगा। प्रवेश या कक्षा में उपस्थिति में से जो तिथि बाद की होगी, उसी तिथि से छात्रवृत्ति प्रारम्भ होगी।

विशेष: विश्वविद्यालय में समय–समय पर होने वाले शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक–कार्यक्रमों में भी सभी छात्रों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करनेवाले तथा अनुचित–आचरण करनेवाले छात्रों को विश्वविद्यालय तथा छात्रावास से पृथक् कर दिया जायेगा और छात्रवृत्ति रोक दी जायेगी।

सह-शैक्षणिक-प्रवृत्तियाँ

विश्वविद्यालय छात्रों की प्रतिभा के बहुआयामी विकास के उद्देश्य से विविध सह-शैक्षणिक-प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिनमें निम्नलिखित-प्रवृत्तियाँ प्रमुख हैं-

1. विशिष्ट-व्याख्यानमालाएँ
2. संगोष्ठियाँ
3. वाग्वर्धिनी एवं धीवर्धिनी-सभा
4. विभागीय-परिषदें
5. विभिन्न-सांस्कृतिक-प्रतियोगिताएँ
6. स्वच्छता-कार्यक्रम
7. योग-दिवस
8. संस्कृत-सप्ताह
9. हिन्दी-पखवाड़ा
10. मातृभाषा-दिवस
11. एक भारत श्रेष्ठ भारत
12. संविधान दिवस

पुस्तकालय

महामहोपाध्याय पद्मश्री मंडनमिश्र ग्रंथालय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं शोध–कार्यक्रमों में छात्रों के हित पोषण में सतत–सहभागी एवं सक्रिय रहा है। यह ग्रंथालय अपने आधुनिक एवं पारंपरिक–संग्रहों के लिए विख्यात है। वर्तमान में दो मंजिलें भवन में स्थापित पुस्तकालय में विभिन्न–विषयों की लगभग एक लाख से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, उपनिषद्, योग, ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, दर्शन, मनोविज्ञान आदि का श्रेष्ठ–संग्रह इस ग्रंथालय को वास्तव में ज्ञानकोष–भंडार की श्रेणी में ला खड़ा करता है। शोध–पत्रिकाओं एवं सामान्य–पत्रिकाओं तथा समाचार–पत्रों की उपलब्धता छात्रों, अध्यापकों एवं शोध–विद्यार्थियों की अद्यतन–सूचना–आवश्यकता को पूर्ण करती है। संस्कृत–अध्ययन एवं शिक्षण एवं प्रसार हेतु अन्य ग्रंथालय सूची–पाठकों को विशेष–ग्रंथालय सदस्यता भी प्रदान करता है।

पुस्तकालय–शुल्क एवं सुरक्षित–धन

क्रम सं.	कक्षा	शुल्क (रू)	पुस्तकालय सुरक्षित धन (रू)	कुल राशि (रू)
1.	शास्त्री (B.A.)	300	1500	1800
2.	बी.ए. (योग)	300	1500	1800
3.	आचार्य (M.A.)	300	1500	1800
4.	एम.ए. हिन्दू अध्ययन	300	1500	1800
5.	एम.ए. हिन्दी साहित्य	300	1500	1800
6.	एम.ए. (योग)	300	1500	1800
7.	शिक्षाशास्त्री (B.Ed.)	300	1500	1800
8.	शिक्षाचार्य (M.Ed.)	300	1500	1800
9.	डिप्लोमा/प्रमाणपत्रीय–पाठ्यक्रम	300	1500	1800
10.	विद्यावारिधि (Ph.D.)	1000	1500	2500
11.	विशेष–सदस्य	500	1000 सदस्यता शुल्क	1500

सामान्य नियम :

१. ग्रंथालय में केवल पंजीकृत–सदस्य का प्रवेशही मान्य है।

२. पुस्तकालय में प्रवेश करते समय द्वार पर रखे रजिस्टर की प्रविष्टियों को पूर्ण करके तथा अपना बैग, छाता, पुस्तकें, मुद्रित–सामग्री आदि यथास्थान रखकर ही पुस्तकालय में प्रवेश करें। द्वार पर बैठे कर्मचारियों को अपना प्रवेशपत्र दिखाना अनिवार्य है। बिना प्रवेशपत्र दिखाये पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित है।

३. ग्रंथालय में व्यक्तिगत–सामग्री तथा मुद्रित पुस्तका, सी. डी., डी. वी. डी., लैपटाप, झोला, छाता आदि लेकर प्रवेश वर्जित है। उपर्युक्त–सामग्री को यथास्थान पर रखकर ही प्रवेश करें। बहुमूल्य वस्तुएँ, रुपया–पैसा, आभूषण आदि गेट पर न रखें, उसे अपने पास ही रखें। ऐसी वस्तुओं के रखने पर यदि वे गायब हो जायें, तो पुस्तकालय उसका उत्तरदायी नहीं होगा।

४. विद्यार्थी को निर्धारित–अविधि तक के लिए पुस्तक दी जाती है। यदि पुस्तक निर्धारित–अवधि तक नहीं लौटाई गई, तो पुस्तक पर ०१ रुपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब–शुल्क देना होगा।

५. छात्र को एक ही पुस्तक की दो प्रतियाँ नहीं निर्गत की जायेगी। बिना परिचय–पत्र दिखाये पुस्तक निर्गत नहीं की जायेगी।

६. सामान्यतः स्नातक एवं स्नातकोत्तर–विषयों की पाठ्यपुस्तकें शिक्षाशास्त्री के छात्रों को तथा शिक्षाशास्त्री की पाठ्य–पुस्तकें स्नातक/स्नातकोत्तर–छात्रों को नहीं निर्गत की जायेगी।

७. सन्दर्भ–पुस्तकें, कोश तथा बहुमूल्य–पुस्तकें निर्गत (इशू) नहीं की जाएंगी।

८. पुस्तक खो जाने अथवा खराब हो जाने की स्थिति म पुस्तक लेनेवाले को वैसी ही पुस्तक लेकर देनी होगी अथवा पुस्तकालय के नियमानुसार पांच गुणा मूल्य चुकाना होगा। पाठक को पुस्तक भलीभाँति देखकर लेनी चाहिए। पुस्तक में दोष पाये जाने पर पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचित कर सम्बन्धित–कर्मचारी से हस्ताक्षर करवा लेना चाहिए। पुस्तक लौटाते समय उसमे पाये जाने वाले दोष का उत्तरदायित्व छात्र पर होगा तथा नई पुस्तक/नियमानुसार मूल्य जमा कराना पड़ेगा।

९. पुस्तकों पर पेन या पेन्सिल आदि से चिह्न बनाना, नाम लिखना अथवा पन्ने फाड़ना वर्जित है।

१०. पुस्तकालय से चोरी–छिपे पुस्तकों/पत्र–पत्रिकाओं को बाहर ले जाने अथवा पृष्ठों को फाड़ने की स्थिति में पकड़े जाने पर सम्बन्धित–छात्रों की पुस्तकालयीय–सदस्यता तत्काल समाप्त करके पुस्तकालय में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा तथा सुरक्षित–धन जब्त करके अग्रिम–अनुशासनात्मक–कार्यवाही–हेतु भेज दिया जायेगा, जिसमें विश्वविद्यालय से निष्कासन भी सम्मिलित है।

११. वार्षिक–परीक्षा से पूर्व सभी पुस्तकें और पुस्तकालय परिचय–पत्र वापस करना अनिवार्य है, अन्यथा परीक्षा–प्रवेशपत्र–प्राप्त्यर्थ अदेयता–प्रमाणपत्र नहीं दिए जाएंगे। पुस्तकालय–कार्ड खोने की स्थिति में दुबारा कार्ड बनाने हेतु एक कार्ड के लिये ४० रुपये जमा कराना होगा।

१२. पुस्तकालय–सदस्यता–पत्र अहस्तान्तरणीय हैं। पुस्तकालय द्वारा दिये गये पुस्तकालय–सदस्यता–पत्र का केवल सदस्य–विशेष ही प्रयोग कर सकता है। अन्य–व्यक्ति किसी सदस्य–विशेष के सदस्यता–पत्र पर पुस्तक नहीं ले सकेगा। ऐसा करने पर सम्बन्धित–छात्र की पुस्तकालय–सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

१३. पुस्तकालय में शान्तिपूर्वक बैठना एवं अध्ययन करना अपेक्षित है। किसी भी तरह का शोरगुल,उच्च स्वर में बातचीत तथा मोबाइल फोन का प्रयोग भी वर्जित है।

१४. पाठकगण पत्रिकाएँ पढ़कर यथास्थान रखें, बिना स्वीकृति के किसी भी पुस्तक अथवा पत्र–पत्रिका को पुस्तकालय से बाहर ले जाना वर्जित है। पत्रिकाओं को वाचन कक्ष में पढ़ने के लिए अपना परिचय–पत्र देकर प्राप्त कर सकते हैं।

१५. यदि कोई पाठक पुस्तकालयीय पुस्तक पुस्तकालय के अन्दर ही बैठकर पढ़ना चाहे, तो उसे आभ्यन्तर–निर्गमन कराना अनिवार्य है।

१६. पुस्तकालय के नियम–पालन न करने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार पुस्तकालयाध्यक्ष को है।

१७. पुस्तकालय में बुकबैंक की भी व्यवस्था है । शिक्षाशास्त्री एवं शास्त्री–पाठ्यक्रम के छात्रों को सत्रान्त तक दो पुस्तकें निर्गत की जाती है।

१८. यदि आवश्यक हो, तो पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों को समय से पहले भी लौटाने का आदेश दे सकता है।

१९. पुस्तकालयाध्यक्ष की संस्तुति से कुलपति की स्वीकृति के बाद अन्य विश्वविद्यालयों के शोधछात्र एवं अन्य अध्ययनकर्ता भी पुस्तकालय की विशेष–सदस्यता–शुल्क रुपये १०००/–तथा ५०० रुपये वार्षिक–अध्ययन–शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकते हैं।

२०. पुस्तकालय–समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा पुस्तकालय–सम्बन्धी–नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है।

पुरस्कार

विश्वविद्यालय की पाठ्य एवं सहगामी प्रवृत्तियों में भाग लेकर प्रथम-स्थान पानेवाले, परीक्षाओं में सर्वाधिक अंङ्कप्राप्त करनेवाले तथा उपस्थिति, प्रगति एवं आदर्श व्यवहार द्वारा पुरस्कारार्हता प्रमाणित करनेवाले छात्रों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाणपत्र तथा निम्नलिखित-पदक प्रदान किये जाते हैं-

1. 'पूर्व-राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वर्णपदक' - यह पदक कुलपति जी द्वारा नियुक्त विशिष्ट समिति के निर्णय पर विश्वविद्यालय की समस्त प्रवृत्तियों में सर्वश्रेष्ठ छात्र को दिया जायेगा।
2. आचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'श्रीमती भारती मिश्र स्वर्णपदक' दिया जायेगा।
3. आचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाली छात्रा को 'श्रीमती शान्ति देवी भार्गव स्वर्णपदक' दिया जायेगा।
4. साहित्याचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को डॉ. सी. आर. स्वामीनाथन् स्वर्णपदक' दिया जायेगा।
5. पुराणेतिहासाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'पं. दर्यावप्रसाद शर्मा स्वर्णपदक' दिया जायेगा।
6. नव्य न्यायाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'पं. हरिराम शुक्ल स्वर्णपदक' दिया जायेगा।
7. प्राचीनन्यायवैशैषिक आचार्य परीक्षा में सर्वप्रथम सीान प्राप्त आनेवाले छात्र को ''सन्तशिरोमणि श्री पंजाबी भगवान स्वर्णपदक'' दिया जाएगा।
8. सांख्ययोगाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'श्री बी.बी. अग्रवाल स्वर्णपदक' दिया जायेगा।
9. पौरोहित्याचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'वेदमूर्तिदत्तात्रेयदीक्षित स्वर्णपदक' दिया जायेगा।
10. वेदान्ताचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'श्रीरामशरणपाण्डेय स्वर्णपदक' दिया जायेगा।
11. वेदाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'डॉ. रामकरण शर्मा स्वर्णपदक' दिया जायेगा।
12. व्याकरणाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'श्रीदत्तभारद्वाज स्वर्णपदक' दिया जायेगा।
13. जैनदर्शनाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'आचार्य कुन्दकुन्दस्मृति स्वर्णपदक' दिया जायेगा।
14. सिद्धान्त-फलितज्योतिषाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'श्री संकठाप्रसाद उपाध्याय स्वर्णपदक' प्रदान किया जायेगा।
15. फलितज्योतिषाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'डॉ. शुकदेव चतुर्वेदी स्वर्णपदक' दिया जायेगा।
16. सिद्धान्तज्योतिषाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'पं. कल्याण दत्त शर्मा स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

17. धर्मशास्त्राचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'पं. लालनकृष्णपण्ड्या स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

18. सर्वदर्शनाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'डॉ. बदरी नारायण पञ्चोली (प्रणव) स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

19. विशिष्टाद्वैतवेदान्ताचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'श्रीमदुत्तराहोविलराजगुरुचित्रकूटधाम स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

20. शिक्षाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'डॉ. आशा तिवारी स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

21. प्राकृतभाषा-आचार्य में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'डॉ. शशिप्रभा जैन' स्वर्णपदक दिया जायेगा।

22. शास्त्री-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'डॉ. नीना डोगरा स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

23. शास्त्री-परीक्षा दर्शन-सङ्काय में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'टी.टी. चेरिटेबल-ट्रस्ट स्वर्ण पदक'** दिया जायेगा।

24. शास्त्री-परीक्षा दर्शन-सङ्काय में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'सेवास्वामीनल्लूर श्रीनिवासराघवाचार्य स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

25. शास्त्री-सम्मानित-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'आचार्य रमाकान्त शास्त्री स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

26. विशिष्टाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'महन्त रामेश्वरपुरी स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

27. शिक्षाशास्त्री-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'डॉ. वी. राघवन् स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

28. संस्कृतभाषण-प्रतियोगिता में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'रायबहादुर श्री शिवचरण दास स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

29. अन्त्याक्षरी-प्रतियोगिता में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को 'पं कन्हैयालाल मिश्र स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

30. बी.ए. (योग) में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करनेवाले छात्र को 'जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन माधवाश्रम जी महाराज स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

31. एम.ए. (योग)में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करनेवाले छात्र को 'जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन कृष्णबोधाश्रम महाराज स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

32. शिक्षाशास्त्री अन्तिम वर्ष में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाली अनुसुचित जाति की छात्रा को 'स्वर्गीय प्रो. कुसुम यदुलाल स्वर्णपदक' दिया जायेगा।

छात्रावास

श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) अखिल भारतीय स्तर की शिक्षण-संस्था है। इसमें अध्ययन करने हेतु देश के सभी भागों के छात्र आते हैं। अत: छात्रावास का सञ्चालन विश्वविद्यालय की एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि है। छात्रावास में प्रवेश के लिए नामांकनोपरान्त

छात्रावास-कार्यालय से आवेदनपत्र भरना होगा। इस सम्बन्ध में छात्रावास-नियमावली में उल्लिखित-नियम प्रभावी होंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (3/1956) के अनुच्छेद (22) के उप-अनुच्छेद (3) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन तथा डिग्रियों के विनिर्देशन से संबद्ध पिछली सभी अधि सूचनाओं का प्रतिस्थापन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), केन्द्र सरकार की स्वीकृति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन 2014 के अनुसार अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत डिग्रियों की नामावली विनिर्देशित की गई है। डिग्रियों का विनिर्देशन 2014 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के अनुसार प्रदान की वाली उपाधियों के नामावली को निम्नलिखित विवरण के अनुसार है :-

क्र.सं.	विनिर्देशित उपाधि नामावली	हिन्दी भाषा	आग्ल भाषा	स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षो में)
1	शास्त्री (सम्मानित)	स्नातक (सम्मानित)	Bachelor of Arts (Honours)	बैचलर्स	3 वर्ष
2	बी.ए. (योग)	स्नातक	Bachelor of Arts	बैचलर्स	3 वर्ष
3	आचार्य	स्नातकोत्तर	Master of Arts	मास्टर्स	2 वर्ष
4	एम.ए. (योग)	स्नातकोत्तर	Master of Arts	मास्टर्स	2 वर्ष
5	शिक्षाशास्त्री	स्नातक	Bachelor of Education	बैचलर्स	2 वर्ष
6	शिक्षाचार्य	स्नातकोत्तर	Master of Education	मास्टर्स	2 वर्ष
7	विद्यावारिधि	विद्यावारिधि	Doctor of Philosophy	डॉक्टोरल	3 वर्ष
8	वाचस्पति	वाचस्पति	Doctor of Literature	शोधोत्तर	1 वर्ष

प्रवेश हेतु सम्पर्क सूत्रों का विवरण

क्रमांक	पीठम् / विभाग	दूरभाष नं
1	प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा, पीठम्प्रमुख, वेद-वेदांग पीठम्	011-46060622
	प्रो. रामानुज उपाध्याय वेद-विभागाध्यक्ष	011-46060354
	प्रो. वृन्दावन दास पौरोहित्य-विभागाध्यक्ष	011-46060356
	प्रो. सुधांशुभूषण पण्डा धर्मशास्त्र-विभागाध्यक्ष	011-46060675
	प्रो. सुजाता त्रिपाठी व्याकरण-विभागाध्यक्ष	011-46060644
	प्रो. नीलम ठगेला ज्योतिष-विभागाध्यक्ष	011-46060668
	डॉ. अशोक थपलियाल वास्तुशास्त्र-विभागाध्यक्ष	011-46060615
	प्रो. बिहारी लाल शर्मा नोडल अधिकारी 'छात्र-शिकायत-निवारण-प्रकोष्ठ' एवं 'रैगिंग-रोकथाम-समिति', निदेशक, 'आन्तरिक-गुणवत्ता-आश्वासन-प्रकोष्ठ' एवं 'कुलानुशासक'	011-46060651
2	प्रो. केदार प्रसाद परोहा पीठम्प्रमुख, दर्शनशास्त्र पीठम्	011-46060623
	प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी योग-विज्ञान विभागाध्यक्ष	011-46060641
	डॉ. एस. सुदर्शन विशिष्टाद्वैत-विभागाध्यक्ष	011-46060575
	प्रो. कुलदीप कुमार जैनदर्शन-विभागाध्यक्ष	011-46060576
	प्रो. मारकण्डेय नाथ तिवारी सांख्ययोग-विभागाध्यक्ष	011-46060562
	प्रो. महानन्द झा न्याय-विभागाध्यक्ष	011-46060551
	प्रो. प्रभाकर प्रसाद सवदर्शन-विभागाध्यक्ष	
	प्रो. ए.एस. आरावमुदन मीमांसा-विभागाध्यक्ष	
	प्रो. के. अनन्त अद्वैतवेदान्त-विभागाध्यक्ष	011-46060623

3	प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल, पीठम्प्रमुख, साहित्य एवं संस्कृति पीठम्	011-46060624
	प्रो. धर्मानन्द राउत साहित्य-विभागाध्यक्ष	011-46060685
	प्रो. कल्पना जैन प्राकृत-विभागाध्यक्ष	011-46060530
	प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल पुराणेतिहास-विभागाध्यक्ष	011-46060542
4	प्रो. सविता पीठम्प्रमुख, आधुनिक विषय पीठम्	011-46060526
	डॉ. आदेश कुमर आधुनिकविज्ञान -विभागाध्यक्ष	011-46060460
	प्रो. मीनू कश्यप मानविकी-विभागाध्यक्ष	011-46060515
	प्रो. शिवशंकर मिश्र शोध -विभागाध्यक्ष एवं हिन्दू अध्ययन	011-46060609
5	प्रो. सदन सिंह पीठम्प्रमुख, शिक्षाशास्त्र-पीठ	011-46060636
6	प्रो. भागीरथि नन्द पीठम्प्रमुख, शैक्षणिक	011-46060685
7	डॉ. एन.पी. सिंह विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)	011-46060536
8	प्रो. नीलम ठगेला पीठम् प्रमुख (छात्र कल्याण) सम्पर्क अधिकारी, एस.सी./एस.टी. प्रकोष्ठ	011-46060656
12	डॉ. कान्ता उपकुलसचिव (परीक्षा एवं शैक्षणिक)	011-46060520
13	डॉ. सुरेन्द्र महतो सम्पर्क अधिकारी, अन्य-पिछड़ा-वर्ग-प्रकोष्ठ	011-46060635
14	प्रो. मीनू कश्यप (छात्रा वर्ग) डॉ. अभिषेक तिवारी (छात्र वर्ग) एन.सी.सी. अधिकारी	011-46060515
15	श्री बनवारी लाल वर्मा सिस्टम एडमिन्सट्रेटर	011-46060616, 46060645
16	श्री सुच्चा सिंह सहायक-कुलसचिव (शैक्षणिक)	011-46060548, 46060503

पूर्णकालिक-पाठ्यक्रम-शुल्क-तालिका

क्र सं	कक्षा	प्रवेश/ नामाभि -लेखन शुल्क	परिचय-पत्र	परीक्षा-शुल्क	कम्प्यूटर - शुल्क	विविध प्रवृत्तियाँ	विश्वविद्यालय विकास निधि	पुस्तकालय		पत्रिका-शुल्क	क्रोड़ा-शुल्क	संकाय-विकास	छात्र कल्याण कोष	छात्र क.प. शुल्क	पाठ्यक्रम	योग
								शुल्क	सुरक्षित-धन							
1	शास्त्री (बी.ए)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	300	150	50	100	3350
2	बी.ए. (योग)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	7350	150	50	100	10400
3	आचार्य (एम.ए.)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	400	150	50	100	3450
4	एम.ए. (योग)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	17350	150	50	100	20400
5	एम.ए. (हिन्दू अध्ययन)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	400	150	50	100	3450
6	एम.ए. (हिन्दी साहत्य)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	400	150	50	100	3450
7	शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)	250	50	350	100	500	--	300	1500	100	100	2100	150	50	100	5650
8	शिक्षाचार्य (एम.एड.)	250	50	350	100	500	--	300	1500	100	100	3100	150	50	100	6650
9	विद्यावारिधि (पीएच.डी)	650	50	150	100	200	--	1000	1500	250	100	1500	150	50	100	5800

नोटः- शास्त्री द्वितीयवर्ष, तृतीयवर्ष, बी.ए. योग द्वितीयवर्ष, आचार्य द्वितीयवर्ष, एम.ए. योग द्वितीयवर्ष, शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्ष, शिक्षाचार्य द्वितीयवर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों से प्रतिवर्ष पुस्तकालय-सुरक्षित-धन छोड़कर सभी-शुल्क ग्राह्य होंगे । उपर्युक्त-राशि नकद-रूप में ग्राह्य होगी, चेक अथवा ड्राप्ट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। छात्रावास के शुल्क इसके अतिरिक्त होंगे। शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ से छात्र कल्याण कोष के तहत प्राप्त राशि का उपयोग छात्रों के कल्याण से संबंधित क्रियाकलापों की पूर्ति हेत् किया जाएगा।

शिक्षाशास्त्री १. शैक्षिक-भ्रमण के १५००/- २. स्काउट-गाईड-प्रशिक्षण के १५००/- ३. प्राथमिक-चिकित्सा-प्रशिक्षण के निमित्त जो वास्तविक हो। ४. विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम / विविध-सामग्री के निमित्त ५००/-रुपये (यह शुल्क शिक्षाशास्त्री के छात्रों से प्रवेश के उपरान्त समय-समय पर विभिन्न-क्रियाकलापों के लिए अलग से लिये जायगे, जो सभी छात्रों के द्वारा अनिवार्यरूप से जमा किया जाएगा।) पुस्तकालय सुरक्षित-धनराशि पाठ्यक्रम छोड़ने अथवा पूर्ण होने पर ही वापिस की जायेगी।

अंशकालिक-पाठ्यक्रम-शुल्क-तालिका

क्रसं	कक्षा	प्रवेश/ नामाभि-लेखन शुल्क	परिचय- पत्र	परीक्षा- शुल्क	विश्वविद्यालय विकास- निधि	पुस्तकालय		योग
						शुल्क	सुरक्षित- धन	
1	षाण्मासिक ज्योतिष- प्रवेशिका एक सत्रीय	275	50	375	5125	375	1000	7200
2	एकवर्षीय ज्योतिषप्राज्ञ- डिप्लोमा-पाठ्यक्रम	275	50	375	6475	375	1000	8550
3	द्विवर्षीय ज्योतिभूषण- एडवांस-डिप्लोमा-पाठ्यक्रम	275	50	375	9125	375	1000	11200
4	एकवर्षीय एस्ट्रोलॉजी (भैषज्य-ज्योतिष) डिप्लोमा-पाठ्यक्रम	275	50	375	6475	375	1000	8550
5	षाण्मासिक वास्तुशास्त्र- प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम	275	50	375	5125	375	1000	7200
6	एकवर्षीय वास्तुशास्त्र- डिप्लोमा-पाठ्यक्रम	275	50	375	6475	375	1000	8550
7	द्विवर्षीय वास्तुशास्त्र एडवांस-डिप्लोमा-पाठ्यक्रम	275	50	375	9125	375	1000	11200
8	वास्तुशास्त्र पी.जी.डिप्लोमा-पाठ्यक्रम	275	50	375	9125	375	1000	11200
9	षाण्मासिक योग प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम	275	50	375	7925	375	1000	10000
10	एकवर्षीय पी.जी. योग डिप्लोमा- पाठ्यक्रम	275	50	375	12925	375	1000	15000
11	भाषा-पत्रकारिता पाठ्यक्रम (एकवर्षीय पी. जी. डिप्लोमा)	275	50	375	16675	375	1000	18750

12	संस्कृत-वाङ्मय में प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम एकवर्षीय	275	50	375	10425	375	1000	12500
13	षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पौरोहित्य-प्रशिक्षण-पवेशिका	275	50	375	5125	375	1000	7200
14	एकवर्षीय पौरोहित्य- डिप्लोमा-पाठ्यक्रम	275	50	375	6475	375	1000	8550
15	संस्कृत व्याकरण प्रायोगिक-प्रशिक्षण एवं सम्भाषण डिप्लोमा	275	50	375	6475	375	1000	8550
16	संगणक अनुप्रयोग	275	50	375	7925	375	1000	10000
17	षाण्मासिक जैनविद्या- प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम	275	50	375	5125	375	1000	7200
18	एकवर्षीय जैनविद्या- डिप्लोमा-पाठ्यक्रम	275	50	375	6475	375	1000	8550
19	षाण्मासिक पाण्डुलिपि- एवं अभिलेखशास्त्र प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम	275	50	375	3425	375	1000	5500
20	एक वर्षीय पी.जो. डिप्लोमा योग एवं नैचुरोपैथी	275	50	375	12925	375	1000	15000

नोटः किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश-हेतु बाह्य-अभ्यर्थियों एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से एकसमान प्रवेश-शुल्क लिया जाऐगा। द्विवर्षीय-डिप्लोमा -पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष शुल्क दना अनिवार्य है।